खण्ड-164, अंक-5
शुक्रवार, 23 पौष, शक संवत् 1877
(13 जनवरी, 1956 ई0)

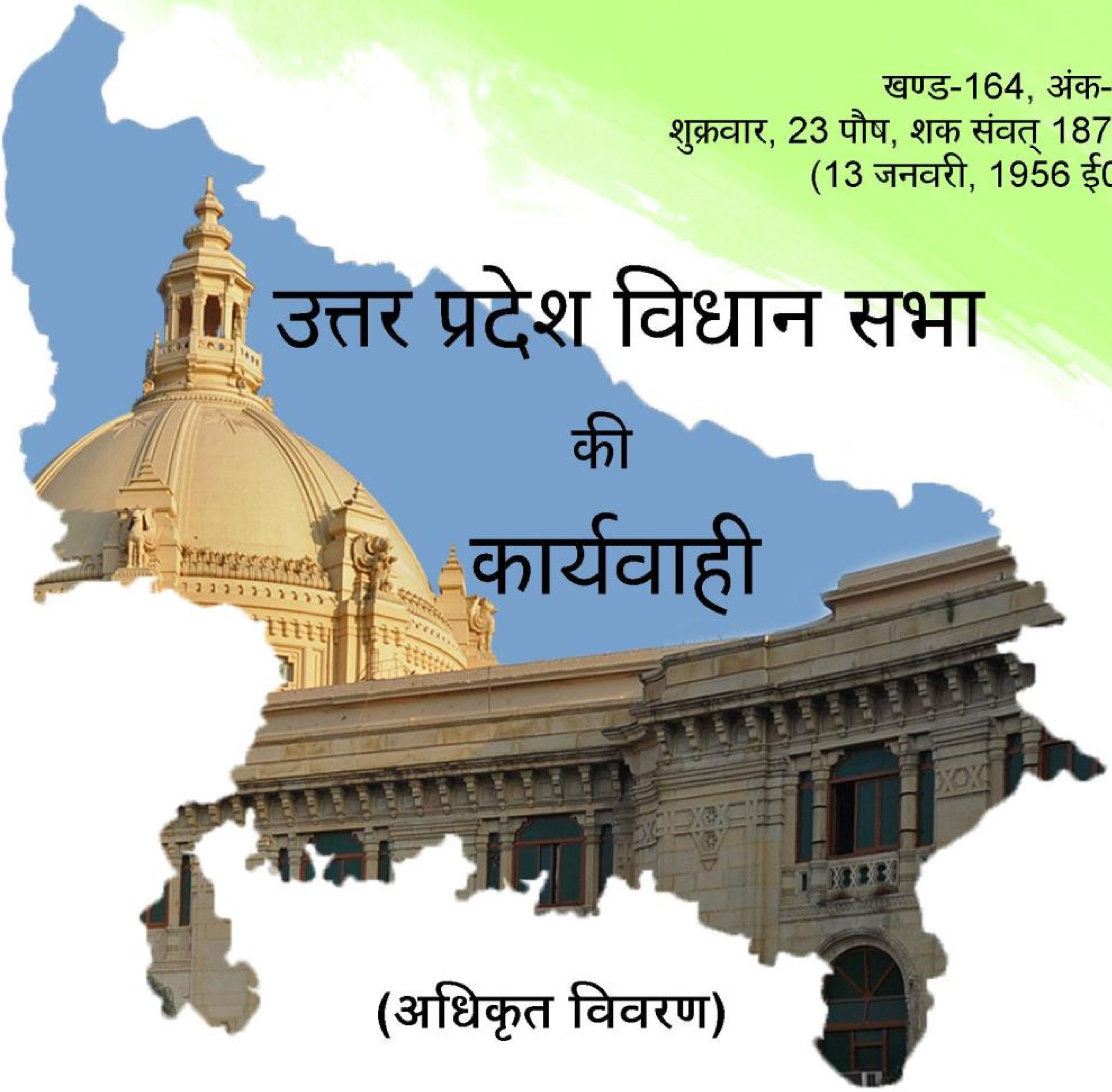

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 164 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १३ जनवरी, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२२)

LEGISLATURE LIBRARY 22 MAY 1956 UTTAR PRADESH

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इरतफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमालअहमद रिजवी, श्री
करनसिंह श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नगुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
ख्यालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री

जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह श्री, (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री

महावीरसिंह, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सअ्दतअली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यशोदादेवी,श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण , श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी साहय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रमहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनाराणय सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
बिष्णुशरण दुब्लिश, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद,श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १३ जनवरी, १९५६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

राज्य सम्पत्ति विभाग में सेवा के नियम

**१—श्री श्रीनाथराम (जिला आजमगढ़)—क्या सचिवालय की नियुक्ति एवं स्थायी करने के नियमों को राज्य सम्पत्ति विभाग में भी अपनाया जाता है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--जी नहीं। राज्य संपत्ति कार्यालय सचिवालय का विभाग नहीं है। अतः इसमें सचिवालय की नियुक्ति एवं स्थायी करने के नियम लागू नहीं हैं।

श्री श्रीनाथराम--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में नियुक्ति और स्थायी करने के नियम क्या हैं?

श्री धर्मसिंह--जो अलग विभागों के हुआ करते हैं वही हैं।

श्री श्रीनाथराम--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन नियमों का पालन अगस्त, १९५५ के बाद की नियुक्तियों को स्थायी करने में किया गया?

श्री धर्मसिंह--जी हां, जब ये परमानेंट किये गये तो उन सभी नियमों का पालन किया गया।

श्री श्रीनाथराम--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विभाग के नियमों के बारे में प्राक्कलन समिति ने कुछ सुझाव दिये थे?

श्री धर्मसिंह--जी हां, दिये थे।

श्री श्रीनाथराम--तो उन नियमों का कहां तक पालन किया गया?

श्री धर्मसिंह--एस्टीमेट्स कमेटी ने जो सुझाव दिये थे निर्णय करने से पहले सरकार ने उन पर विचार किया और तब अंतिम निर्णय दिया।

बिजनौर जिले में शेरकोट-अफजलगढ़ सड़क पर रामगंगा के पुल-निर्माण का आयोजन

****२--श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले में शेरकोट अफजलगढ़ सड़क पर रामगंगा नदी पर पुल कब तक बन जायेगा?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--बिजनौर जिले में शेरकोट अफजलगढ़ सड़क पर रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में हाथ में लिया जायेगा। इस काम का पूरा होना रुपये के मिलने पर निर्भर है पर इसे जल्दी ही खत्म किया जायगा ताकि रामगंगा डैम के निर्माण में उक्त पुल से सुविधा मिल सके।

****३--श्री रतनलाल जैन**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रस्तावित रामगंगा डैम का कार्य कब प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रस्तावित रामगंगा डैम पर प्रारम्भिक काम तुरन्त शुरू करने का विचार है। मुख्य डैम पर काम अगले वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में शुरू करने का प्रस्ताव है।

श्री रतनलाल जैन--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रामगंगा पुल का सर्वे हो रहा है? यदि हां, तो यह पुल कितना लम्बा होगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जहां तक मुझे स्मरण है उसका सर्वे हो चुका है क्योंकि रामगंगा डैम की जो योजना है उसमें वह शामिल कर दिया गया है। कितना लम्बा होगा इसके विषयमें इस समय कुछ नहीं कह सकता, नोटिस मिलने पर बता सकता हूं।

श्री रतनलाल जैन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पुल के बनाने में कितना व्यय होगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पूरी तरह से स्मरण तो नहीं है लेकिन करीब १६ लाख रुपये के व्यय होगा ?

श्री रतनलाल जैन—क्या डैम की सुविधा के लिये वहां रेलवे लाइन निकालने का भी विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं इतना बतादूं कि १६ लाख नहीं ४० लाख रुपये के करीब व्यय होगा उस ब्रिज में। अब माननीय सदस्य अपना दूसरा प्रश्न दोहरा दें।

श्री रतनलाल जैन—इस डैम के बनाने में सुविधा होने के लिये रेलवे लाइन निकालने की जरूरत है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह मामला तो रेलवे विभाग के ऊपर है लेकिन डैम पर जाने के लिये सुविधा होनी चाहिये और सामान ले जाने के लिये, क्योंकि यह बहुत बड़ा डैम होगा करीब १६,१८ करोड़ रुपये का।

श्री रतनलाल जैन—अध्यक्ष महोदय, इसीलिये तो मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि इसके लिये सामान ले जाने के लिये रेलवे लाइन की जरूरत होगी, इसलिये क्या वह केन्द्रीय सरकार पर जोर डालेंगे कि वह जल्दी से रेलवे लाइन डलवा दे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हां, हम जोर तो अवश्य डालेंगे लेकिन यह उनके ऊपर है कि बनावें या न बनावें क्योंकि रिहन्द डैम इतना बड़ा बन रहा है लेकिन रेलवे का पुल नहीं बना है। हम अपना पुल बनाकर सामान ले जा रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रामगंगा बांध का अनुमानित व्यय कितना है और यह कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें इर्रीगेशन का प्रोजेक्ट है और पावर का भी प्रोजेक्ट है। इर्रीगेशन का प्रोजेक्ट करीब १७ करोड़ का है और पावर का प्रोजेक्ट करीब ८ करोड़ का है। इस तरह से दोनों मिलाकर करीब २५,२६ करोड़ रुपये का है। अभी तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा पूरी तरह से निर्णीत नहीं हुई है इसलिये काम शुरू होने पर मेरा ख्याल है कि ५-६ साल में खत्म हो सकता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें कितने इंजीनियर्स काम कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी तो एक भी नहीं है क्योंकि काम शुरू होने वाला है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कार्य के लिये अब तक कितना रुपया केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा विचाराधीन है।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस डैम से अनुमानित सिंचाई कितने एकड़ होगी और किन-किन जिलों में होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इससे सिंचाई तो करीब ७ लाख एकड़ होगी, और जितना भी लोअर गंगा कैनाल का एरिया है जिसमें एटा, फर्रुखाबाद मैनपुरी, कानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, यह सब जितना एरिया है जिसमें लोअर गंगा कैनाल से सिंचाई होती, और कुछ हिस्सा अलीगढ़ का भी, यह सब इससे कवर होगा। इसके साथ-साथ अपर गंगा कैनाल का जो पानी दो ढाई हजार क्यूसेक्स लोअर गंगा कैनाल में हर साल डालते हैं वह बच जायगा जिससे अपर गंगा कैनाल के रीजन में ज्यादा सिंचाई होगी और वह पानी मथुरा, आगरा तक संभवतः पहुंच सकेगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी---इस बिल का नक्शा किस के जरिये तैयार किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह तो इंजीनियर लोग आर्कीटेक्ट्स और डिजाइनर्स तैयार करते हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी---मेरा मतलब यह है कि किस विभाग के सुपुर्द यह काम किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह विभाग तो सिंचाई का है क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स सिंचाई विभाग के ही हैं।

कानपुर जिले में विचाराधीन बन्दी

****४---श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र** (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आज कल कानपुर जिले में Undertrial बन्दी कितने हैं और कितने समय से वह लोग बन्दी गृह में बन्द हैं ?

स्वशासन उप-मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---६ जनवरी, १९५६ को १,००० विचाराधीन बन्दी जेल में थे। इनमें से ८५ बन्दी अदालत सेशन के और ४७० बन्दी मैजिस्ट्रेटों की अदालत के २ महीने से अधिक समय से, और शेष दो मास से कम से बन्द हैं।

श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इतने ज्यादा बन्दी विचाराधीन क्योंकर हैं क्योंकि उनकी जमानत होने में दिक्कत पेश आती है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जमानत में कोई दिक्कत पेश आती है इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक कारण यह जरूर हुआ है कि कानपुर में मिल में स्ट्राइक हो जाने के कारण ऐसी परिस्थित हुई है। इसलिये कुछ मुकद्दमों में थोड़ी देर हुई है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संख्या में कानपुर के वे बन्दी भी शामिल हैं जो प्रतिदिन उन्नाव जेल भेज दिये जाते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह प्रश्न तो कानपुर जेल के बंदियों के विषय में है, वहां जितने अन्डर ट्रायल हैं उन्हीं की यह संख्या है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन बंदियों में से कितनों का केस जुडीशल मैजिस्ट्रेट्स के विचाराधीन है और कितनों का रेगुलर मैजिस्ट्रेट्स के ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन बंदियों में से मजदूर बंदियों की कितनी संख्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन मजदूरों की हड़ताल में रेगुलर मैजिस्ट्रेट्स काम करते थे या जुडीशल मैजिस्ट्रेट्स काम करते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--इसमें तो जाहिर है कि रेगुलर मैजिस्ट्रेट्स काम करते हैं।

श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र--क्या सरकार को इस बात का इल्म है कि जमींदारी उन्मूलन हो जाने से वह जमानतें जो पहले मैजिस्ट्रेट्स मांग लिया करते थे आज भी मांगते हैं लेकिन वह मिल नहीं पाती हैं उस तादाद में ?

श्री कैलाशप्रकाश--इस वक्त कोई ऐसी सूचना नहीं है। माननीय सदस्य को शायद मालूम हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--इन विचाराधीन बंदियों के मामलों पर जल्दी विचार हो सके इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--इन पर जल्दी विचार हो रहा है और आशा है कि जल्दी ही समाप्त होगा।

श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र--क्या सरकार को यह भी पता है कि बहुत से बन्दी इसलिये बन्द रहते हैं कि सरकार की तरफ से काफी अरसे तक अदालतों के सामने जो सबूत पेश करने होते हैं वह पेश नहीं किये जाते और वह लोग रिमांड लेते रहते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--साधारणतया ऐसा नहीं है लेकिन यदि कोई विशेष केस माननीय सदस्य को मालूम हो तो वह नोटिस में लाये तब उसका पता लगाया जा सकता है।

तारांकित प्रश्न

*१--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--[हटा दिया गया।]

छात्रों की फ़ीस मुआफ़ी के लिए अगस्त, १९५५ में आदेश

*२--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त तथा अक्तूबर सन् ५५ में छात्रों की फीस मुआफी के लिये कोई आदेश जिला अधिकारियों के पास भेजे गये थे ? यदि हां, तो क्या उनकी प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर सीताराम)--छात्रों की फ़ीस मुआफ़ी के लिये अगस्त सन् १९५५ में दो आदेश जारी हुये।

अक्तूबर सन् १९५५ में कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

दोनों आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०४-४०५ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फीस मुआफी में ट्यूशन फीस के अलावा और फीस भी शामिल है या नहीं ? और नहीं तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--जी हां, ट्यूशन फ़ीस माफ़ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--ट्यूशन फीस के अलावा और भी शामिल है या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मैंने उत्तर दिया कि ट्यूशन फीस सभी की माफ है।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी आदेश की प्रतिलिपि के मुख्य अंशों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, इसमें यह कहा गया है कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के जो लड़के हों उनको अगस्त से दिसम्बर तक की फीस नहीं देनी होगी और वह फीस सरकार देगी ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक्जामिनेशन फीस इन विद्यार्थियों की माफ की गई है या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह उत्तर दे दिया गया है कि अगस्त से लेकर दिसम्बर तक की ट्यूशन फीस सरकार देगी और इस बीच में शायद कोई एक्जामिनेशन की फीस नहीं ली जाती ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो फीस मुआफी के आदेश भेजे गये थे वह किन-किन जिलों में भेजे गये ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, १६ जिलों में भेजे गये ।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिला इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने अपने जिले के इन्स्टीट्यूशन को एक परिपत्र में यह आदेश दिया था कि उन विद्यार्थियों की ही फीस केवल माफ की जाय जो अत्यन्त दीन हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, वह तो दीन थे और जो फीस बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में नही दे सकते थे उन्हीं लोगों के लिये तो आदेश दिया गया था, लेकिन अनुभव से मालूम यह हुआ कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के जो स्कूल थे करीब-करीब वहां सभी लड़कों के लिये फीस देनी पड़ी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ट्यूशन फीस के अलावा जो फीस देने का सरकार ने आदेश दिया है उसके न देने के कारण बहुत लड़कों का नाम स्कूल से खारिज हो गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है । जो फीस दी जाती है वह करीब-करीब जुलाई से दे दी जाती है और यह फीस अगस्त-सितम्बर में माफ की गयी ।

*३-५—**श्री श्रीनाथराम**—[३ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

हमीरपुर जिले में नार्मल ट्रेनिंग कालेज, चरखारी में हरिजन प्रशिक्षणार्थी

*६—**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नार्मल ट्रेनिंग कालेज, चरखारी (हमीरपुर) के लिये इस वर्ष कितने ट्रेनीज चुने गये हैं और उनमें हरिजनों की क्या संख्या है ? कुल कितने उम्मेदवार साक्षात्कार के लिये बुलाये गये और उनमें हरिजनों की क्या संख्या थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—नार्मल स्कूल चरखारी के लिये इस वर्ष ८५ ट्रेनीज चुने गये हैं जिनमें १० हरिजन हैं । कुल २४४ उम्मेदवार साक्षात्कार के लिये बुलाए गए थे जिनमें १२ हरिजन थे ।

नोट—तारांकित प्रश्न ६-७ श्री तेज प्रताप सिंह ने पूछे ।

*७—श्री जोरावर वर्मा (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जो अभ्यर्थी चुने गये थे उनमें से कुछ ट्रेनिंग कालेज में भर्ती नहीं हुये हैं ? क्या इन रिक्त स्थानों में भर्ती होने के लिये कुछ हरिजनों ने प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां। एक हरिजन ने प्रार्थना-पत्र शासन को प्रेषित किया था। परन्तु वह अपूर्ण था एवं विलम्ब से प्राप्त हुआ। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

बांदा जिले में आदिवासियों के लिए सहायता

*८—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बांदा जिले में चालू बजट में आदिवासियों के लिये जो २० हजार रुपया उनके शिक्षा हेतु मंजूर किया गया था वह रुपया जिले में भेज दिया गया है या नहीं ? यदि भेजा गया है, तो किस प्रकार से उसे किन-किन ग्रामों को वितरण किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, रुपया जिले में भेज दिया गया है। उसे गांवों में बांटा नहीं जायगा। रुपये को आदिवासियों के लिये प्राइमरी स्कूल खोलने तथा उनकी कृषि के विकास कार्यों में खर्च किया जायगा। इस संबंध में प्रारम्भिक जांच आदि का काम पूरा हो चुका है और अब योजनायें तैयार की जा रही हैं।

श्री जगपति सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आदिवासियों की जनसंख्या को देखते हुये यह रकम बहुत अपर्याप्त है और इसके लिये अगले बजट में और अधिक रुपया देने की सोच रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह अगला बजट तो आपके सामने प्रस्तुत होगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन जिलों में आदिवासियों की संख्या कम है और वह किस क्षेत्र में रहते हैं ?

डाक्टर सीताराम—आदिवासियों की संख्या बाँदा जिले के मऊ करवी तहसील में है। उनकी निश्चित संख्या अभी विदित नहीं है।

देवरिया जिलान्तर्गत महिला विद्यालयों पर व्यय

*९—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला देवरिया के अन्तर्गत कितने महिला विद्यालय हैं और उनमें से कितने प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल और कितने उच्चर विद्यालय हैं ?

डाक्टर सीताराम—कुल ५४ विद्यालय हैं। इनमें से ४० प्राइमरी, १३ जूनियर हाई स्कूल हैं और १ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है।

*१०—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि हर एक तहसील में कितने हैं और उनमें से कितने देहाती क्षेत्र में हैं और कितने शहरी क्षेत्र में ?

डाक्टर सीताराम—एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०६ पर)

*११—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया के महिला विद्यालयों को कितनी-कितनी सरकारी सहायता दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४०७ पर)

श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार देवरिया की आबादी और अशिक्षा को देखते हुए दूसरी पंच-वर्षीय योजना में स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिये विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—दूसरी पंचवर्षीय योजना के ऊपर इस भवन में विवाद हो चुका है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—यह देखते हुये कि देवरिया में २४ बालिका विद्यालय हैं और सलीमपुर में २२, इसके स्थान पर पडरौना में ४ और रोहटा में ३ विद्यालय हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—शायद वहां के लोगों को शिक्षा से बहुत कुछ प्रेम नहीं है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अगर वहां के लोग पढ़ने की इच्छा जाहिर करें तो सरकार क्या वहां शिक्षालय खोलने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—खोलने का काम तो उन्हीं का है, सरकार तो बाद को अनुदान ही दे सकती है ।

श्री रामेश्वरलाल—देवरिया जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी शिक्षा संस्थायें स्त्रियों की खोली गई हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री रामेश्वरलाल—प्रश्न सं० ११ के उत्तर में जो हरिजन विद्यालय हीरारामपुर में है वह मिडिल तक है या प्राइमरी है ?

डाक्टर सीताराम—वह प्राइमरी स्कूल है ।

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सहायता

*१२—श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के कितने छात्रों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध दिसम्बर, १९५५ तक के लिये किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—२,२०,७४४ ।

श्री रणंजयसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन छात्रों का शुल्क माफ़ करने पर कितना धन दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—आज तक करीब सवा चौदह लाख दिया गया है ।

श्री रणंजयसिंह—जिन जिलों को आर्थिक सहायता दी गई है उन्हें पूरी दे दी गई है या शेष है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सवा चौदह लाख करीब-करीब दे दिया गया है । जो बाकी होगा वह भी दिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी ५६ से पीछे फ़ीस माफ़ी के लिये कोई आदेश सरकार ने दिया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार को जानकारी है कि मार्च ५६ के पहले खेती से या कोई और आमदनी न होने के कारण बाढ़पीड़ित क्षेत्रों के लड़के फ़ीस दाखिल नहीं कर सकेंगे और उनके नाम खारिज हो जावेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह तो अपनी राय का सवाल है ।

श्री रामेश्वरलाल---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस प्रान्त के बहुत से बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के विद्यालयों को अक्तूबर तक बाढ़ में दी जाने वाली सहायता नहीं दी गई है, इसलिये विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन देने में बहुत ही अड़चन हो रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं । सरकार दे रही है तो फिर अड़चन किस बात की ?

श्री रामचन्द्र विकल---उन विद्यार्थियों में जो संख्या उन्होंने बतलाई पश्चिमी जिलों में जमुना के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के विद्यार्थियों की भी संख्या शामिल है, तो कितनी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह उनकी संख्या नहीं है । जो १५ जिले पहले बताये हैं उन्हीं की है ।

श्री तेजप्रताप सिंह---इन बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों को जनवरी ५६ से फीस में माफी न देने का क्यों विचार किया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसलिये कि ५-६ महीने में उनकी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिये कि वह अपनी फीस दे सकें ।

एटा ज़िले की नगरपालिकाओं में हरिजन असिस्टेंट अटेंडेंस आफ़िसरों के पद पर नियुक्ति

*१३---श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कोई ऐसा सरकारी आदेश है कि नगरपालिकाओं में असिस्टेंट अटेन्डेन्स आफिसरों के पद पर हरिजन ही नियुक्ति किया जाये ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं ।

*१४---श्री चिरंजीलाल जाटव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले की नगरपालिकाओं में असिस्टेंट अटेन्डेन्स आफिसरों की संख्या कितनी है और उनमें हरिजन कितने हैं ? यदि नहीं हैं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---दो ।

एक भी नहीं । इस कारण नहीं हैं कि उस समय निर्धारित योग्यता रखने वाले हरिजन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे ।

श्री चिरंजीलाल जाटव---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कासगंज म्यूनिसिपैलिटी में जे० टी० सी० मास्टर होते हुये भी उसे निकाल दिया गया है, अटेन्डेन्स आफीसर से, नहीं रखा गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

नैनीताल हरिजन उद्योगशाला में अनुसूचित जाति के कर्मचारी न होने की शिकायत

*१५—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नैनीताल हरिजन उद्योग शाला में प्राक्टर-कम-होस्टल सुपरिन्टेन्डेंन्ट, वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेंन्ट, सीनियर क्राफ्ट इन्स्पेक्टर्स, हेड क्लर्क-कम-एकाउन्टेन्ट, क्लर्क-कम-स्टोर कीपर, क्लर्क-कम-कैशियर, केन्द्र के चौकीदार और वर्कशाप अटेन्डेन्ट पदों पर कितनें अनुसूचित जाति के व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—केवल ६ व्यक्ति अनुसूचित जाति के नियुक्त हैं जिनमें से एक सीनियर क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर, एक जूनियर क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर, दो वर्कशाप अटेन्डेन्ट और दो मेहतर हैं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सरकार ने आठवें शुक्रवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या १ के उत्तर में तारीख ९ सितम्बर को एक उत्तर दिया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें सीनियर ग्रेड इंस्पेक्टर ३ दिखलाये गये हैं, श्री सिन्हा, श्री श्याम सुन्दर लाल और श्री जमशेद बहादुर, तीनों कायस्थ हैं। तो क्या इन तीनों में कोई अनुसूचित जाति का है या बाहर से कोई रखा गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यदि माननीय सदस्य जानते हैं कि वे तीनों कायस्थ हैं तो यह स्पष्ट है कि चौथा आदमी अनुसूचित जाति का होगा ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—वह कौन है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसके लिये सूचना की जरूरत है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि नैनीताल हरिजन उद्योगशाला में अभी पूरा स्टाफ नहीं रखा गया है और मैकेनिकल क्लासेज भी नहीं खुली हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, अभी पूरा स्टाफ नहीं मिल सका है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वहां कौन-कौन सी क्लासेज खोल दी गई हैं और उनमें कौन-कौन सा ट्रेंड स्टाफ रखा गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ओवरसीयर और इलैक्ट्रिशियन की क्लासेज भी खोल दी गई हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि वहां इलैक्ट्रिशियन क्लासेज के लिये उसकी ट्रेनिंग के लिये बिजली के एपैरेटस का कोई प्रबन्ध नहीं है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो स्पष्ट है कि जब क्लास खोली है तो उसके लिये सब सामान एकत्रित किया जायगा और हो रहा है ।

अनिवार्य शिक्षा वाली नगरपालिकायें

*१६—श्री मुहम्मदतकी हादी (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश की किन-किन नगरपालिकाओं ने सन् १९५४ और १९५५ में अपने-अपने यहां लाजमी तालीम जारी कर दी है ?

डाक्टर सीताराम—१९५५-५६ में निम्नलिखित ९ नगरपालिकाओं नेः

१—पिहानी

२—जालौन

३—शामली

४—कायमगंज

५—पिलखुआ

६—मऊनाथ भंजन

७—आंवला

८—हसनपुर

९—बस्ती ।

श्री मुहम्मद तकी हादी—क्या माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके फरमायेंगे कि इन स्कूलों में ट्रेंड टीचर्स काम करते हैं ?

डाक्तर सीताराम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मुहम्मद तकी हादी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अब कितनी म्युनिसिपैलिटी ऐसी बाकी हैं जिनमें लाजिमी तालीम नहीं है ?

डाक्टर सीताराम—१२० म्युनिसिपैलिटीज में से ९५ में लाजमी तालीम कर दी गयी है । जितनी बाकी हैं वे बाकी है ।

श्री जगदीश सरन (जिला बरेली)—जिन नगर पालिकाओं में सरकार ने लाजिमी तालीम खोली है उनमें सरकार ने बालक और बालिकाओं दोनों के लिये खोली है अथवा केवल बालकों के लिये ?

श्री हरगोविन्द सिंह—केवल बालकों के लिये ही ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बतायेगी कि जो नगरपालिकाएं शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, उन नगरपालिकाओं की यदि दरख्वास्तें आयें तो क्या सरकार वहां पर भी स्कूल्स खोलने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, अवश्य विचार किया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कोई ऐसी अवधि निर्धारित करने का विचार रखती है जिसमें बालक और बालिकाओं दोनों के स्कूल खुल जायं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ऐसी व्यवस्था की गयी है लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं जो नगरपालिकाओं को पूरी करनी होती हैं ।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की तकलीफ करेंगे कि बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा क्यों नहीं की गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह भी बहुत सी जगहों पर की गयी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह शर्तें क्या हैं जिन्हें मानना नगरपालिकाओं को इस योजना के लिये अनिवार्य होगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उनको खर्चे का एक भाग वहन करना पड़ता है ।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कितनी नगरपालिकाओं में लाजिमी तालीम खोलने का विचार सरकार का है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अब २५ ही ऐसी नगरपालिकायें बची हैं जिनमें अनिवार्य शिक्षा नहीं है, इनमें शायद १५ में लागू कर दी जायगी ।

*१७-१८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[२७ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

बनारस के दयानन्द अनाथालय पर पुलिस का छापा

*१९—श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बनारस के दयानन्द अनाथालय द्वारा बच्चों एवं महिलाओं का व्यापार होता था जिसके लिये शहर कोतवाल श्री मुकर्जी ने दिनांक ३ अक्तूबर, १९५५ को दयानन्द अनाथालय पर छापा मारा था ?

श्रम मंत्री (श्री आचार्य जुगलकिशोर)—जी हां ।

*२०—श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या सरकार इस छापे द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध जांच आयोग बैठायेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—पुलिस ने इस छापे द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है । अतः इस समय उनके विरुद्ध जांच आयोग बैठाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२१—श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या सरकार इस अनाथालय को बन्द करवाने पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—बनारस के जिलाधीश ने संस्थाओं के रजिस्ट्रार को उक्त अनाथालय के भ्रष्ट कार्यक्रम की ओर ध्यान दिलाते हुये उसके रजिस्ट्रेशन को भंग करने के लिये लिखा है ।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि गिरफ्तार व्यक्ति अभी भी वहां काम कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—मुझको इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने आदमी गिरफ्तार हुए हैं और वह कौन-कौन हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—नाम तो मेरे पास नहीं हैं । २० व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है ।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस अनाथालय के अलावा काशी में और भी ऐसे अनाथालय हैं जहां पर इस प्रकार का स्त्रियों का व्यापार और उन पर अत्याचार होते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—ऐसी निश्चित सूचना तो नहीं है लेकिन ऐसी बातें जरूर फली हुई हैं । संभव है इस तरह का व्यभिचार होता हो ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की संस्थाओं का उचित नियंत्रण करने के लिये वह क्या प्रबंध कर रहे हैं ?

आचार्य जगलकिशोर—इस सम्बन्ध में एक बिल सदन के सामने मौजूद है ।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आया है वह केवल इस बनारस अनाथालय में ही है या राज्य के अन्य अनाथालयों में भी ऐसा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जहां की सूचना मिली है उसके संबंध में मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि जो २० आदमी गिरफ्तार हैं वह अनाथालय के ही हैं या बाहर के आदमी भी उसमें हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—मैं समझता हूं कि अनाथालय के ही हैं ?

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिस यतीमखाने में यह हादसात हुए वहां के पहले इंतजाम को हटाकर उनको अपने इंतजाम में ले लिया है या किसी दूसरे के इंतजाम में दे दिया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—ऐसा कोई अधिकार सरकार को अपने अधिकार में लेने का नहीं है।

राजकीय नार्मल स्कूल, इटावा के छात्रावास में तेली विद्यार्थियों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार

*२२—**श्री वंशीदास धनगर** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार को पता है कि राजकीय नार्मल स्कूल, इटावा के छात्रावास में तेली जाति के प्युपिल टीचर्स को मेस के अन्दर खाना खाने तथा पानी पीने के बर्तन छूने पर छात्रावास के अधिकारी ने प्रतिबन्ध लगा रक्खा है, जिससे झगड़ा हो जाने की संभावना है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री वंशीदास धनगर—क्या नार्मल स्कूल के छात्रावास के संबंध में वहां पर आम मेस के अलावा हरिजन मेस अलग चल रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी कोई खास शिकायत नहीं है, लेकिन कहीं से ऐसी शिकायतें आईं तो उनको दबा दिया गया और जो नहीं मानते थे उनको छात्रावास से निकाल दिया गया।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस शिकायत को दबा दिया गया या ठीक-ठीक प्रबन्ध कर दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी भावना को दबा दिया गया।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या मंत्री जी को इस प्रकार की आम शिकायतें भी मिली हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने पहले ही कहा कि आम शिकायतें नहीं हैं।

श्री वंशीदास धनगर—मेरा प्रश्न यह था कि इटावा के नार्मल स्कूल के छात्रावास में जनरल मेस के अलावा कोई हरिजन मेस भी अलग से चल रहा है या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी कोई सूचना नहीं है लेकिन अगर वहां अलग मेस चल रहा है तो उसको नहीं चलने दिया जायगा।

श्री वंशीदास धनगर—क्या ऐसे मेसेज का चलना विधान की १५-१६ और १७ धारा के विरुद्ध नहीं है और जब यह छुआछूत के नियमों के विरुद्ध है तो सरकार ऐसे मेसेज को चलने देकर छुआछूत को क्यों प्रोत्साहन देती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---मैंने उत्तर दिया कि छात्रों के कोई मेस इस आधार पर अलग नहीं हो सकते कि एक हरिजनों का है और दूसरा नान-हरिजन का है। संख्या के कारण कुछ लोगों के अलग-अलग मेसेज हो सकते हैं इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वहां शायद ३ मेसेज हैं लेकिन वहां इस बात का कोई प्रतिबन्ध नहीं कि हरिजनों का मेस और दोनों से अलग हैं, और यदि ऐसा कहीं होगा तो सरकार ऐसे मेसेज को नहीं चलने देगी।

*२३---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---[२७ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले में हरिजन विभाग से सहायता प्राप्त स्कूल तथा पुस्तकालय

*२४---**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में हरिजन विभाग द्वारा सहायता प्राप्त कितने स्कूल दिन के, कितने स्कूल नाइट के एवं पुस्तकालय हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---एक रात्रि पाठशाला और एक छात्रावास है। पुस्तकालय कोई नहीं है।

*२५-२६---**श्री रामस्वरूप गुप्त** (जिला कानपुर)---[१० फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७-२८---**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)---[१० फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले की राजकीय पाठशालाओं के अध्यापकों को बकाया वेतन न मिलना

*२९---**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार प्रथम सत्र के आठवें शुक्रवार (९-९-५५) के प्रश्न १५ के उत्तर के सम्बन्ध में कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के राजकीय पाठशालाओं के अध्यापकों का बकाया वेतन दे दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं। निश्चित तिथि तो बतलाना इस समय संभव नहीं है। शीघ्र वेतन भुगतान करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*३०---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---[१० फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*३१-३२---**श्री शिवपूजनराय** (जिला गाजीपुर)---[१० फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

ग्रेजुएट सी० टी० अध्यापकों को एल० टी० का ग्रेड

*३३---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय विद्यालयों में एल० टी० ग्रेड के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये सी० टी० ग्रेड से उन्नति पाने वाले सी० टी० अध्यापकों की प्रतिशत संख्या प्रति वर्ष कितनी निश्चित है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---३० प्रतिशत प्रतिवर्ष, परन्तु इसमें केवल ग्रेजुएट सी० टी० को ही पदोन्नति दी जाती है।

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजनान्तर्गत अध्यापकों को वेतन वृद्धि देने के नियम

*३४—श्री राजवंशी (जिला देवरिया)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना में जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनकी तीन श्रेणियां (अ), (ब) तथा (स) बनाई गई है ? उनमें किन-किन श्रेणियों को इन्क्रीमेंट दी जाती है और किनको नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। केवल "अ" श्रेणी के अध्यापक अपनी नियुक्ति के एक वर्ष पश्चात् वार्षिक वेतन वृद्धि पाते हैं और "ब" तथा "स" श्रेणी के अध्यापक १ से २ वर्ष बीत जाने तथा 'अ' श्रेणी पा जाने पर अपनी वार्षिक वेतन-वृद्धि के अधिकारी होते हैं। प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजवंशी—जब "ब" श्रेणी वाले "अ" में आ जाते है तो उनको इंक्रीमेंट मिलता है, तो "स" वाले जब "ब" में आ जाते है तो उनको इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिलता ?

श्री हरगोविन्द सिंह—नहीं, नियम बनाये गये हैं कि जब वह भी "अ" में आवेंगे तभी उनको यह इंक्रीमेंट दिया जायगा।

श्री राजवंशी—क्या सरकार के और विभागों में इस तरह की श्रेणियां तनख्वाह बढ़ाने के लिये हैं या इसी विभाग में हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस विभाग में तो हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह तीन श्रेणियां बनाने की विशेष आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जब यह लड़के ट्रेनिंग में थे तो यह देखा गया कि कई बहुत अच्छे हैं, कोई मध्यम श्रेणी के हैं, कोई बहुत खराब है, तो इसलिये तीन श्रेणियां ए, बी, सी बना दी गई।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना चलाई गई है उसके कार्यकलाप से वे पूर्णतया संतुष्ट हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

सुल्तानपुर जिले में बाढ़ क्षेत्र की शिक्षा-संस्थाओं को सहायता

*३५—श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ के सम्बन्ध में सुल्तानपुर जिले में शिक्षा संस्थाओं को क्या क्या सहायतायें प्रदान की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—समस्त प्रारम्भिक, लघुमाध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के बालकों को अगस्त, ५५ से दिसम्बर, ५५ तक का शुल्क माफ करने से जो संस्थाओं को क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति के लिये १,२०,००० रु० का अनुदान दिया गया है।

*३६-३७—श्रीमती यशोदा देवी (जिला गोरखपुर)—[३ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले के हरिजन छात्रावास को सहायता

*३८--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत कहां-कहां हरिजन छात्रावास हैं और उनमें कितने-कितने छात्र रहते हैं ?

डाक्टर सीताराम--सूचना संलग्न विवरण पत्र 'क' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०८ पर)

*३९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन छात्रावासों को वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ से लेकर वित्तीय वर्ष सन् १९५४-५५ तक कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रदान की गई ?

डाक्टर सीताराम--सूचना संलग्न विवरण पत्र 'ख' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४०९ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि प्रतिवर्ष छात्रावास में ३० ही लड़के रहते हैं या कमोबेश हुआ करते हैं ?

डाक्टर सीताराम--तीस से अधिक भी हो सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो अनुदान ५२-५३, ५३-५४ और ५४-५५ में दिये गये हैं उनमें कमोवेश क्यों हुआ है ?

डाक्टर सीताराम--५३-५४ में १,२६० रुपये आवर्त्तक अनुदान दिया गया, १५० रु० का अनावर्त्तक अनुदान और २४० रुपये महंगाई का दिया गया है, कुल १,६५० रुपये । ५४-५५ में सिर्फ ८० रुपये का अनावर्तक अनुदान दिया गया । अनावर्त्तक अनुदान केवल फर्नीचर और बरतन खरीदने के लिये दिया जाता है । सन् १९५३-५४ में ज्यादा आवश्यकता पड़ी, ज्यादा दिया गया और ५४-५५ में कम आवश्यकता पड़ी कम दिया गिया ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन हरिजन छात्रावासों में यदि कोई जो हरिजन नहीं है वह रहना चाहें तो रह सकते हैं या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां । इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि और जाति के लोग भी उसमें रखे जायं लेकिन १० प्रतिशत के हिसाब से ही ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में केवल एक हरिजन छात्रावास है और उसमें बहुत से हरिजन छात्रों को रहने के लिये स्थान नहीं मिलता है । तो क्या माननीय मंत्री जी हरिजनों के लिये एक नया हरिजन छात्रावास खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सरकार के पास तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि वहां हरिजन छात्रों के लिये स्थान की कमी है ।

श्री श्रीनाथ राम--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बावजूद इसके कि आजमगढ़ छात्रावास को इतनी सहायता दी जाती है फिर भी उस पर मकान का किराया अब तक बाकी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसकी हमें कोई सूचना नहीं है । जो छात्रावास के मैनेजर हैं उनको देना चाहियें क्योंकि अनुदान तो दे दिया जाता है ।

कानपुर जिले में हरिजनों को उद्योग हेतु सहायता

*४०—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले व शहर में कितने ऐसे हरिजन हैं जिन्हें उद्योग हेतु सरकार से गत तीन वर्षों में आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है ?

डाक्टर सीताराम—९९। इनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४१० पर)

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जिनको सहायता प्राप्त हुई है उनके नाम और पते क्या हैं और उनको कितनी कितनी-आर्थिक सहायता दी गई है ?

डाक्टर सीताराम—यह तो बहुत बड़े विवरण का सवाल है। इसको बाद में बतला सकता हूं अगर आवश्यकता हुई तो। इस वक्त सूचना नहीं है।

*४१—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसकी निगाह में ऐसे भी लोग आये हैं जो हरिजन नहीं हैं और उन्होंने हरिजनों के नाम पर सरकारी सहायता प्राप्त की है ? यदि हां, तो ऐसे लोगों के खिलाफ वह क्या कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। दूसरे भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—यदि माननीय मंत्री जी को इस बात का नोटिस दिया जाय कि हरिजन बनकर किसी दूसरे व्यक्ति ने धन प्राप्त किया है तो उसकी जांच करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, जरूर विचार करेंगे और अगर ऐसा कुछ और कानूनी कार्यवाही जो संभव हो सकेगी वह की जायगी।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो सहायता दी गई है वह किसकी सिफारिश से दी गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वहां जिला नियोजन अधिकारी की सिफारिश से दी गई होगी या किसी एम० एल० ए० वग़ैरह की सिफारिश से दी गई होगी जैसे कि दी जाती है।

देवरिया जिले के स्कूलों और कालेजों को सहायता

*४२—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जिला देवरिया में विभिन्न स्कूलों और कालेजों में कितने विद्यार्थियों को सरकार वजीफा देती है ?

डाक्टर सीताराम—१,०४४।

*४३—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपर्युक्त स्कूलों और कालेजों को सरकारी सहायता क्या दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४११–४१५ पर)

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १,०४४ रुपये जो दिये गये हैं वे किन-किन स्कूलों को कितने-कितने दिये गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—१,०४४ रुपये के अंक नहीं हैं बल्कि १,०४४ विद्यार्थियों को दिये गये हैं। रुपया तो १०४४ से बहुत ज्यादा होगा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वे कौन-कौन से स्कूल हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—स्कूलों की संख्या तो बहुत है। लम्बी सी तालिका है। अगर आपको दिलचस्पी है तो आप आकर देख सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लड़कों को वजीफा दिया गया है यह कुल रुपया कितना है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—रुपये का इस वक्त तो अनुमान नहीं है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र स्थापन—योजना की असफलता

*४४—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या यह सत्य है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र (सेन्टर आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन) स्थापित करने के लिये इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने कितना रुपया व्यय करने का विचार किया था ?

डाक्टर सीताराम—इस वित्तीय वर्ष के बजट में ३७,६०० रुपये आवर्त्तक देने का प्राविधान है।

*४५—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या यह सत्य है कि अमेरीकन टेक्निकल कोआपरेटिव मिशन (T.C.M.) ने भी इस सेन्टर को आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कितनी और उसका आधार क्या है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। टी० सी० ए० (Technical Co-operation Administration) ने २ से ३ लाख डालर के बीच में देने का प्रस्ताव किया जो निम्न रूप से होगा :—

(१) ३ वर्ष के लिये अविधिक (टेक्नीकल) विशेषज्ञ।

(२) बाहर से प्राप्य समस्त पुस्तकालय सम्बन्धी सामग्री।

(३) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के प्रशिक्षण का व्यय।

प्रतिबन्ध यह था कि टी० सी० ए० की सहायता बन्द होने पर भी केन्द्र चालू रहेगा।

*४६—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या यह सही है कि यह सेन्टर विश्वविद्यालय में अब तक नहीं खुला है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। कारण यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित केन्द्र की प्रथम रूपरेखा से, जो भारत सरकार तथा प्रादेशिक सरकार द्वारा स्वीकृत हुई, अब विश्वविद्यालय सहमत नहीं है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या इस वित्तीय वर्ष में सेंटर आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन न खुलने से सरकार लखनऊ यूनिवर्सिटी को यह आर्थिक सहायता अगले वित्तीय वर्ष में प्रदान करने पर विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, इसमें जैसा बताया गया वह रुपया बजट में रख दिया गया था लेकिन चूंकि इसमें तीन पार्टियां थीं, विश्वविद्यालय, प्रादेशिक सरकार और गवर्नमेंट आफ इंडिया, और अब चूंकि उसकी शर्तें विश्वविद्यालय बदल रहा है और इसीलिए वह अभी खुला नहीं इंस्टीट्यूट। जब वह खुलेगा तो रुपया दिया जायगा उसको।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अमेरिकन टेक्निकल कोआपरेटिव मिशन इस योजना को किस प्रकार से नियंत्रित करेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह तो एक लाइब्रेरी होगी। वहां के टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, इस प्रकार से यह करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इस सेंटर आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन को खोले जाने की मांग विश्वविद्यालय की एग्जिक्यूटिव काउंसिल ने की या सरकार ने यह कहा कि सेंटर आफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन खोला जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं। विश्वविद्यालय ने की।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह अमेरिकन टेक्निकल विशेषज्ञ यहां पर आयेंगे केन्द्र में उनके लिए क्या शर्तें तय हुई हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वह कोई यहां तनख्वाह नहीं पायेंगे। यहां कुछ नहीं करेंगे। वह तो यहां ट्रेनिंग देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि यह सेंटर आफ पब्लिक ऐडमिनस्ट्रेशन कोई अलग फैकल्टी के रूप में कार्य करेगा या किसी फैकल्टी के मातहत होगा, या कोई नया डिप्लोमा के रूप में होगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां। इसी पर यूनिवर्सिटी में अब डिफरेंस हो गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इस डिफरेंस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--पहले तो शायद यह था कि वह किसी फैकल्टी से अटैच रहेगा। अब शायद यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी यह चाहती है कि वहां के वाइस चांसलर का जो पत्र आया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह हर एक फैकल्टी में विभाजित करना चाहते हैं। यह चूंकि पहले जो तय हुआ था उससे विपरीत है, इस मतभेद के कारण अभी निश्चित नहीं हो सका कि टेकनिकल इंस्टीटयूट खुले।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किन का मान्य होगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--चूंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया इसमें तीन पार्टियां हैं। जब तक तीनों का एक मत न हो जाय निर्णय नहीं होगा।

मिर्जापुर जिले में अष्टभुजा पर्वत पर मिली मूर्तियों के संबंध में पुरत्व विभाग द्वारा खुदाई का विचार

*४७--**श्री व्रजभूषण मिश्र**--क्या सरकार को यह पता है कि विन्ध्याचल (जिला मिर्जापुर) के पास अष्टभुजा पर्वत पर महालक्ष्मी के अति प्राचीन मन्दिर के अवशेष एवं कतिपय प्राचीन ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियां मिली हैं ?

डाक्टर सीताराम--कुछ कलात्मक पुरातत्व सामग्री जिनमें अधिकांशतः मूर्तियां तथा इमारती पत्थर हैं उपलब्ध हुई हैं। यह निश्चितरूप से कहा नहीं जा सकता है कि ये अवशेष महालक्ष्मी के मन्दिर के हैं।

*४८--**श्री व्रजभूषण मिश्र**--यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर अपने पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करा कर इस सम्बन्ध में विशेष पता लगावेगी ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, यह विचाराधीन है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनका कोई परीक्षण कराया गया है, यदि हां, तो किस काल की मूर्तियां मानी गयी है ?

डाक्टर सीताराम--नवीं और दसवीं शताब्दी की मूर्तियां पायी गयीं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--सरकार इस सम्बन्ध में विशेष अनुसन्धान करने की कार्यवाही कब तक प्रारम्भ करेगी ?

डाक्टर सीताराम--यह तो बता ही दिया गया है कि वह विचाराधीन है और तत्काल कार्यवाही की जायगी।

जौनपुर, सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़ जिलों की सीमा में परिवर्तन का अध्यापकों पर प्रभाव

*४९--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के कोहरीपुर आदि २६ गांव जो सुल्तानपुर जिले में मिला दिये गये हैं वहां के जिला बोर्ड के ११ अध्यापकों को जिला बोर्ड सुल्तानपुर ने नहीं लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५०--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ जिले के जो पंवारा आदि गांव जौनपुर जिले में मिला दिये गये हैं वहां के बोर्ड के अध्यापकों को जौनपुर जिला बोर्ड भी उपर्युक्त सुल्तानपुर बोर्ड के निश्चय के कारण नहीं ले रहा है ?

डाक्टर सीताराम--सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बावजूद इस प्रश्न के एक बार स्थगित होने के भी अभी तक सूचना एकत्रित होने में क्या कठिनाई पैदा हो गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--दो जिले इन्वाल्वड हैं, सुल्तानपुर और जौनपुर और वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सम्बन्ध है। तो जब सूचना वह मेरे पास भेजेंगे तभी उसकी सूचना मैं दे सकता हूं।

गोरखपुर सदर तहसील में जूनियर हाई स्कूल में कृषि अध्यापकों की नियुक्ति

*५१--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर सदर तहसील में नवीन शिक्षा योजना के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूलों में कृषि अध्यापक रखे गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस स्कूल में ?

डाक्टर सीताराम--जी हां। स्कूलों के नाम संलग्न तालिका "क" में दिए हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४१६ पर)

*५२--श्री केशवपांडेय--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन अध्यापकों की नियुक्ति के बाद उक्त स्कूलों में क्या-क्या कृषि कार्य उन्नतिशील हुये हैं ?

डाक्टर सीताराम--(१) भूमि सम्बन्धी कार्य,
(२) कृषि कार्यों का प्रदर्शन,
(३) कृषि विद्यालयों की सजावट,
(४) निर्माण कार्य ।

*५३--श्री केशव पांडेय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिले के किन-किन स्कूलों में कृषि मास्टर अब तक नहीं जा सकें और क्यों ?

डाक्टर सीताराम --संलग्न तालिका 'ख' में दिखाये गए ३४ स्कूलों में कृषि मास्टर नहीं जा सके क्योंकि उनमें कृषि फार्म के लिये भूमि अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४१७ पर)

श्री केशव पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन ३४ स्कूलों में मास्टर गये हैं, यानी संलग्न तालिका "क" में उसके साथ हल बैल और बीज की भी व्यवस्था जो इन स्कूलों के लिए हुई है वह क्या हुई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वह आवश्यकतानुसार की गई होगी।

श्री केशव पांडेय--इन स्कूलों में जो कृषि मास्टर गए हैं कहा जाता है कि उनको खेत जोतने के लिए बैल और हल नहीं दिए गये हैं, तो उसकी क्या व्यवस्था वहां पर होती है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, जहां हल और बैल नहीं दिए गए हैं वहां गांव समितियों के द्वारा किसानों से हल और बैल मांग करके काम कराया जा रहा है ।

श्री केशव पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जहां हल और बैल नहीं दिये गये हैं वहां कब तक हल और बैल दे दिये जायंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जब यह निश्चित हो जायगा कि हल और बैल उस फार्म पर रखे जाने जरूरी हैं और उनका निर्वाह भी उस फार्म के उत्पादन से ही हो जायगा।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इस योजना के अन्तर्गत शिक्षक रखे गए हैं उनका वेतन वहां के हेडमास्टरों से अधिक है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)-- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन गांव वालों से बैल लिए गए उनको मजदूरी भी कुछ दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, गांव वाले अपने बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं और इसलिये दे देते हैं।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह शिक्षक रखे गए हैं क्या वह वहां के हेडमास्टरों के अधीन हैं या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, हेडमास्टरों के अधीन तो इस माने में हैं ही कि वह स्कूल का हेडमास्टर होते हैं और वह वहां एक शिक्षक होता है।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—क्या सरकार के पास कोई ऐसी इत्तिला है कि जिससे भवन को यह मालूम हो सके कि इन स्कूलों में कितना गल्ला पैदा किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, कोई गल्ला ही पैदा करना तो इस स्कीम का उद्देश्य है नहीं। इस स्कीम का एकमात्र उद्देश्य केवल यही है कि जिसमें लड़कों को मैन्युअल वर्क से झिझक न हो। गल्ला पैदा करना तो कोई इसका उद्देश्य नहीं है लेकिन जितना पैदा हो सकें इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए उतना ही पैदा करें। इस साल जो पैदा हुआ उसमें से २ लाख २० हजार रुपया हम बच्चों की मजदूरी में बांट सके हैं, बावजूद इसके कि जो २० परसेंट स्कूल के रिजर्व फंड में गया। तो उसमें गल्ला पैदा करना कोई उद्देश्य नहीं है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो ऐग्रीकल्चर टीचर मुकर्रर किये गए हैं क्या सरकार को मालूम है कि उनसे इंटरमीडिएट क्लासेज के पढ़ाने का काम भी लिया जाता है ? क्या उसके लिए उनको कोई एलाउंस दिलवायेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, जो ऐग्रीकल्चर टीचर दिए गये हैं सेकेंड्री स्कूलों में उनसे और कोई पढ़ाई का काम लिया जाता है तो कोई गलत बात नहीं है।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ऐग्रीकल्चर मास्टर जो इन स्कूलों में रखे गए हैं उनमें यह भूमि सम्बन्धी कार्य की जो बात कही गई है क्या उसमें पानी के कटाव से भूमि को बचाने के लिए भी उपाय सिखाये जाते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, उनको सब ट्रेनिंग दी जाती है।

जौनपुर के समोधपुर हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्रबन्ध के विरुद्ध न्यायालय की टिप्पणी

*५४—**श्री उमाशंकर**—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर के समोधपुर हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रबन्धक समिति या मैनेजर के विरुद्ध किसी न्यायालय ने कोई टिप्पणी लिखी है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, टिप्पणी सम्बन्धित कार्यवाही के लिये शिक्षा विभाग द्वारा आडिट रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

बस्ती जिले में हरिजन छात्राओं को सहायता

*५५—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला बस्ती)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के स्कूलों में हरिजन छात्राओं को कितनी सहायता दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—बस्ती जिले के स्कूलों में पढ़ने वाली हरिजन छात्राओं को जो सहायता दी जाती है उसकी कोई एक निर्धारित मात्रा नहीं है। चालू वर्ष में इस सहायता की मात्रा १,५३४ रु० है।

नार्मल स्कूल मुरादाबाद के छात्राध्यापक

*५६—**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नार्मल स्कूल मुरादाबाद में में किस-किस जिले के छात्राध्यापक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जिला मुरादाबाद, रामपुर, बस्ती तथा मुजफ्फरनगर।

नोट—तारांकित प्रश्न ५३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*५७—श्री महीलाल—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि नार्मल स्कूल मुरादाबाद में कुल कितने छात्राध्यापक हैं और उनकी जिलेवार संख्यायें क्या-क्या हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कुल ९३ छात्राध्यापक हैं। उनमें ७५ मुरादाबाद के, ५ बस्ती के, १२ रामपुर के तथा १ मुजफ्फरनगर का है।

गाजीपुर जिले में प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के परिगणित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*५८—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में गत ३ वर्षों में प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के परिगणित जातीय छात्रों को कितने महीनों की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष वितरित की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में १२ महीने की तथा १९५३-५४ व १९५४-५५ में ६ महीने की छात्रवृत्तियां दी गई।

हाथरस के कपड़ा मिलों पर मजदूरों का बकाया

*५९—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार प्रश्न संख्या ३४, दिनांक २३-९-५५ के संबंध में बतायेगी कि हाथरस के कपड़ा तथा सूती मिलों के बन्द हो जाने से बेकार मजदूरों में से सरकार द्वारा किसी को कहीं नौकरी दी गई है ? यदि हां, तो कहां और कब ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

*६०—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि इन मिलों में कितने मजदूरों का कितना रुपया बकाया पड़ा है और क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—(१) लल्लूमल हरदेवदास काटन स्पिनिंग मिल्स में मजदूरों का बकाया इस प्रकार है :

		रु०
३१ मजदूरों का दिसम्बर सन् १९५२ का वेतन	..	६,६००
५५० मजदूरों का जनवरी सन् १९५३ का वेतन	..	१८,६६६
५०० मजदूरों का फरवरी सन् १९५३ का वेतन	..	१९,६४८
कुल धनराशि	..	४४,९१४

इसके अतिरिक्त २२ मई सन् १९५३ के अभिनिर्णय के अन्तर्गत २३३ मजदूरों का सन् १९५२ की बैठकी का मुआवजा बाकी है, किन्तु इस मुआवजे की धनराशि का ठीक पता नहीं है।

(२) न्यू रामचन्द्र काटन स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स में मजदूरों की बैठकी व छटनी का मुआवजा १,६५,४९० रु० बकाया है।

सहजनवां जूट मिल में दुर्घटनाओं से मजदूरों को चोटें

*६१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि सहजनवां जूट मिल में भर्ती किये गये मजदूरों में से अनेकों को अनुभवहीन होने के कारण गम्भीर चोटें आई हैं तथा उनमें से एक की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो चीफ इन्स्पेक्टर आफ फैक्टरीज यू० पी० ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, सरकार को यह सूचना मिली है कि इस मिल में गत कुछ महीनों में दुर्घटनाओं के कारण कुछ मजदूरों के साधारण चोटें आई हैं तथा एक मजदूर के गम्भीर चोट भी आई थी, किन्तु दुर्घटनाओं से किसी मजदूर की मृत्यु नहीं हुई। चीफ इन्स्पेक्टर आफ फैक्ट्रीज ने इन दुर्घटनाओं के विषय में आवश्यक जांच पड़ताल की थी।

रामपुर, ज्ञानपुर तथा नैनीताल के राजकीय डिग्री कालेजों पर व्यय

*६२—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर, ज्ञानपुर तथा नैनीताल के राजकीय डिग्री कालेजों की स्थापना कब-कब हुई थी तथा तीनों पर पृथक-पृथक कितना-कितना व्यय सरकार की ओर से हो रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—नैनीताल तथा ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री कालेजों की स्थापना जुलाई, १९५१ में हुई तथा रामपुर डिग्री कालेज का प्रबन्ध शासन ने, रामपुर राज्य के उत्तर प्रदेश में विलीनी करण के पश्चात् दिसम्बर १९४९ ई० में लिया। इन कालिजों पर १९५५–५६ में होने वाला व्यय इस प्रकार है:—

			रु०
नैनीताल	..	..	४,१९,६००
ज्ञानपुर ..	..	..	२,१७,०००
रामपुर ..	..	..	९१,०००

*६३—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या यह सत्य है कि विभाग की ओर से उपर्युक्त तीनों कालिजों का भिन्न-भिन्न स्तर नियत किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या हैं, तथा किस किस आधार पर नियत किया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल तथा ज्ञानपुर (बनारस) एक ही स्तर के हैं, किन्तु राजकीय रजा डिग्री कालेज, रामपुर का स्तर इन दोनों से भिन्न है। इस भिन्नता का कारण यह है कि डिग्री कालेज, नैनीताल तथा ज्ञानपुर में पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षायें हैं जब कि डिग्री कालेज, रामपुर में केवल पढ़ाई होती है।

साहित्य सृजन करने वाले लेखकों के प्रशिक्षण की योजना

*६४—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार प्रौढ़ों के लिये साहित्य सृजन करने वाले लेखकों के प्रशिक्षण की योजना पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—भारत सरकार ने राज्य सरकार की साहित्य सृजन करने वाले लेखकों के प्रशिक्षण की योजना स्वीकार कर ली है जिसके अनुसार एक विवाद गोष्ठी (सेमीनार) शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा प्रसाराधिकारी की संरक्षता में आयोजित होगी, जिसकी अवधि १५ दिवस होगी। इस गोष्ठी में ३० ऐसे लेखकों को प्रशिक्षण दिया जावेगा जो प्रशिक्षण पाने के उपरान्त ग्राम्य के प्रौढ़ शिक्षित वर्ग की रुचि पर साहित्य सृजन कर सकें। गोष्ठी में सम्मिलित होने वाले लेखकों को नियमानुसार सफर व्यय तथा दैनिक भत्ता दिया जावेगा।

*६५—श्री देवदत्त मिश्र—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित लेखकों की विचार गोष्ठी (सेमीनार) कब तक आयोजित होगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी आशा की जाती है कि यह विचार गोष्ठी जनवरी, १९५६ में आयोजित होगी।

*६६—श्री देवदत्त मिश्र—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गोष्ठी में कैसे लेखक सम्मिलित होंगे और सम्मिलित होने की शर्तें क्या हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उक्त गोष्ठी में सहायक उप-विद्यालय निरीक्षकों तथा राजकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रारम्भिक विद्यालयों के अध्यापकों में से वही अध्यापक तथा सहायक उप-विद्यालय निरीक्षक सम्मिलित किये जावेंगे जिनको पुस्तकें लिखने का अनुभव हो तथा प्रशिक्षण पाने के बाद ग्राम्य नव शिक्षितों की रुचि अनुसार साहित्य पुस्तकें तथा पत्रिकायें निकालने की रुचि रखते हों।

इटावा जिले के अस्थायी शिक्षा अधिकारी

*६७—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्दर शिक्षा अधिकारी कोई ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति पर पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। उनके क्या-क्या नाम हैं और वह कितने-कितने समय से कार्य कर रहे हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—संलग्न सूची में नाम व समय दिये हैं। इनमें से ७ अध्यापकों के विषय में शिक्षा संचालक व कमीशन के बीच पत्रव्यवहार चल रहा है तथा ३ अधिकारियों के विषय में लिखा है या लिखा जा रहा है। अन्य २ अध्यापकों की सेवा शायद १ साल से अधिक न रहे। इसलिये कमीशन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रधानाचार्य के पद के लिये यदि आवश्यकता हुई तो लिखा जायगा।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४१८ पर)

प्रतापगढ़ के नार्मल ट्रेनिंग स्कूल में हरिजन प्रशिक्षणार्थी

*६८—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ में १९५२–५३, १९५३–५४ एवं १९५४–५५ में कितने-कितने उम्मीदवार नार्मल ट्रेनिंग के लिये चुने गये? उनमें से प्रत्येक वर्ष कितने हरिजन उम्मीदवार थे?

श्री हरगोविन्द सिंह—उक्त जिले में नार्मल ट्रेनिंग के लिये चुने हुये उम्मीदवारों की

	कुल संख्या	हरिजन उम्मीदवारों की संख्या
	(१)	(२)
१९५२–५३	८२	१
१९५३–५४	९२	२
१९५४–५५	५६	२

लखनऊ नगर में हरिजन सोशलिस्ट वर्कर्स

*६९—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर में कितने हरिजन सोशल वर्कर्स नियुक्त हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—५

*७०—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—[१० फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में ५ व १० एकड़ के फार्म रखने वाले स्कूल

१—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में किन-किन स्कूलों पर खेती के लिये पांच एकड़ और दस एकड़ के फार्म हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—जिन स्कूलों पर खेती के लिये १० एकड़ या उससे अधिक भूमि है उनके नाम संलग्न तालिका "क" में और जिन स्कूलों पर ५ एकड़ या उससे अधिक किन्तु १० एकड़ से कम भूमि है उनके नाम संलग्न तालिका "ख" में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ. ४१९–४२१ पर)

प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को तबादले के समय सफर भत्तो का न मिलना

२—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के तबादले के समय उन्हें सफर खर्च देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

राजकाज संबंधी लिखा पढ़ी में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का निषेध करने के संबंध में संकल्प* (क्रमागत)

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने २१ दिसम्बर को इसी सदन में हिन्दी के प्रति उपेक्षा किये जाने वाली बात की चर्चा की थी। मैंने यह भी निवेदन किया था कि प्लानिंग कमेटियों, जिला और म्युनिसिपल बोर्डों, सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कमेटियों में अब भी अंग्रेजी को ही प्रधानता दी जा रही है। श्रीमन्, मैं उर्दू का विरोधी नहीं। मैं चाहता हूं कि उर्दू का भी प्रसार हो, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि जो प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पास हुआ है उसकी अवहेलना की जाय। अभी हाल ही में उर्दू के प्रसार के लिये इसी राजधानी में एक उर्दू सम्मेलन भी हुआ था। उस सम्मेलन में बड़ी अच्छी स्पीचें हुई और बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने मित्र माननीय परिपूर्णानन्द जी का भाषण मेरी समझ में नहीं आया। खैर, यह तो इस तरह की चीजें हैं कि जिन पर विचार होता है, होना ही चाहिये। मैं उर्दू की भी तरक्की चाहता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि लोग बंगाली का भी अध्ययन करें और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने वाले समझौते तथा दूसरे कामों में विचार विनिमय करने के लिये लोग अंग्रेजी भी सीखें। लेकिन श्रीमन्, मैं यह नहीं समझ पाया कि यह सब होते हुये भी हिन्दी की उपेक्षा क्यों की जा रही है ? सदन में जो कानून पास होते हैं, अगर सदन के बाहर उसके खिलाफ लोग चलते हैं, उसका विरोध करते हैं, उस कानून को तोड़ते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ता है, कड़ा दंड भी भुगतना पड़ता है, लेकिन जो लोग हमारे सर्वसम्मति से किये गये निर्णय के खिलाफ चलते हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती ! और मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आज वही अवहेलना कर रहे हैं। मैं जब यह देखता हूं कि ऋषिवर सम्पूर्णानन्द जी और महापंडित कमला पति त्रिपाठी के मंत्रिमंडल में, जिनकी साधना से हिन्दी संसार को प्रेरणा मिली है, उनके मंत्रिमंडल में पारित किये गये सर्वसम्मति प्रस्ताव की उनके मातहत सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उपेक्षा कर रहे हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने आश्चर्य के साथ अपने मित्र श्री ब्रजभूषण मिश्र की बात सुनी। इस सदन में जो उन्होंने विचार प्रकट करते हुये कहा कि एक आदेश जारी कर दिया गया है, उस संबंध में कार्य-वाही हो रही है और प्रस्तावक महोदय को चाहिये कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उनकी इस बात को समझ नहीं पाया। श्री ब्रजभूषण जी तो हमारे प्रदेश के प्रमुख हिन्दी साहित्यिकों में से हैं। वे प्रमुख पत्रकार भी हैं और इस तरह की उनकी सलाह मेरी समझ के न केवल बाहर की बात है बल्कि आश्चर्यजनक भी है।

श्रीमन्, इस सदन में मुख्य मंत्री जी ने कई बार आश्वासन दिये और टाइपराइटरों की कमी की भी बात बतलायी। उन्होंने यह भी बतलाया कि दूसरे साधनों की भी कमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे इतने बड़े प्रदेश में जहां इतना बड़ा बजट पास होता है और एक बहुत बड़ी धनराशि हम अपने प्रदेश की सेवा और निर्माण के कार्यों में खर्च करते हैं तो सर्वसम्मति से पास किये जाने वाले प्रस्ताव के कार्य को सुचारु रूप से चलाने और उसे कार्य में परिणत करने के लिये हमें इस तरह के आश्वासन दे कर ही क्यों रह जाते हैं ? श्रीमन्,

---

*संकल्प ९ दिसम्बर, १९५५ को प्रस्तुत किया गया और विवाद २३ दिसम्बर, १९५५ से क्रमागत।

[श्री रामदुलारे मिश्र]

में समझता हूं कि अब आश्वासनों से काम नहीं चल सकता। अभी हमारे माननीय राष्ट्रपति का आदेश निकल चुका है। केंद्रीय सरकार में अधिकांश कार्यवाही हिन्दी में किये जाने का उन्होंने आदेश दिया है, फिर भी हमारे यहां के कर्मचारी, और वह समिति जो हिन्दी के शब्दों का संकल्प और शब्दकोषों का निर्माण करने के लिये बनायी गयी है और उसके लिये एक कार्याधिकारी भी नियुक्त कर दिये गये हैं, लेकिन न तो उस समिति ने और न उन कार्याधिकारी ने ही अबतक कोई ठोस कदम इस ओर उठाया है।

श्रीमन्, अभी हर जिले में जिल गजेटियर बनाने और स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखे जाने की बात चल रही है, आदेश भी सरकार की ओर से जारी कर दिये गये हैं लेकिन जहां तक मुझे पता चला, मैंने जानने की कोशिश की, तो इस आदेश की भी कागजों पर ही खानापूरी हो रही है। मेरी राय में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उस समय तक प्रमाणित तैयार नहीं हो सकता जब तक इस कार्य के लिये-जिले जिले गैर-सरकारी कमेटियां न बन जायं और उन गैर-सरकारी कमेटियों में उनकी सलाह के लिये सामग्री एकत्र करने के लिये हिन्दी सेवकों को प्रधानता न दी जाय। गजेटियर प्रत्येक जिले का तैयार करना कोई मामूली बात नहीं है। इस पर भी अगर हम विचार करें तो हर जिले में प्रमाणित सामग्री हमें तभी मिल सकती है जब इस कार्य में जिम्मेदार आदमियों का सहयोग हो और इस कार्य के लिये भी हर जिले में गैर-सरकारी समितियां बनायी जायं और उनमें हिन्दी सेवकों को प्रमुखता दी जाय।

इस संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन लाल बत्ती ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी बात यहीं पर रोक दूं।

श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि जो प्रस्ताव कुंवर रणन्जय सिंह जी ने पेश किया है वह कोई नयी बात नहीं है। उन्होंने तो अपने प्रस्ताव में यही कहा है कि जो प्रस्ताव हम यहां पर बैठ कर पारित कर चुके हैं वह शीघ्र कार्यरूप में परिणत किया जाय, केवल आश्वासनों और कागजी खानापूरी से ही काम नहीं चल सकता। मुझे आशा है कि सर्वसम्मति से पास किये हुये इस प्रस्ताव पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अमल करेंगे और सरकारी आफिसरों में हिन्दी के प्रति की जाने वाली उपेक्षा को दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इस पर डेढ़ दिन से बहस हो रही है इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मेरे लिये कितना समय है ?

श्री उपाध्यक्ष—१५ मिनट।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, नियम तो यह है कि प्रस्तावक के लिये ३० मिनट होने चाहिये और.....

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो वादविवाद चल रहा है। यह पहले निश्चय हो चुका है कि १५ मिनट मिलेंगे, मैं उसी के अनुसार कार्य कर रहा हूं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मान्यवर, जैसा कि अभी हमारे मित्र माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा कि इस प्रश्न के ऊपर करीब डेढ़ दिन से काफी बहस हो चुकी है। इस संबंध में मुझे इसलिये आप से बोलने के लिये अनुमति मांगनी पड़ी कि कई बार इस सदन में इस प्रश्न के संबंध में मेरा नाम लिया जा चुका है। इस सदन के बाहर क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया,

इसकी सफाई देने की जरूरत तो नहीं है। किन्तु मैं आपके द्वारा बड़ी नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी के प्रश्न के ऊपर आज तक ऐसी भूल की जा रही है जिससे इस प्रश्न की समस्या को सुलझाने के बजाय हम एक इसमें गुत्थी पैदा कर रहे हैं। एक ओर तो श्रीमन्, हिन्दी के बारे में कुछ ऐसी संस्थायें हैं जिन संस्थाओं ने अनायास एक साम्प्रदायिक पहलू उत्पन्न कर दिया है और दूसरी ओर हिन्दी विरोधी कुछ ऐसी संस्थायें हैं जिन संस्थाओं ने, और कुछ ऐसे अखबार हैं जिसे अखबारों ने एक अनायास साम्प्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न करने की बात पैदा कर दी है। मैं चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि भाषा के इस प्रश्न पर विचार करते समय हम बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

श्रीमन्, मैंने देखा है कि आज हिन्दी का विरोध केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बहुत दूर-दूर तक होता जा रहा है। मैंने श्रीमन्, यह भी देखा है एक हिन्दी के अदना सेवक होने के नाते, हिन्दी का एक मामूली लेखक होने के नाते और हिन्दी का एक पत्रकार होने के नाते, यही देखा है कि हिन्दी के विरोध में अपने प्रदेश के बाहर अनर्गल बातें की जा रही हैं। मुझे आश्चर्य हुआ श्रीमन्, कि लन्दन में पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी हिन्दी की कितनी उपेक्षा करते हैं! उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जो बाहर पढ़ते हैं वह हिन्दी की उपेक्षा करते हैं! ग्लासगो के विद्यार्थियों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी थे, वहां एक हिन्दी क्लास प्रारम्भ की गई थी। वहां के यूनियन के मंत्री ने कहा कि यदि कोई पढ़ने के लिये नहीं जाता था तो केवल भारतीय विद्यार्थी नहीं जाते थे। स्काटलैन्ड और इंगलैन्ड के लोग तो आये हिन्दी पढ़ने के लिये। एक बड़े तमाशे की बात मैंने देखी और श्रीमन्, अनायास परेशान होकर ग्लासगो में हिन्दी क्लास बन्द कर देनी पड़ी। श्रीमन्, यह भी देखा है कि दूसरे देशों में उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने इस बात की चेष्टा की कि लन्दन में हिन्दी ड्रामा खेला जाय और उन्होंने उसके लिये यत्न किया तो उसका जो सबसे बड़ा विरोध हुआ तो वह भारतीय विद्यार्थियों की ओर से हुआ। ६ महीने तक लगातार इस बात की कोशिश की जाती रही कि हिन्दी में ड्रामा यहां खेला जाय और ६ महीने की कोशिश के बाद, तमाम चेष्टा के बाद श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब वह ड्रामा खेला गया तो जहां ६,००० के करीब विद्यार्थी रहते हों वहां ड्रामा देखने के लिये केवल ३०० विद्यार्थी मौजूद थे! उस ड्रामे का उद्घाटन श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने हिन्दी में भाषण करके किया था और वह बड़ी सुन्दर हिन्दी बोलीं, और उन्होंने इस बात का दुख प्रकट किया, खेद प्रकट किया कि एक ड्रामा खेला जा रहा है और उसमें लोग मौजूद नहीं हैं, और यहां के विद्यार्थियों ने पैसा देकर टिकट खरीदने की भी जहमत नहीं गवारा की। यह तो हमने देखा कि जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहां हिन्दी का विरोध होता है, लेकिन सब से ज्यादा दुःख तो उस समय मालूम होता है कि जब कभी भारत के बाहर जाकर देखिये तो ऐसा मालूम पड़ता है कि भारतीय एक साथ मिल कर रहना भी नहीं जानते। बर्लिन में मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मुझे सूचना मिली कि वहां मद्रासी, बंगाली और पंजाबी गुट अलग-अलग हैं और इसका सब से भयंकर दृश्य लंदन में दिखाई पड़ता है। वहां सिर्फ उत्तर प्रदेश के रहने वालों ने कोई गुट नहीं बनाया और यही हमारी सब से बड़ी खासियत है कि हममें कास्मोपोलिटन स्प्रिट है। हममें जो समूचे देश को शामिल करके रहने की भावना है उसको हमें भुला नहीं देना चाहिए और जब इस भावना के साथ हम हिन्दी के विषय में कहते हैं तो हम ठीक बात कहते हैं। आज हम ही हिन्दी के विषय में नहीं कहते, सन् १९०७ और १९०८ में महामना गोखले ने कहा था कि भारत की लिंग्वा फ्रेंका अगर कोई चीज हो सकती है तो वह हिन्दी हो सकती है और उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि देश के रहने वाले यदि आपस में किसी जबान में बात करें तो हिन्दी में ही करें। वह हिन्दुस्तानी में ही बात करें। लेकिन चूंकि उनको हिन्दुस्तानी नहीं मालूम थी इसलिये जब वह दक्षिण अफ्रीका गये तो वहां उन्होंने मराठी में भाषण दिये। लेकिन आज जब आप हिन्दुस्तान के बाहर जायं तो आप देखेंगे कि वहां अपने लोग हिन्दुस्तानी में बात करने पर उसका जवाब अंग्रेजी

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

में देते हैं। नमस्ते का जवाब गुडमार्निंग में मिलता है। गुडइवनिंग कहेंगे, और आप कितना ही हिन्दी में बात कीजिये वह हिन्दी में बोलना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी है और उसमें उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं। तो जहां यह परिस्थिति है वहां यह भाषा का प्रश्न इस सदन में उपस्थित किया जा रहा है।

उर्दू के बारे में भी कुछ कहा गया और यह कहा गया कि मैंने उस संबंध में क्या कहा और क्या नहीं। हिन्दी से मेरी जीविका है। उसी के बल पर मैं जिन्दा हूं। मैं भी हिन्दी के सेवकों में से हूं। मैंने जो कहा और कहना चाहता हूं वह यह कि यह चीज बड़ी गलत है। अगर आज कोई मुसलमान यह कहता है कि उर्दू उसकी जबान है। मेरा ख्याल है कि हिन्दी और उर्दू का दावा किसी खास हिन्दू या मुसलमान का नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि जो १४ नेशनल लैंग्वेजेज दी गई हैं उनमें उर्दू भी शामिल है और उर्दू को उसका स्थान देना होगा। इस बात पर बेकार की साम्प्रदायिकता उत्पन्न करने से कोई बात न होगी और यह भी मैं जानता हूं कि जब लोगों को कोई बात शिकायत करने की नहीं मिलती तो वे एक ही बात की शिकायत करने लगते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री या अमुक मंत्री उर्दू के विरोधी हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। यह ठीक है कि उर्दू के लिये बहुत सी कठिनाइयां हैं और उनको दूर करना उत्तर प्रदेश की सरकार का धर्म है और उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे किसी प्रकार की हो, यह नहीं कह सकती कि यह उर्दू उन १४ भाषाओं में से नहीं है। लेकिन हिन्दी हमारी राजभाषा है और हिन्दी को उसका गौरव और स्थान हमें दिलाना होगा और दिलाना चाहिये। लेकिन इसके साथ ही साथ जब हम यह कहते हैं और कहना चाहते हैं कि हिन्दी के लिये आज सरकारी कर्मचारी या कोई भी पढ़ने वाला पाठक हिन्दी की उपेक्षा करके चल रहा है तो मैं समझता हूं कि हम इस प्रश्न की गंभीरता में नहीं जाते हैं। मैंने देखा है कि आज हम लोग वर्षों से अंग्रेजी पढ़ते चले आये हैं। और मैं जानता हूं कि ऐसा है और इसलिए आज हमको अंग्रेजी की ज्यादा जरूरत महसूस होती है। लेकिन यह महसूस करने की बात नहीं है। हमारा पड़ोसी देश इजिप्ट है जो कि कुछ दिन पहले तक गुलाम था और वहां पर अंग्रेजी पढ़नी पड़ती थी। आज भी इजिप्ट के शिक्षालयों में, मैंने देखा है, अंग्रेजी का पढ़ना अनिवार्य है और वहां पर अंग्रेजी पढ़ती है। कालेजों में भी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। मैंने उनसे पूंछा कि आखिर जब आज सारे के सारे कान्टीनेन्ट में फ्रेन्च भाषा पढ़ाई जाती है तो आपके यहां अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाती है? उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का एक हमारे यहां ट्रेडीशन बन गया है और उस ट्रेडीशन के बन जाने के कारण हमारे लिये यह अनिवार्य है कि हम उस ट्रेडीशन को जारी रखें। हमारे लिये सहूलियत हो जाती है और हम यह समझते हैं कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय पावर को बनाने के लिये अंग्रेजी का पढ़ना उस देश के लिये जरूरी है। इस वास्ते इजिप्ट गवर्नमेंट ने इसको अपने कैरीकुलम में रखा है। चूंकि अंग्रेजी को उन्होंने रखा है इस वास्ते अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अंग्रेजी का जो स्थान है उसके मुकाबले में इजिप्ट पीछे नहीं है।

इसीलिये हमको भी अंग्रेजी को छोड़ना ही होगा। अंग्रेजी को उसका स्थान देकर चलना पड़ेगा। अंग्रेजी को उस स्थान पर रखना है जिस स्थान पर रह कर हम अन्तर्राष्ट्रीय पावर को बना रखें, किन्तु यह कहा जा सकता है कि आखिर अंग्रेजी को उस स्थान पर रखने के माने यह हुए कि हिन्दी की उपेक्षा कर दी जाय। हिन्दी की उपेक्षा करने के संबंध में हमारे माननीय सदस्य इन्टरमीडियेट बोर्ड के विषय में और माध्यमिक शिक्षा के विषय में हमारी प्रदेशीय सरकार ने एक जांच कमेटी बिठायी थी जिसके अध्यक्ष माननीय आचार्य नरेन्द्रदेव थे, उसकी रिपोर्ट को देखें। उस रिपोर्ट को देखने के बाद ऐसी चीजें साफ हो जाती हैं। उस रिपोर्ट में इन्टरमिडियेट बोर्ड के अन्दर तरमीम की गयी। उन तरमीमों को देखने के बाद जो उर्दू के पढ़ने वाले हैं और जो यह समझते हैं कि उर्दू का हनन हो रहा है उनको अवश्य यह विश्वास हो जायगा कि माध्यमिक शिक्षा में उर्दू को जो स्थान देना चाहिये

था वह दिया गया है। उनको यह भी विश्वास हो जायगा कि हिन्दी की जो प्राथमिकता होनी चाहिये और हिन्दी का जो गौरव होना चाहिये और जो भाषा का स्थान होना चाहिये उसको इन्टरमिडिएट बोर्ड ऐक्ट में गम्भीरता के साथ इन्टरमिडिएट बोर्ड ने बड़े विचार के साथ उसको अपना लिया है। जो आज के विद्यार्थी कल विद्यालयों से निकलेंगे उनको हिन्दी का वास्तविक और समूचा ज्ञान होगा। किन्तु इस सम्बन्ध में माननीय राजगोपालाचार्य जी ने जो अभी भाषण दिया था, मैं चाहता हूं, हमारे माननीय सदस्य उस पर पर ध्यान दें। उस भाषण में कहा गया था कि आखिर अंग्रेजी की जानकारी प्राप्त करना किस प्रकार आवश्यक है? उन्होंने कहा था कि जब तक हिन्दी की जानकारी पूरी तरह से न हो जाय तब तक अंग्रेजी को चालू रहने देना चाहिये। इसके अलावा बाहर के देशों से पत्र-व्यवहार करना पड़ता है। तो उसके लिये हमको अंग्रेजी की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने सूबे में अनायास यह निश्चित कर दें और सरकारी अधिकारियों को सचेत कर दें कि वे केवल हिन्दी का प्रयोग करें तो क्या उससे लाभ वास्तव में होगा? और क्या वह हमारी उस आवश्यकता को पूरा कर सकेगा जो कि हम करना चाहते हैं? मैं तो यह चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी इस देश से बाहर जाय वह हिन्दी का झंडा लेकर जाय, और लन्दन में और दूसरे बाहर के शहरों में जो सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं हिन्दी की उपेक्षा का, कम से कम उसका मौका न मिले क्योंकि बाहर जा कर जब हम इस बात को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि लोग हिन्दी में बातचीत करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। जब मैंने जेनेवा के एयरोड्रोम पर एक पति पत्नी को अंग्रेजी में बातचीत करते देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि यह प्लेन ठीक है या नहीं और एक ने 'डीयर' कहा और दूसरे ने 'डार्लिंग' कहा। क्या वे प्रिय और प्रिया नहीं कह सकते थे? लेकिन उनको इसे कहने में संकोच हो रहा होगा। हमसे कई लोगों ने पूछा कि यह क्या बात है कि अंग्रेजी जबान में बात करते हैं तो हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं था। हमने देखा कि मद्रासी अपनी जबान में बात करता था और बंगाली अपनी बंगला में बोलता था, लेकिन जब कोई उत्तर प्रदेश का आदमी मिलता था तो वे अपनी जबान में बातें कर लें कम से कम ऐसा दृश्य मुझे देखने को नहीं मिला। किन्तु मुझे कहना पड़ता है कि हमारे इस देश के अन्दर २,६४७ भाषायें हैं और उनसे उत्तर प्रदेश की भाषाएं भी प्रमुख संख्या में हैं, वे करीब ३६ से कम नहीं हैं। जहां पर ३६ भाषायें हों उस प्रदेश से एक दम हिन्दी को इस प्रकार से कर देना उचित नहीं होगा। लेकिन इसके संबंध में बहुत अधिक उदारता से काम लेना पड़ेगा, जैसा कि कई भाषाओं के बोलने वाले, फ्रेन्च, इटेलियन के बोलने वाले जिस उदारता से काम लेते हैं, एक दूसरे की भाषा को समझने की चेष्टा करते हैं, एक दूसरे की लिपि को टालरेट करते हैं। अतः मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी के गौरव को प्रतिपादित करते हुए, अंग्रेजी का ध्यान रखते हुए, उर्दू का जो स्थान है उसका भी ध्यान हमें रखना होगा।

*श्री पद्मनाथसिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव यह है कि सरकारी कर्मचारी अपनी लिखा पढ़ी के कार्यों में, प्रति दिन के कार्यों में हिन्दी का व्यवहार करें, उसकी उपेक्षा न करें। हमारे देश के इस सबसे बड़े प्रदेश में हिन्दी का जन्म स्थान है और मैं समझता हूं कि हिन्दी को सबसे बड़ा स्थान हमारे प्रदेश के कारण है। आज हिन्दी को सौभाग्य से देश के स्वतंत्र होने के पश्चात् पूरे देश की राजभाषा संभवतः राष्ट्रभाषा होने के कारण सबसे पहला ध्यान, हिन्दी यदि आकर्षिक करती है, तो वह राज्य कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करती है। यह जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, वह अनुकूल तो है ही, लेकिन यह प्रस्ताव अनुपयुक्त सा इस लिये प्रतीत होता है कि जो बात कायदे और कानून के अनुसार है, जो कानून सी बन गयी है, उसको इस प्रकार से रक्खा जाना आवश्यक है या नहीं? हम पत्रों द्वारा माननीय मुख्य मंत्री अथवा कैबीनेट को लिख चुके हैं, प्रश्न भी इसके बारे में पूछे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पद्मनाथ सिंह]

जा चुके हैं कि हिन्दी यदि इस देश और उस प्रदेश की राजभाषा है, तो फिर राजकर्मचारियों द्वारा इसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि आज हमारे देश में एक बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि हमारे प्रदेश की यह सरकार जो कुछ पास करती है, जो कानून बनाती है, उनको राजकर्मचारियों द्वारा कार्यान्वित कराने की शक्ति रखती है या नहीं ? इसमें हमें संदेह होने लगा है, यह असंभव सा प्रतीत होने लगा है। इससे हमें परेशानी होती है यह प्रश्न आज का नहीं, यह प्रश्न आम लोगों के साथ और आम लोगों के इतिहास के साथ लगा हुआ है और उसी प्रकार लगा हुआ है जिस प्रकार स्वतंत्रता का आन्दोलन लगा हुआ था। जब हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तभी हम इस बात की लड़ाई भी लड़ रहे थे कि हमारे देश की भाषा हमारी भाषा हो। आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, लेकिन आज वह हमारी आत्मा की प्रेरणा अन्य अधिकारियों के लिये उतनी तीव्र नहीं रह गयी है जितनी तीव्र आजादी के समय में थी। न केवल हम सो गये हैं, लेकिन जो राज कर्मचारी हैं वे इसमें बाधा उपस्थित करते हैं। हम यह महसूस करते हैं, यह मानते हैं कि हम जो आज अंग्रेजी के आदी हो गये हैं वह भी पत्रों के लिखने में, लेखों के लिखने में परेशानी महसूस करते हैं और हिन्दी के उपयुक्त शब्दों के अभाव में अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग कर डालते हैं। यह परेशानी तो हम कुछ सीमा तक अनुभव भी कर सकते हैं। यदि इसी सीमा तक हमारे राज्य कर्मचारी इस दिक्कत को महसूस करते हैं, उसका उपयोग करते हैं तो वह बरदाश्त की बात है। लेकिन इसके आगे यदि वे सीमा तोड़ कर सरकार के नियमों को लागू करने में अवहेलना करें तो वह बरदाश्त नहीं की जा सकती। आज यह प्रस्ताव इसी अवहेलना की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है और इस बात का सरकार और सरकार के कर्मचारियों से तकाजा करता है कि यह अवहेलना आगे न होनी चाहिये।

आज जब हिन्दी के संबंध में हम राजगोपालाचार्य के वक्तव्य को देखते हैं, देश में होने वाले अन्य प्रश्नों के विवाद को देखते हैं तो यह महसूस करते हैं कि आज हिन्दी की स्थिति उस स्थान पर पहुंच गयी है कि हम उसके भविष्य को, रूप को विचारने के लिये यहां विवाद करें। आज हम उसके स्वरूप के संबंध में, उसके विस्तार के संबंध में तथा अनेक प्रकार से उसकी प्रगति के संबंध में विवाद करने में लगे हुए हैं। और उसका कारण यह है कि आज तक हमने यह निश्चय नहीं किया कि हमारी वेषभूषा, हमारी भाषा, हमारा रहन सहन क्या हो ? पिछले जमाने में हम गुलाम रहे और उस गुलामी के जमाने में हम तरह-तरह की चीजों की दूसरों की नकल करते रहे और उस नकल में अंग्रेजी और दूसरी चीजें हमारे घर में प्रवेश कर गईं और हमने उस नकल करने में अपनत्व को बहुत कुछ खो दिया। अब उस कमी को पूरा करने में समय लगेगा और कुछ समय तक हमें इस चीज को बरदाश्त करना होगा, लेकिन अब तो उस बरदाश्त करने की सीमा का भी अतिक्रमण किया जा रहा है। हम मानते हैं कि पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में काम करने के और उसका व्यवहार करने के आदी हो गये थे, लेकिन अगर हिन्दी मातृभाषा थी और है, अगर वह अब राष्ट्र भाषा हो गई है तो वह घबराते क्यों हैं और उसकी अवहेलना क्यों की जाती है ? एक बात और बड़े ध्यान देने योग्य है और वह यह है कि आज हिन्दी में नये शब्दों का निर्माण करते समय हमको हिन्दी के व्याकरण को बनाने और बिगाड़ने में अधिक उदारता से काम लेना होगा। यदि हम इस बात पर गौर करें कि अंग्रेजी भाषा का उत्थान कैसे हुआ और वह किस प्रकार आज के संसार में एक अन्तर्राष्ट्रीय जबान बन गई तो हमें मालूम होगा कि उन्होंने नये नये शब्दों को बनाने और अपनाने में इस तरह से दूसरे देशों और भाषाओं के शब्दों और व्याकरण को अपनाया है कि वह इस तरह से अपनी भाषा को बराबर धनी बनाने की कोशिश करते रहे।

आज भी अंग्रेजी में अगर हम देखें तो हजारों शब्द दूसरी भाषाओं के हैं जिनको उन्होंने अपनाया है, लेकिन हमारे यहां तो भाषा की एक गति सी निश्चित कर दी गई है और यहां तक कि उसमें कुछ साम्प्रदायिकता की सी मात्रा आ गई है। आज इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि जो भाषा आज हमारे समाज में प्रचलित है, जो व्यवहार में आती है, जो हमारे

जनसाधारण की बोलचाल की भाषा है उसकी अवहेलना करके ऐसे शब्दों को ढूंढने की कोशिश की जाती है जो किसी को ज्ञात नहीं है और जिन के ढूंढने में बहुत विलम्ब होता है और हम नये और दूसरे ढंग के अप्रचलित शब्दों को लाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिये हिन्दी को उन्नतिशील, अग्रशील और प्रगतिशील बनाने और शीघ्र उसका व्यापक प्रचार करने के लिये यह आवश्यक है कि हम अपनी भाषा को इतना फलेक्सिबिल और लचीला बनायें और दूसरे शब्दों को लेने में और खपाने में कुछ उदारता बर्तें, जो शब्द व्यवहार में आते हैं, सुन्दर हैं चाहे वह किसी भी भाषा के हैं, उनको हमें प्रचलित होने के कारण उदारता से अपनाना चाहिये और अपनी भाषा को धनी बनाना चाहिये। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम दत्तचित्त होकर, निश्चित होकर लगन और दृढ़ता के साथ, एक संकल्प के साथ इस काम को आगे बढ़ावें। अगर टालने की दृष्टि से इस पर ध्यान न देंगे तो वाकई यह प्रश्न टलता ही चला जायगा। हमने देखा कि महाराष्ट्र में कहीं ७ वर्ष की, कहीं १५ वर्ष की, और कहीं ३० वर्ष की सीमा की बात हिन्दी के विषय में की जाती है और इस प्रकार से वहां सीमा निर्धारित करने की बातें होती हैं। हमने अपना स्वराज्य ५०–६० वर्ष की मेहनत के बात प्राप्त किया और हिन्दी भाषा जो हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा है उसके प्रचार के लिये इतने वर्षों की सीमा बांधना हमारी कायरता का द्योतक है और हमारे में नेशनल जील की कमी का आभास देता है।

आज से कुछ दिन पहले ही हमारे हिन्दी के महान् विद्वान राहुल सांस्कृतायन ने कहा है कि एशिया की भाषाओं में हिन्दी का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि उनका विश्वास है कि अगर भविष्य में उसकी प्रगति का उचित प्रयत्न जारी रहा तो अंग्रेजी की तरह वह समस्त एशिया की भाषा बन सकती है। हमारी नागरिक लिपि इतनी वैज्ञानिक सुन्दर और सरल है कि बोलने, पढ़ने और लिखने सब ही दृष्टियों से वह हमारे देश भर की भाषा हो सकती है। यदि हमारा प्रदेश इस विषय में नेतृत्व करे तो वह अवश्य ही एशिया की भाषा हो सकती है यदि हम इसमें कोई समय की बात न करें और दिक्कत पैदा न करें।

जहां तक उर्दू की बात है मैं समझता हूं कि उर्दू और हिन्दी का कोई झगड़ा इस प्रदेश में नहीं है। मैं समझता हूं उर्दू और हिन्दी का विवाद एक सीमित परिधि में, एक छोटे से अन्तर से है, लेकिन उसको कुछ लोग अपने प्रचार का या नेतृत्व का एक साधन-सा बना लेते हैं। नागरी लिपि का ही सवाल है, व्याकरण आदि में कोई अन्तर नहीं है इसलिये अच्छा हो कि अगर उर्दू के प्रचलित शब्द प्रयोग में आते रहें और हिन्दी के अंग बनते चले जायं लेकिन हिन्दी भाषा का जहां तक प्रश्न है वह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे विद्वान लोग भी हैं जो इसको सरल बना सकते हैं। हम कैसे इसको वैज्ञानिक आधार पर सरल बना सकते हैं यह हमें देखना है। किसी साम्प्रदायिकता के आधार पर नहीं, किसी जोश में और किसी तैश में आकर नहीं, यह इस बात से देखने की जरूरत नहीं है कि किसी वर्ग विशेष के प्रचार का साधन है बल्कि यह समझना चाहिये कि उसे हम अपना सकते हैं और इसे अपना कर पूरे भारतवर्ष की और पूरे एशिया की भाषा बना सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सहायता राजकर्मचारी ही कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वे अपनी उस मनोवृत्ति से छुटकारा नहीं पा सके हैं जो स्वतंत्र होने के पहले उनकी थी। मुझे वे क्षमा करेंगे कि वे हमारी भाषा का, हमारी वेषभूषा का मजाक उड़ाते हैं कि हिन्दी कौन सी भाषा है, कैसे इसमें लिखा जा सकता है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरी यह सरकार, प्रदेश की यह सरकार और हिन्दी प्रदेश की यह सरकार इस बात को निश्चित कर ले कि हिन्दी का प्रचार वह भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी करना केवल इस प्रदेश की सरकार के सबसे बड़े उत्तरदायित्व की बात है और इस प्रदेश को सबसे बड़ा श्रेय होगा, उसके लिये सबसे बड़े गौरव की बात होगी कि वह इस भाषा को प्रगति दे, इस भाषा को नेतृत्व दे जो शीघ्रातिशीघ्र एक अच्छे रूप में श्रद्धा और प्रशंसा के रूप में हमारे देश के अन्दर ही नहीं बल्कि बाहर भी इसका प्रचार हो और इसका स्वागत हो। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत पड़ रही है वह न केवल राजकर्मचारियों की ओर से पड़ रही है बल्कि जो इसके लिये प्रचार करने वाली पार्टियां:

[श्री पद्मनाथसिंह]

उनकी ओर से पड़ रही है जो उन शब्दों को इसमें घुसेड़ना चाहते हैं उस रूप को, उस रीति को, उस नियम को जो सचमुच में प्रगतिजनक नहीं है, हिन्दी के कल्याण की बात नहीं है। मेरा विश्वास यह है कि जो राजकर्मचारी हैं, देश के कर्मचारी हैं, जो देश की नीति को कार्यान्वित करने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व रखते हैं वे उसको कार्यशील कर सकते हैं, जो भाषा के संबंध में बहुत सी बातें कर सकते हैं, आज जो वैज्ञानिक शब्दों के बारे में बातें की जा रही हैं, मेरा विश्वास है कि आगे जब बंगाली और महाराष्ट्री लेखक, तामिल और तेलगू का लेखक जब हिन्दी में लिखने लग जायगा तो इसका कोष इतना विशाल होगा, इतना उदार होगा हिन्दी में उनके सम्मिलन की परिमार्जन की बात आयेगी तब हिन्दी भविष्य में वह रूप ग्रहण करेगी जो न आज अंग्रेजी को, न फ्रेंच को और न किसी दूसरी भाषा को प्राप्त है। जो हमारे महाराष्ट्री और गुजराती के इतने प्रगतिशील लेखक हैं वे सब इतनी मिली जुली हिन्दी में लिखने लगेंगे और हिन्दी शब्दों का प्रयोग करने लग जायेंगे और अपने विचारों को हिन्दी में व्यक्त करने लग जायेंगे तब हिन्दी वह रूप ग्रहण कर लेगी जो किसी दूसरी भाषा को सुलभ नहीं है। लेकिन इस कार्य में जो एजेंसीज, जो आफिशियल एजेंसीज हैं वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी उदासीनता, उनकी लापरवाही और उनकी उपेक्षा हमारी नीति और पालिसी को दूर रख सकती है, वे उस पालिसी को डिफीट कर सकते हैं। इसलिये मैं जोरदार अपील करना चाहता हूं उनसे जो हमारे कार्यों को कार्यान्वित करने में कस्टोडियन बन गये, जो हमारी सबसे बड़ी एजेंसी बन गये हैं कि वे उतनी ही मिशनरी स्पिरिट से इस कार्य को लें जिस मिशनरी स्पिरिट से हम इसका प्रचार करना चाहते हैं, जिस मिशनरी स्पिरिट से हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और जिस मिशनरी स्पिरिट से हम इस प्रदेश को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं। भाषा का उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उसकी अवहेलना देश की अवहेलना है और तमाम उन्नति के कार्यों की अवहेलना है। इन शब्दों के साथ में इस संकल्प का स्वागत करता हूं।

श्री जगदीशसरन (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय रणंजयसिंह जी ने इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसके मूलभूत सिद्धांत में कोई दो मत हो ही नहीं सकते। केवल विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में आज हम इस आवश्यकता को अनुभव करते हैं कि इस सदन में ऐसा संकल्प प्रस्तुत हो और हम इसको पारित करें ? इस विषय में किसी निष्कर्ष पर आने के लिये हमें अंग्रेजी की उपेक्षा नहीं करनी होगी। अभी इस माननीय सदन में अंग्रेजी के विषय में कहा गया। मैं मानता हूं कि हम सभी इसको स्वीकार करेंगे कि अंग्रेजी का स्थान एक भाषा के रूप में ऊंचा है और रहेगा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में। यदि हमारे देश को प्रगति करनी है तो हमें उसका उचित मान करना होगा लेकिन यह प्रश्न आज हमारे सामने बाधक नहीं हो सकता। उर्दू के विषय में अभी चर्चा हुई। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि हिन्दी के बारे में जब कभी कोई बात की जाती है तो कुछ व्यक्ति उसके समर्थन को उर्दू की अवहेलना या उर्दू की उपेक्षा समझने लगते हैं, यह भी एक भ्रांति ही है। आज तो हमारे सामने इस प्रस्ताव के अन्तर्गत केवल एक छोटा सा प्रश्न एक सीधा सा प्रश्न है और वह प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में हम यह समझते हैं कि हमारे राज्य कर्मचारी भाषा के संबंध में उस प्रगति से या उस गति से नहीं चल रहे हैं जिससे हम उन्हें चलाना चाहते हैं। क्या हम यह समझते हैं कि हमारे राज्यकर्मचारी वास्तव में हिन्दी की उपेक्षा कर रहे हैं। यदि हमारा ऐसा विचार है तो क्या उसकी आवश्यकता है कि हम उन्हें सचेत करें ? केवल इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो निश्चित मत है कि ऐसे संकल्प की, ऐसे प्रस्ताव की बड़ी आवश्यकता है। आज हमारे संविधान द्वारा हमें हिन्दी को राज्यभाषा स्वीकार किये हुये कई वर्ष हो चुके। हमने उस समय यह संकल्प किया था कि १५ वर्ष में हिन्दी को हमें पूर्ण रूपेण अंगीकार और स्वीकार कर लेना है लेकिन आज यदि हम जांच करें तथा जायजा लें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अभी हमने वह प्रगति नहीं की जिसकी हम कल्पना कर रहे

थे। मेरा तो विचार यह है कि कदाचित् केन्द्र में जिन व्यक्तियों पर उत्तरदायित्व उस नीति के संचालन का था उनको हिन्दी के प्रति पर्याप्त उत्साह नहीं था। यही कारण है कि हिन्दी की उतनी प्रगति नहीं हो सकी जितनी कि हम चाहते थे। आज हमें यह आवाज सुनाई देने लगी है, ये शब्द हमारे कानों में पड़ने लगे हैं कि संविधान में १५ साल का अवधिकाल रख कर हमने भूल की। इस अवधिकाल को १५ वर्ष से ३० वर्ष किया जाय। मेरे नजदीक इससे बढ़ कर दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। मैं तो यह आशा करता था कि उस अवधिकाल से और जल्दी हम उस लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे लेकिन आज किसी कोने से ऐसे शब्द सुनाई देना कि इन १५ वर्षों की अवधि को ३० साल तक बढ़ाया जाय यह हमारे दुर्भाग्य की बात है। मैं उस ओर न जाते हुये, उपाध्यक्ष महोदय केवल इस ओर माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रांत में हिन्दी की क्या प्रगति है। जहां तक हमारे प्रांत का संबंध है हमारा अहोभाग्य है कि हमारे शासकगण वे व्यक्ति हैं, हमारे कर्णधार वे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिन्दी के लिये साधना और तपस्या की है और जिनकी साधना और तपस्या के फलस्वरूप हिन्दी राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर बैठी। उनकी इतनी स्पष्ट नीति के होते हुये, हमारी राज्य सरकार की हिन्दी के बारे में इतनी स्पष्ट घोषणा होते हुये हमें यह देखना है क्या वास्तव में हमारे राज्य कर्मचारी वही कर रहे हैं जो हम उनसे आशा करते हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी की उपेक्षा हो रही है और अवश्य हो रही है। आज आप स्थानीय स्तर पर देखें, जिलों में निगाह डालें तो जितनी लोकल कमेटीज होती हैं, जितनी स्थानीय समितियां होती हैं उनकी कार्यवाही में कहूंगा केवल अंग्रेजी में ही लिखी जाती हैं और यदि केवल अंग्रेजी में नहीं लिखी जाती तो ९५ प्रतिशत अंग्रेजी में लिखी जाती हैं। क्या कारण है इस अवहेलना का, क्या कारण है इस उपेक्षा का जब प्रांतीय सरकार स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर चुकी है कि राज्यभाषा हिन्दी है? तो कब वह समय आयेगा जब उपसमितियों और समितियों की कार्यवाही हिन्दी में लिखी जायगी। नगरपालिकाओं ने एक कार्य अवधि निश्चित की थी, एक टाइम टेबिल निश्चित किया था और बताया था कि इतने काल में सारी नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को हिन्दी जान लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी निश्चित किया था कि इतने समय के बाद सारी नगरपालिकाओं और जिला बोर्ड सरकार को सूचित करेंगे कि उनके कर्मचारियों ने कितनी प्रगति हिन्दी जानने में की और उस राजाज्ञा के अनुसार १९५५ में हर नगरपालिका और जिला बोर्ड के कर्मचारी को केवल हिन्दी में कार्य करना चाहिये था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ इस माननीय सदन के सम्मुख निवेदन करना पड़ता है कि आज भी अधिकांश नगरपालिकाओं में काफी मात्रा में हिन्दी के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं में काम होता है। मैं तो बरेली के बारे में विशेषतया जानता हूं और निश्चित तौर से कह सकता हूं कि यह जो खर्चे लिखे जाते हैं चुंगी की चौकी पर या ऐसे और काम किये जाते हैं उसमें आधे से अधिक मात्रा में अब भी उर्दू का प्रयोग होता है जिससे जनसाधारण को असुविधा होती है। तो कोई यह प्रश्न उर्दू की उपेक्षा का नहीं है। प्रश्न तो सीधा यह है कि जब राजाज्ञा हो चुकी, यह घोषणा हो चुकी कि हिन्दी राजभाषा है तो कौन से कारण हैं कि वहां अब भी उर्दू प्रयोग में लायी जाती है?

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आप देखें, आज भी हमारे जिलाधीश, कमिश्नर या जो स्थानीय कर्मचारी होते हैं उनके बंगलों पर जो नये बोर्ड लगते हैं वह भी अंग्रेजी में लगते हैं। यह हिन्दी का उपहास नहीं तो क्या है। आज मैं निवेदन करता हूं कि जब तक इस ओर यह सदन कोई ऐसा संकल्प पारित न करे, हमारे प्रदेश में जब तक इस विषय में स्थानीय कर्मचारियों को सचेत न करे तो हमारी प्रगति बहुत धीमी रहेगी। इसकी परमावश्यकता है। अतः आज हम इस सदन में यह निश्चय करें, यह पारित करें कि सरकार अपने कर्मचारियों को यह आदेश दे कि हमने काफी समय दिया, सात आठ साल एक लम्बा काल होता है, उसमें अगर वह अपनी मनोवृत्ति को नहीं बदल सके तो उनको सचेत करना हमारा परम कर्त्तव्य हो जाता है।

[श्री जगदीशसरन]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खेद के साथ देखा है कि कभी-कभी कोई-कोई तो नौकरशाही के पुर्जे ऐसे हैं जो अब भी हिन्दी के प्रति उपहास की मनोवृत्ति रखते हैं। वह समझते हैं कि हिन्दी का इस प्रगति से चलाना एक उपहास का विषय है। वह समझते हैं कि हम गलती करते हैं। यह स्वाभाविक है कि वे लोग जिन्होंने हिन्दी प्रारम्भ में अध्ययन नहीं की उनको कुछ न कुछ कठिनाई होगी ही अपनी परम्परा से हिन्दी में आते हुये। लेकिन क्या यह आवश्यक नहीं कि इतने बड़े काल में वह उस कठिनाई का सामना करते हुये भी हिन्दी को सीखें। अभी इस सदन में माननीय परिपूर्णानन्द जी ने हमें बताया कि लंदन और जेनेवा में उनको खेद हुआ जब उन्होंने हिन्दुस्तानी कर्मचारियों को या विद्यार्थियों को एक दूसरे से अंग्रेजी में बात करते देखा। मैं केवल नम्रतापूर्वक इतना ही कहूंगा कि इस नग्न चित्र को देखने के लिये हमें लंदन या जेनेवा जाने के आवश्यकता नहीं है। आज आप लखनऊ में, अपनी राजधानी में जिस जगह हिन्दी की घोषणा हुई, जिस जगह माननीय सम्पूर्णानन्द आज मुख्य मंत्री हैं, जिस जगह माननीय कमलापति त्रिपाठी जैसे हिन्दी के अनन्य भक्त मंत्री हैं वहां पर अगर आप देखें कि घर के अन्दर भी, क्लब, जहाज, रेलवे को छोड़िये हवाई जहाज को दूर जाने दीजिये घर के अन्दर स्त्री, पुरुष, बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं। हमें शिक्षा मिलती है प्रारम्भ से कि छोटे-छोटे बच्चे ममी और पापा के नाम से सम्बोधन करें। अपने म ता पिता को प्रियतम और प्रिय इसका जिक्र ही क्या है। मेरा निवेदन है कि हमें एक मत से इस प्रस्ताव को पास करना चाहिये। इसके पारित करने से अधिक महत्व की बात यह है कि हमारी सरकार को सचेत करना चाहिये राज्य कर्मचारियों को कि अब समय आ गया जब कि उन्हें अपनी मनोवृत्ति बदलनी ही पड़ेगी, जब राजभाषा हिन्दी हो चुकी लेकिन उन्हें उसको करना ही पड़ेगा। मैं तो मान्यवर, इतना भी निवेदन करूंगा कि अब तो हमें न्यायालयों में भी हिन्दी को बढ़ाना पड़ेगा। आज हमारे न्यायालयों में जितने भी जजमेंट्स, फैसले या निर्णय न्यायाधीश लोग देते हैं या मैजिस्ट्रेट्स लोग देते हैं उसमें मैं समझता हूं ९८ प्रतिशत या ९९ प्रतिशत अंग्रेजी में देते हैं। हिन्दी का भंडार तभी भरेगा, हिन्दी की प्रगति तभी होगी जब विशेषज्ञ लोग, न्यायाधीश लोग, ऐडवोकेट्स, वकील आदि सब लोग हिन्दी में फैसला दें, हिन्दी में वाद-विवाद करें, हिन्दी में न्यायालय में आरगूमेंट्स हों, सम्बोधन हों, तभी हिन्दी का भंडार भरेगा। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आज वह समय भी आ चुका है जब कि हम इस तरफ भी पूरी तरह से ध्यान दें कि हमारे न्यायालयों में भी हिन्दी का प्रयोग हो। इन शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मुझे गुमान है और गर्व है कि मैं उस अंचल से आता हूं जहां पर हिन्दी का श्रीगणेश होता है। उस अयोध्यावासी के इलाके से आता हूं जिस अयोध्या में रामचन्द्र जी ने जन्म लिया था और उन्हीं के नाम पर रामचरितमानस की रचना महामना तुलसीदास जी ने की थी और उस जमाने में की थी जब मुगल राज्य का झंडा इस देश में लहरा रहा था। उस जमाने की हुकूमत में बसने वाले महात्मा तुलसीदास जी की महत्ता एक तरफ थी और दूसरी तरफ अकबर महान् की। यह दो महान् हस्तियां थीं हमारे हिन्दुस्तान में जब हिन्दी लहलहा रही थी और केवल हिन्दू के नाते नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने मुसलमान मित्रों से कि रसखान और अब्दुर्रहीम खानखाना ने जो सेवा की है हिन्दी की, उनके हिन्दू संस्कृति को मानने वाले सदैव ऋणी रहेंगे। रसखान ने लिखा है, जिस वक्त कृष्ण की महत्ता का वर्णन उन्होंने किया है—

"मानुष हों तो वहीं रसखानि, बसौं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन
जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरौं नित नन्द की धेनु मंझारन"

तो आज उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं जो कि हिन्दी और उर्दू का क्या-क्या नकशा उत्पन्न करके देश में विडम्बना उत्पन्न करना चाहते हैं। स्वार्थ में पड़कर लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जिस देश का साहित्य ऊंचा नहीं होता उसका कल्याण नहीं

हो सकता। जिस देश को मिटाना हो उस देश के साहित्य को मिटा दीजिये। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा हो चुकी है। सारे देश ने मिलकर निश्चय किया है, महान् नेताओं पंडित नेहरू, पंडित पंत, डा० सम्पूर्णानन्द, राजगोपालाचारी आदि बड़े-बड़े विद्वानों ने बैठ करके विधान को बनाया है और उस विधान ने निश्चय किया है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा होगी। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से क्षमा चाहूंगा अपने निवेदन के लिये वे चाहें सरकारी अफसर हों, चाहे वे सूबे के रहने वाले हों उनके सिर के ऊपर यह महान् कलंक की बात होगी अगर हिन्दी के प्लावित होने में, अगर हम किसी से एक कदम भी पीछे रहें तो मैं कहना चाहूंगा कि यह उनके मस्तक पर एक कलंक होगा। यह आज यहां आवश्यकता हुई इसके ऊपर विचार करने की यह विवाद आज इस सदन में हो इसके लिये हमें खुद शर्म आनी चाहिये। आज हम देश के और भागों से चाहें कि सब लोग हिन्दी सीख जायं और हम बैठकर के हिन्दी के ऊपर यहां बकवास करें यह हमारे लिये शोभा की बात नहीं। तो मैं निहायत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं सरकारी अफसरों से भी कि हिन्दी की पूजा की जाय, हिन्दी हमारी संस्कृति है और हिन्दी वह चीज है जो हमको एक सूत्र में बांधेगी। हमने कई सौ वर्ष गुलामी झेली थी, इसीलिये कि हम एक भाषा नहीं बोलते थे और एक दूसरे की विचारधारा को नहीं जान सकते थे। जब अंग्रेजी सारे देश ने सीखी तो अंग्रेजी में हम यूनाइटेड हुये और तब जाकर एक सूत्र में बंध सके। सन् १८८५ में जब कांग्रेस की नींव डाली गई तो लोगों ने अंग्रेजी में ही धाराप्रवाह बातें कीं वह एक ऐसी भाषा थी इस देश में जिससे कि केप कमोरिन से लेकर हिमालय की चोटी तक एक सूत्र में लोग बंध गये। वह हमारे यहां फूले फलें और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज हमारे देश ने यह निश्चय किया कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा रहेगी तो उसके उत्थान के लिये हम सब को आगे आना चाहिये। मैं राजा साहब के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं और अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहेंगे तो इस गाड़ी को चला सकेंगे। प्रत्येक भारतवासी के ऊपर भारत का नव-निर्माण निर्भर है। केवल महामना, पंडित नेहरू पर ही नहीं, केवल कांग्रेसियों पर नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतवासी के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि हम मेहनत करके अपने देश को ऊंचा उठाएं। पं० नेहरू ने एलान किया कि आराम हराम है, इसपर चलिये और इसमें हर एक को अपना योग देना है।

युद्ध की विभीषिका आज सारे संसार में दिखाई दे रही है, लेकिन जब तक भारत में शांति है हम अपनी हिन्दी की उन्नति कर सकते हैं। सरकार भी कान खोल कर सुनले। क्योंकि यह केवल अधिकारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, सरकार भी जिम्मेदार है। इसी सदन में जितने बिल आते हैं वह अंग्रेजी में भी और हिन्दी में दोनों में आते हैं। एक मामूली आदमी उसको ट्रांसलेट करता है। आप ऐसा आदमी अप्वाइन्ट करें जो कानून का पंडित हो और पूरा माहिर हो और हिन्दी का पंडित हो। उसको उस स्थान पर रखिये। क्या जरूरत है कि अंग्रेजी में हो और हिन्दी में हो। डबल खर्चा होता है, बेकार में पैसा खर्च होता है। सरकार इस पर भी ध्यान दे। अगर सही आदमियों को स्थान दिया गया तो मैं कह सकता हूं कि कोई वजह नहीं है कि हमारा हर एक नागरिक हिन्दी न सीखे। इतना ही नहीं, मुझे अनुभव है, ज्ञान है, स्वयं हिन्दी पढ़ा हुआ हूं। मेरे पास मुस्लिम विद्यार्थी आये हैं, जो हिन्दुओं से अच्छी हिन्दी जानते हैं और अच्छा ज्ञान रखते हैं।

वह दिन दूर नहीं है जब हमारे यहां फिर रहीम और रसखान पैदा होंगे। मुसलमानों पर यह झूठा दोष न लगाया जाय। मुसलमान गंवार नहीं है, वह खूब समझता है कि हमको इस राज्य में रहना है तो हिन्दी सीखनी होगी क्योंकि हिन्दी राजभाषा है। तो वह गाफिल नहीं है, द्रोही नहीं है। हां, उसको उर्दू से प्रेम है और हमको भी है। मैंने आगरे में सन् ४६ में मुसलमानों और मुस्लिम लीग से कहा था कि आप इस ताज और उर्दू को कहां छोड़ेंगे, मैं तो कहता हूं कि उर्दू हमारी है, उनकी नहीं है। उर्दू लखनऊ और दिल्ली के बीच में बोली जाती है, पंजाब और बंगाल में नहीं बोली जाती। आज पाकिस्तान में उर्दू के नाम पर बंगाली और पंजाबी की बहस चल रही है। उर्दू हमारे देश की भाषा है। हमको गुमान और गर्व है

[श्री शिवनारायण]

कि हमारी कायस्थ फैमिली सब उर्दू पढ़ी है, सब उर्दू और फारसी के पंडित हैं। हमने भी उर्दू पढ़ी। एक दिन शाहिद फाखरी साहब ने एक बड़ा लफ्ज बोल दिया, स्पीकर साहब ने कहा कि क्या कहा। मैंने कहा कि "जमा-उल-जमा" बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम यह बतला रहे हो, क्या तुम उर्दू जानते हो। मैंने कहा कि हां, मैं जानता हूं, बल्कि मैं परशियन भी जानता हूं। तो यहां किसी भाषा से द्वेष नहीं है, हिन्दी का प्रश्न है, हिन्दी को ऊंचा करना है। अभी आज ही राजगोपालाचारी ने कहा है कि हिन्दी सारे देश में फलेगी, फूलेगी, लेकिन कोई लिमिटेड समय न बांध दिया जाय हम किसी को बाउन्ड न करें, क्योंकि २० साल लगेंगे तब हिन्दी इंगलिश के स्टैंडर्ड पर आ जायगी और तब फलेगी और फूलेगी। लेकिन किसी भी राष्ट्र का उत्थान उसकी भाषा पर निर्भर है और अगर देश का कल्याण लोग चाहते हैं तो हिन्दी को ऊंचा रखें।

एक दिक्कत जरूर है कि आजकल जो टाइप मशीनें चली हैं मैं तो हिन्दी के प्रेमी होने के नाते कहूंगा कि वह विश्वासघात हो रहा है। बड़े बड़े विद्वान जो हिन्दी की नयी लिपि निकाल रहे हैं वे इसी में फख्र करते हैं। वे नहीं समझते कि हमारे पहले ही अक्षर जिस रूप में हैं वही सबसे अच्छे हैं और वही लिपि बिलकुल दुरुस्त है। संस्कृतमय हिन्दी बने तो बड़ा सुन्दर होगा, क्योंकि उसमें हमको धातु मिलेगी और उसका सही रूप मिलेगा। मुझसे एक मुसलमान विद्यार्थी ने पूछा कि इस शब्द का रूट क्या है तो मैं दंग ह ग 'ा कि यह कि ना लगा हुआ है उसको सीखने में। तो यह तभी होगा जब विशुद्ध संस्कृतमय हिन्दी होगी। मैंने नेशनल हेराल्ड में एक लेख पढ़ा था जिसमें उसने कहा था कि माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द उर्दू के खिलाफ बोले। मैं कहता हूं कि संस्कृत के बारे में जो बाबूजी ने कहा था वह ठीक कहा था। संस्कृत तो हिन्दी की जननी है। संस्कृत हमारे देश की परम्परा रही है। एक जमाना था जब यहां के सुग्गे संस्कृत बोलते थे। अभी तो ८ ही वर्ष स्वतंत्रता पाये हुये हुये हैं। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि विदेश में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं भी विदेश से आया हूं, वहां अंग्रेजी ही बोलता था। लेकिन जब अपने देश में आया तो हिन्दी सीखी क्योंकि यह हमारे देश की भाषा है। हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान, यह नारा हमेशा बुलन्द रहेगा। तो जो हिन्दी को नया रूप दे रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि बहुत लम्बी हिन्दी न लिखें, साधारण हिन्दी लिखें जिससे सबकी समझ में आ सके। मान्यवर, मैंने भारत के इतिहास को पढ़ा है। जिस वक्त पाली भाषा इस देश में थी तो भगवान् बुद्ध को अपने धर्म के प्रचार में बड़ा सुभीता मिला। उसे सब लोग आसानी से समझ सकते थे। बस्ती में माननीय कमलापति त्रिपाठी जब गये थे म्युनिसिपल एलेक्शन के चुनाव में तो पहले दिन उन्होंने इतनी विशुद्ध हिन्दी में भाषण दिया कि ५० प्रतिशत लोग नहीं समझ पाये। तो मैंने उनसे कहा कि पंडित जी, जरा सरल भाषा में बोलिये ताकि सर्वसाधारण समझ लें। तो दूसरे दिन उन्होंने सरल हिन्दी में भाषण दिया।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, माननीय सदस्य मेरी मूर्खता की प्रशंसा कर रहे हैं या पांडित्य की?

श्री शिवनारायण—मैं पंडित जी आपके पांडित्य की प्रशंसा कर रहा हूं मूर्खता की क्यों? तो पहले दिन उन्होंने इतनी क्लिष्ट भाषा बोली कि लोग दंग रह गये। फिर दूसरे दिन जब सरल भाषा में उन्होंने भाषण दिया तो सबकी समझ में आ गया। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर पूरा-पूरा ध्यान दे, क्योंकि इसी में प्रदेश और देश का कल्याण है।

***श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के सिलसिले में कि हिन्दी की क्या गरिमा है, क्या गौरव है, कैसा उसका उज्ज्वल इतिहास रहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, जहां तक मैं समझता हूं कोई विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प में माननीय रणंजय सिंह जी ने सीधा-सादा प्रश्न उपस्थित किया है कि अगर हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान चुके हैं तो इस प्रान्त में जहां पर खासतौर से हिन्दी ही बोली जाती है और श्रेय भी है, यहीं से उसका उद्गम होने का, कितना उत्साह उसको मिल रहा है, इसी को हमें स्पष्ट कर देना चाहिये। संविधान में एक मियाद बांध दिया गया है। इसके माने यह कदापि नहीं हो सकते हैं कि अंग्रेजी की जगह पर अगर जल्दी ही हम हिन्दी को उतने ऊंचे स्थान पर ला दें जो पहले अंग्रेजी का रहा है तो उससे यहां की कोई त्रुटि होगी या कोई रुकावट होगी संविधान में, यह अनुभव की बात है। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो संकल्प यहां पेश किया गया है तो यह उसके लिये उपयुक्त स्थान है या नहीं। यह भी हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी को पत्र लिख कर मतलब हल हो सकता है तो फिर संकल्प की क्या जरूरत है। मैं समझता हूं कि दूर-दर्शिता नहीं होगी। जितना समय तथा जितना स्थान मिले इस भाव को व्यक्त करने के लिये कि हिन्दी को जल्दी से जल्दी वह स्थान मिलना चाहिये जो पहले हमारे यहां अंग्रेजी को प्राप्त रहा है। इस प्रयास में हमें किसी प्रकार की रोकथाम नहीं करनी चाहिये, बल्कि कोशिश करनी चाहिये जल्दी से जल्दी हिन्दी को उन्नति मिल जाय।

आये दिन हम लोग राज से संबंध रखते हैं। जैसे एक सदस्य ने कहा है कि जिलों में जो समितियां होती हैं, जो हमारे अधिकारी हैं वह उपेक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि वह उपेक्षा करना चाहते हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं सब हमारे ही घराने के हैं, हमारे कुटुम्ब के ही हैं और देश को स्वतंत्र करने में वह सैनिक के रूप में नहीं रहे लेकिन उसमें फिर भी उनका सहयोग रहा है, उनके परिवार का रहा है। यह कह कर हम उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती होगी। जो ऊंचे ओहदे पर हैं उनका लालन-पालन तथा शिक्षा-दीक्षा सब अंग्रेजी में होती रही है, इस लिये वे मजबूर हैं। वे जितनी सरलता से अंग्रेजी में राजकाज का काम कर सकते हैं, उनके सामने हिन्दी में काम करने में दिक्कत होती है। यह भाव है, वह कुछ थोड़ा-सा मुकरते हैं। लेकिन जब यहां पर बड़े-बड़े हिन्दी के पंडित बैठे हैं और यहां के शासन की बागडोर अपने हाथ में लिये हुये हैं, फिर भी हिन्दी तीव्रगति से आगे न बढ़े यह कैसे हो सकता है। हो सकता है कि मदरास में रुकावट हो, हो सकता है कि बम्बई में रुकावट हो उनकी इच्छा है कि ३० वर्षों में हो, लेकिन हमारे यहां यह नहीं हो सकता है। संविधान कुछ रोक रखता है, लेकिन श्री कमलापति त्रिपाठी और डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के प्रांत में दस वर्ष पहले वह स्थिति पैदा हो जाय, आठ वर्ष पहले वह स्थिति पैदा हो जाय कि राष्ट्रभाषा हिन्दी को जितनी उच्च शिखर पर पहुंचाना है वह पहुंचा दिया जाय तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी।

आज हमारे रणंजय सिंह जी आगे बढ़े हैं और उन्होंने हमारा पथ-प्रदर्शन किया है कि हिन्दी की गति किस प्रकार से बढ़नी चाहिये। वह एक रास्ता बतलाते हैं कि जो राजकाज करते हैं उनको सचेत कर दिया जाय, कर्मचारी मंदगति से चल रहे हैं, उनको और तीव्रगति से चलना चाहिये। यह संकोच होता है जब डी० एम० अपने स्टेनो को मीटिंग की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में लिखवाता है। अगर वह अंग्रेज होता या हिन्दी न जानता होता या उसका कुटुम्ब अंग्रेज होता, वह लिख देता तब तो बात दूसरी थी। हम लोग बैठे होते हैं तब यह अच्छा मालूम नहीं होता, अगर उनका अंग्रेजी में इम्तहान होता कि वह माहिर हैं या नहीं तो कोई चिन्ता नहीं थी। आज हमारी गति मंद और तीव्र गति के बीच में है। हमारी ख्वाहिश है कि हिन्दी की गति तीव्र हो। लिहाजा हमें सब राज का काम हिन्दी में करना है। अगर हमारा कार्य ठेठ भाषा में हो जाय तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। हमारे एक प्रोफेसर साहब ने एक कोष बनाया और उन्होंने शब्द भी रखा लेकिन उसको नहीं माना गया। हम अभी तो एक्सपेरीमेंट की हालत में हैं। इस वक्त हम ऐसी संदिग्ध अवस्था में आ गये हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन-सा कोष हमारे लिये लाभदायक होगा और कौन नहीं? जितने बिल हमारे बनते हैं अगर उनको देखा जाय तो ताज्जुब होता है। उनका अनुवाद समझ में आने वाली

[श्री रामकुमार शास्त्री]

चीज नहीं होती। डिसआर्मामेंट का अनुवाद निशस्त्रीकरण किया गया। एक शब्द 'निलंबित' प्रयोग किया गया जिसका कुछ अर्थ नहीं समझ में आता। यदि इस शब्द को पापुलर बनाना है तो उसकी अंग्रेजी भी कोष्ठक में लिख दी जाती। तो मुझे इस सिलसिले में इतना ही कहना है माननीय मंत्री जी से, जो बैठे हैं और जिन पर ज्यादा भार है, चाहे यह भार उनको सौंपा न गया हो लेकिन यहां के निवासी समझते हैं कि जिस सदन में पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसे प्रगाढ़ विद्वान् हों, ऊंचे दर्जे के पत्रकार हों और साथ ही साथ डाक्टर संपूर्णानन्द जी जहां बैठे हों, वह देखे कि उनके सदन में हिन्दी की क्या गति होती है और उसे लोगों को समझने में कितनी दिक्कत होती है। वह देखे कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों को किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है इलाहाबाद में। वहां उनको क्या हिन्दी की इब्तदाई ट्रेनिंग दी जाती है। मैं इस संकल्प के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बजाय इसके कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा दी जाय, पहले यह उचित होगा कि उनको यह सिखाया जाय कि किस भाषा में उनको शासन का कार्य करना है। इसकी ट्रेनिंग पहले उनको दी जानी चाहिये। बहुतेरों को तो हिन्दी में दस्तखत करने भी नहीं आते। बहुत से हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ऐसे भी हैं कि जो प्रश्नों का उत्तर पढ़ते हैं तो वह सुनने वालों को आश्चर्य होता है कि आखिर कैसे उनको राजकाज का भार दिया गया। उनको हमारे प्रश्नों को पढ़ने में दिक्कत होती है। यह भी होता है कि वे उर्दू में प्रश्न का उत्तर लिख कर ले आते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है। मैं चाहता हूं कि इस दर्जे पर वही व्यक्ति आये कि जो यहां की राजभाषा है उसको अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले और लिख ले। यह कहा जाय अगर कि यह प्रदेश मे हिन्दी की उन्नति हो रही है, मैं ठीक नहीं समझता। माना कि हमारे यहां पंचायतों में बहुत से पंच और सरपंच ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जिनको देख कर आश्चर्य होता है कि उन्होंने थोड़े ही समय में ऐसी हिन्दी का प्रयोग किया, लेकिन यह प्रयोग हिन्दी का दूसरे प्रान्तों के लिये संतोषजनक हो सकता है, उत्तर प्रदेश के लिये यह संतोषजनक प्रगति नहीं है। इसलिये मैं इस संकल्प की ओर सरकार का और अपने माननीय मंत्री जी का, जिनको कि हिन्दी से बहुत प्रेम है, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सूचना विभाग के कुछ कागजों को देख कर हम लोगों को चकित नहीं हो जाना चाहिये कि हिन्दी की बहुत उन्नति हो रही है, बल्कि हमें गांव में जाकर देखना चाहिये, उन कालेजेज में जाकर देखना चाहिये, सरकारी दफ्तरों और सेक्रेटेरियट में जाकर देखना चाहिये कि जहां की वेषभूषा अंग्रेजी बनी हुई है और जो हिन्दी बोलने में शर्माते हैं। वे अपने रिश्तेदारों से मिलने में संकोच करते हैं। यह राज भाषा की उन्नति है। ऐसे लोग रेस्टोरेन्ट में जाकर हिन्दी बोलने में हिचकते हैं। जहां का उदाहरण दिया गया है और जो लोग लन्दन और स्विट्जरलैन्ड की बात करते हैं उनके अलावा हमने भी यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रखी है। अगर गया नहीं हूं तो सुन चुका हूं। लंदन में नहीं अपने घर में, बनारस में, बस्ती में जहां-जहां भी समितियों में जाने का मौका मुझे मिला है मैंने देखा है कि आपके अफसरों ने यहां ही लन्दन कायम कर रखा है। मंत्री लोग यदाकदा उन समितियों में जब बैठ जाते हैं तो उनके सामने यह सारा उपहास होता है। तो इस संकल्प के लिये मैं अधिक समय न लेकर रणंजय सिंह जी को बधाई देता हूं कि वे इस प्रकार का संकल्प लाएं। समय-समय पर हमको हैमरिंग करने की जरूरत है। संकल्प को पास करने की जरूरत है और इस भाव की आवश्यकता है कि हिन्दी की गति मन्द है, वह तीव्र होनी चाहिये। कम से कम उत्तर प्रदेश में यह भावना पैदा होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश में यह वातावरण पैदा कीजिये क्योंकि यहां के और लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। राजगोपालाचार्य जी का उदाहरण दिया गया और दूसरे उदाहरण दिये गये, मैं तो निवेदन करता हूं कि आप उदाहरण दीजिये कमलापति त्रिपाठी जी का। अगर इस कार्य में मन्द गति होती है तो उसके लिये उनको ही बदनामी मिलती है। हमारा कर्त्तव्य है कि किसी प्रकार से भी इस काम को आगे बढ़ाने में उनके नाम पर धब्बा न आने दें। इस प्रकार ही हमारा वह कर्त्तव्य उचित और पूरा हो सकता है और तरह से नहीं हो सकता। बस इतना ही मुझे इस संकल्प के संबंध में सदन के सामने निवेदन करना था।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २३ मिनट पर अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रणंजय सिंह जी ने जो संकल्प उपस्थित किया है राज्य भाषा के प्रयोग के संबंध में, मैं उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। संकल्प, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता माननीय रामकुमार जी शास्त्री ने कहा, एक बहुत सीधासादा जो हमारे प्रदेश की राज्य भाषा तथा सारे देश की राष्ट्रभाषा है, उसके प्रयोग के बारे में है जिसकी ओर अब तक पूरे तौर से ध्यान न दिये जाने के कारण ही सरकार का ध्यान दिलाने के लिये है। इसके प्रसंग में हिन्दी राज्य भाषा हो या उर्दू रीजनल भाषा हो, ऐसी कोई बात कहना मैं समझता हूं, कुछ अप्रासंगिक सा है। इसलिये और भी कि सन् ५० में संविधान की घोषणा करते हुए हमारे देश में हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया गया है तथा हमारे प्रदेश ने तो उससे भी पहले राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन की अध्यक्षता में हिन्दी को राज्य भाषा स्वीकार कर लिया था। परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे प्रदेश में ही कुछ व्यक्ति उर्दू भाषा की सुरक्षा की आड़ में अपनी साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का प्रचार करते हैं और हिन्दी के प्रश्न को राज्य भाषा या राष्ट्र भाषा न मान कर कुछ अपनी भूल के कारण साम्प्रदायिक मानते हैं। यह संकल्प पिछली बार भी गैरसरकारी विवाद के दिन चला था और आज भी चल रहा है जिसमें स्पष्टतः यह है कि राज्य का कार्य अंग्रेजी में न होकर हिन्दी में पूर्ण रूप से हो। इस संकल्प के समर्थन में किन्हीं भी ऐसे माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त नहीं किये जो उर्दू की बातें कहा करते हैं। इस लिये मैं समझता हूं कि हिन्दी के राज्य भाषा के अतिरिक्त जो बातें यहां पर कही गयीं वे असंगत सी हैं।

जहां तक संकल्प का प्रश्न है प्रस्तावक माननीय रणंजय सिंह जी ने तथा माननीय सीताराम जी शुक्ल और माननीय रतन लाल जैन ने अपने संशोधनों के द्वारा सरकार से इस बात की आशा की है कि सरकार, जिसमें माननीय मंत्रीगण, माननीय उपमंत्री, सभा सचिव तथा समस्त प्रदेशीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं, इसकी ओर पूरा ध्यान दें और जितना भी कार्य सरकार का होता है, उसे, ऐसी अनिवार्यता की दशाओं को छोड़ कर जब कि हमारा पत्र-व्यवहार केन्द्र से अथवा अन्य देशों से होता है, हिन्दी में करें। अब इतने समय के बाद भी आज संकल्प के आने और उस पर विचार करने की आवश्यकता क्यों हुई? यह वास्तव में सोचने की बात है। आरम्भ में अवश्य ऐसी कठिनाई थी कि लोग हिन्दी के अभ्यस्त नहीं थे इसलिये कुछ असुविधा होती थी, लेकिन आज भी अगर यही असुविधा हमारे मार्ग में रोड़े के रूप में आये तो यह एक विचारणीय प्रश्न है कि आखिर कब तक यही बाधायें हमारे बीच में आती रहेंगी। जैसा कि मुझ से पहले कई माननीय वक्ताओं ने कहा कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी और माननीय कमलापति जी त्रिपाठी जैसे हिन्दी प्रेमी और हिन्दी के पोषकों के हाथ में सरकार की बागडोर होने पर यदि आज भी प्रदेश के तमाम पत्र जिलों के कार्यालयों को हिन्दी में न जायं और वहां से भी तमाम पत्र स्थानीय समितियों के सदस्यों तक को हिन्दी में न जायं तो फिर उनके अतिरिक्त और इस कार्य को कौन कर सकेगा। आज चाहे सूचना विभाग का तमाम कार्य हिन्दी में होता हो या और कुछ थोड़े से विभागों में होता हो लेकिन यह प्रगति पर्याप्त तो नहीं है। इसके अलावा कुछ सरकारी कर्मचारी तो इस तरह की बात करते हैं कि वे हिन्दी का प्रयोग करते हैं परन्तु एक उपहास के रूप में।

मेरी एक विभाग के अधिकारी से एक बार बातचीत हुई। उन्होंने अपने यहां एक साइनबोर्ड या सूचनापट्ट लगाया जिस पर लिखा था 'अध्यक्ष राजकीय उद्यान विभाग' वह कार्यालय है गार्डन आफिसर का, उन्होंने अफसर के लिए शब्द "अध्यक्ष" का प्रयोग किया। उनको फिर बतलाया गया कि अध्यक्ष तो किसी संस्था के चेयरमैन या प्रेसीडेंट के लिये आता है अफसर के लिए नहीं। उन्होंने कहा नहीं यही सही है। हमारे पास एक विभाग से पत्र गया उसमें पता

[श्री कृष्णशरण आर्य]

लिखा था हिन्दी में, हिन्दी में लिखना अच्छी बात है लेकिन डाकिए के पास या किसी विशेष आदमी के पास अगर वह पत्र जाय तो वह यही समझेगा कि उत्तर प्रदेश के राजकीय विभागों से ऐसी भाषा लिखी जाती है, उसमें जो भाषा लिखी हुई थी वह ऐसी थी कि आरम्भ का पढ़ने वाला विद्यार्थी भी वैसी हिन्दी न लिखेगा। इस ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और जब तक कि हम हर पत्र के संबंध में और हर प्रसंग में जानबूझ कर इस ओर ध्यान न देंगे, एक चिन्ह बनाकर न चलेंगे, तब तक मैं समझता हूं, इस विषय में हमें पूर्ण सफलता प्राप्त न हो सकेगी। साथ ही इसके मैं कहना चाहता हूं कि न्यायालयों में भी हिन्दी का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यह तभी हो सकता है जब कि प्रदेश का जो केन्द्र है, यहां से भी इस प्रकार के आदेश निकलें। उदाहरणार्थ आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के संबंध में जो नियम हैं उनमें है कि इस पद के लिए वही नियुक्त किया जाय जो हिन्दी पढ़ने लिखने के योग्य हो, परन्तु जहां की मिसाल मेरे सामने है, वह वहीं की है जहां का मैं रहने वाला हूं यानी रामपुर की, ४ साल पहले एक सज्जन को वहां की कमेटी की सिफारिश पर आनरेरी मैजिस्ट्रेट प्रदेशीय सरकार ने बनाया था और उनके लिये हिन्दी न जानने की छूट दे दी थी क्योंकि वह रामपुर रियासत के थे जहां की राज्यभाषा उर्दू थी, परन्तु चार वर्ष तक भी उन्होंने अपनी नियुक्ति के समय अपने दिये गये आश्वासन के विपरीत हिन्दी का एक शब्द भी नहीं सीखा और आज बिना समिति की सलाह के प्रादेशिक सरकार की ओर से उनको स्पेशल मैजिस्ट्रेट बना दिया गया। तो क्यों वे इस बात की इच्छा करेंगे कि हिन्दी की ओर ध्यान दें और क्यों न वे अपनी कचहरी में हिन्दी में दिये जाने वाले प्रार्थना पत्रों को फाड़ कर फेंक दें जैसा कि उन्होंने प्रायः किया है। जैसा मुझसे पहले माननीय सदस्य ने कहा कि यहां पर भी प्रश्नों के उत्तर जब पढ़े जाते हैं तो वह विभाग से हिन्दी में आते हैं लेकिन उनको पढ़ने वाले सज्जन उर्दू में लिखकर लाते हैं। इससे स्पष्टतया प्रतीत होता है कि वे हिन्दी नहीं जानते और न पढ़ते हैं। इसी सदन में जो पूर्व उपाध्यक्ष थे माननीय नफीसुल हसन साहब उन्होंने भी हिन्दी आरम्भ में नहीं पढ़ी थी परन्तु सदन में उस वक्त जब उन्होंने यहां अध्यक्षता की तो सब लोगों ने देखा कि वे कितनी सुन्दर हिन्दी पढ़ते और लिखते थे। तो यह बात नहीं है कि आगे की आयु में चल कर पढ़ा नहीं जा सकता है, हर समय पढ़ा जा सकता है परन्तु तभी जब पढ़ने की इच्छा हो, भावना हो। तो इस संकल्प द्वारा जहां तक मैं समझता हूं जो लक्ष्य है वह यही है कि सरकार और सरकार से संबंधित सारे व्यक्ति इस ओर ध्यान दें कि हमारे प्रदेश का वातावरण कम से कम समय में पूर्णतः हिन्दीमय हो जाय और जब सरकार इस ओर ध्यान देगी तभी निश्चय रूप से जो हमारे यहां की जनता है वह भी प्रोत्साहित होगी तथा हिन्दी का पूर्णतः प्रयोग करेगी और यह प्रमाणित कर देगी कि राष्ट्रभाषा का संकल्प हमें केवल पास ही नहीं करना था अपितु हमारे प्रयोग में भी हिन्दी और केवल हिन्दी ही है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं चाहता तो नहीं था कि इस विवाद में हिस्सा लूं, लेकिन माननीय शिवनारायण जी ने एक ऐसी बात कह दी जिसके कारण मुझे इस सदन का कुछ समय लेना पड़ा। माननीय शिवनारायण जी ने अपने भाषण के दौरान में यह कहा कि इसमें क्लोजर नहीं मूव करना चाहिये था तो शायद इससे मेरा मंशा था कि मैं विवाद इस लिये न होने दूं कि मैं हिन्दी का विरोधी हूं। मेरा कतई यह आशय नहीं था। मैंने कुछ कारणों से क्लोजर मूव किया। पहला तो यह है कि इस पर डेढ़ दिन तक विवाद हो चुका था। दूसरा कारण यह कि जितने भी माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया किसी ने भी इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, सभी ने इसका समर्थन किया। तीसरे यह कि जब कि कोई विरोध होता है तभी उस पर बहस को बढ़ाने की जरूरत होती है और अगर कोई विरोध नहीं है तो खाली हम यहां पर खड़े हो कर अपने करिश्में दिखायें और सदन का समय बरबाद करें इसके अलावा दूसरी चीज होती नहीं है। चौथी चीज यह कि हिन्दी के महत्व को हम माननीय कमलापति जी और माननीय सम्पूर्णानन्द जी को जो हिन्दी के प्रकांड विद्वान् हैं उनको समझाने

की कोशिश करना कि साहब हिन्दी का यह महत्व है तो मैं समझाता हूं उचित नहीं होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि वह लोग खुद ही इतने विद्वान हैं कि हिन्दी का महत्व क्या है इसको समझते हैं लेकिन फिर भी जैसी सरकार की आदत है वह अपनी आदत से मजबूर है कि महत्व को समझते हुये भी अपने अधिकारियों से हिन्दी में वे काम नहीं ले पा रहे हैं। इसका कारण तो वे ही जब बोलेंगे बतायेंगे। लेकिन हमारी जो धारणा है वह यह है कि उसके महत्व को समझते हैं तो अपने अधिकारियों से हिन्दी में काम लेना चाहिये। मैं हिन्दी का समर्थक हूं और वह इन कारणों से कि हिन्दी एक ऐसी भाषा है कि उसकी जो देवनागरी लिपि है वह एक ऐसी लिपि है कि हम जो भी लिखेंगे पढ़ेंगे, जहां तक मेरी जानकारी है इस किस्म की कोई भाषा नहीं कि जो लिखें वही पढ़ें, उसको इधर से उधर भी पढ़ सकते हैं।

दूसरी चीज यह है कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है हमारे देश में जहां पर भिन्न-भिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं अगर आपस में बात करनी हो तो हिन्दी ही में एक दूसरे की बात समझ सकते हैं या कह सकते हैं। हमारे देश में हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो मीडियम आफ एक्सचेंज हो सकती है। इस तरह से हिन्दी का बहुत बड़ा महत्व है।

तीसरे यह कि हिन्दी की जो वर्णमाला है वह बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से रक्खी गई है और इस किस्म का वैज्ञानिक रूप किसी भी भाषा की वर्णमाला का नहीं है। उसकी वर्णमाला पर हम आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जितने भी उसमें अक्षर हैं वे अक्षर इस तरह से सजाये गये हैं कि कंठ से शुरू होकर ओंठ तक आते हैं। जैसे "क, ख, ग, घ, ङ" ये सब अक्षर कंठ से बोले जाते हैं। उसके बाद के जो अक्षर होते हैं वे तालू से बोले जाते हैं जैसे "च, छ, ज, झ" उसके बाद के अक्षर दांतों के नीचे से बोले जाते हैं जैसे "त, थ, द, ध और न" और उसके बाद के अक्षर ओंठ से उच्चारण से किये जाते हैं जैसे "प, फ, ब, भ और म"।

चौथे श्रीमन्, हिन्दी का रूप इस तरह से रक्खा जाय जो कि आम इस्तेमाल में बोली जाती हो और ऐसी भाषा न रक्खी जाय जो बहुत क्लिष्ट हो। जैसे श्रीमन्, सरकारी गजट निकलता है उसको आम जनता नहीं समझ सकती। कभी-कभी तो हम लोगों को भी समझने में दिक्कत होती है। लिहाजा इस किस्म की भाषा का प्रयोग करना उचित होगा जो आम भाषा हो और भाषा ऐसी न होनी चाहिये जो छुआछूत का भेदभाव मानती हो। दूसरी भाषाओं के जो शब्द होते हैं उनको भी हिन्दी में लेना चाहिये। हम तो यह चाहते हैं कि हिन्दी भाषा में इतनी ताकत हो कि वह दूसरी भाषाओं के शब्द अपने में हज्म कर सके। इस तरह से हिन्दी भाषा का रूप बहुत साधारण होना चाहिये। जैसे, श्रीमन्, ट्रेन है। ट्रेन एक ऐसा शब्द है जिसे देहात के सब लोग समझते हैं लेकिन ट्रेन की जगह लौह पथ गामिनी या मेल की जगह "झंझावत लोह पथ गामिनी" इस्तेमाल किया जाय तो उसे कोई नहीं समझ सकता। टिकट की जगह "आवागमन मार्ग प्रमाण पत्रिका" और टिकट बाबू की जगह "आवागमन मार्ग व्यय प्रमाण पत्रिका विक्रेता महोदय" इस्तेमाल किया जाय तो यह एक ऐसी चीज हो जायगी जो कि हिन्दी के लिये और हमारे देश के लिये अच्छा न होगा। जो शब्द आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को हमें लेना चाहिये। इसको विचार कर नहीं कि साहब यह दूसरी जगह की भाषा के शब्द हैं बल्कि यह विचार कर कि जनता जिस चीज को जानती है, हमेशा जिसका प्रयोग करती रही है उसी को हमें लेना है। इसलिये श्रीमन्, ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इस लिये ज्यादा मुझे किसी को कुछ समझाना नहीं है। कमलापति जी को मैं समझाऊं तो यह मेरी मूर्खता है। हिन्दी का क्या महत्व मैं उन्हें समझाऊं। महज सरकार से इतना निवेदन है कि जब सरकार इसका महत्व समझती है और जिस सरकार में कमलापति जी और सम्पूर्णानन्द जी जैसे विद्वान् मौजूद हों, उसके महत्व को समझने के साथ-साथ उनका यह भी फर्ज हो जाता है कि जो सरकार के अधिकारी हैं उनसे कहें कि जितना भी काम हो हिन्दी में होना चाहिये और हिन्दी में ही काम करके मैं समझता हूं वे देश का उत्थान कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं रणंजयसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव श्री रणंजय सिंह जी ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। हमारे राष्ट्र के सामने, जैसा कि अनेक राष्ट्रों के सामने भाषा संबंधी समस्यायें रही हैं, हमारे देश के सामने भी भाषा की एक महान् समस्या है। किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के ऐक्य और संगठन के लिये एक भाषा की आवश्यकता हुआ करती है। हमारे देश में भी हमको एक भाषा चाहिये, इस संबंध में मैं समझता हूं कि कोई ज्यादा मतभेद नहीं हो सकता। वह भाषा कौन सी हो सकती है, जो हमारे देश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक एक संगठन स्थापित करे? मैं समझता हूं कि एक समय था जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो हवाई विचारों में उड़कर यह सोचा करते थे कि अंग्रेजी हमारे देश की, राष्ट्र की भाषा हो सकती है। लेकिन एक बड़े प्रयत्न के बाद मैं समझता हूं, सौ दो सौ वर्ष के प्रयत्न के बाद भी अंग्रेजी भाषा उस स्तर से नीचे नहीं उतर सकी, वह ऊपर के स्तर में ही रही और आम जनता तक उस भाषा का प्रवेश नहीं हो सका। यह आप भी जानते हैं, आज जो भी लोग यह समझते हैं या जो भी इस बात पर खयाल करते हैं कि अंग्रेजी हमारी राष्ट्र भाषा हो सकती है मैं समझता हूं कि इस देश में ऐसे व्यक्ति अधिक नहीं हैं।

आज भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी के काम को बढ़ाना चाहते हैं। वे समझते हैं कि हमारे संविधान में हमने निश्चय किया कि हिन्दी अंग्रेजी का पूर्ण स्थान १५ वर्ष में ले लेगी, आज देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो उस समय को बढ़ाना चाहते हैं। तीस साल बढ़ाना चाहते हों, शायद कुछ और भी ज्यादा बढ़ाने की दिल में सोचते हों। परन्तु यह निश्चय है कि यह वह भी कहने का साहस नहीं करते कि अंग्रेजी कभी हमारे देश की भाषा हो सकेगी। मैं समझता हूं कि इस देश में कोई भी विचार नहीं है कि हमारे देश में अन्त में हिन्दी को ही राष्ट्र भाषा नहीं बनाना है।

हिन्दी कोई धर्म की भाषा नहीं है। आप जानते हैं हिन्दुस्तान, हिन्द की जो भाषा हो सकती है वह हिन्दी है। हिन्दी सभी धर्मों की भाषा है और हिन्दी के इतिहास से जो परिचित हैं, उन्हें यह भली प्रकार विदित है कि बहुत पुराने काल में भी हिन्दी में जो बड़े-बड़े मुस्लिम कवि और लेखक हुये हैं, आज मैं उनके नामों का जिक्र इस सदन में और उन्होंने क्या लिखा है अधिक नहीं करना चाहता। परन्तु रहीम, खुसरो, नजीर और दूसरे मुसलमान हिन्दी के बड़े कवि और लेखक हुए हैं। मैं समझता हूं कि आप सभी उनके कार्यों से परिचित हैं। आज भी हिन्दी के अनेक मुसलमान लेखक हैं, जिनकी कृतियां आज भी हमारे सम्मुख हैं और बड़ी उच्च श्रेणी की कृतियां हैं। तो यह कहना उसको इस रंग से देखना कि वह किसी विशेष मजहब की, किसी धर्म की या सम्प्रदाय की भाषा है, मैं समझता हूं यह गलत बात है। तो इसलिये इस आधार पर जो कोई भी प्रिजुडिस हो, जो कुछ भी विरोध हो, मेरे खयाल से उसका अन्त होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि वह किसी क्षेत्र की भाषा भी नहीं है। आज हिन्दुस्तान में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि हिन्दी को लोग नहीं समझ सकते हैं। अभी थोड़े दिन हुये कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में दक्षिण भारत की भी मैंने यात्रा काफी की और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि कोई भी शहर ऐसा मुझे नहीं मिला जहां कि साधारण हिन्दी से मेरा काम न चल जाता हो। तो हिन्दी को एक क्षेत्र की भाषा भी कहना एक गलत चीज है। मैंने कभी-कभी हिन्दी साम्राज्यवाद की बात सुनी है, कुछ लोगों से मैंने बातचीत की आंध्र में भी, और दूसरे दक्षिणी भारत के नगरों में और मैंने उनसे यह बात जानने की कोशिश की कि आखिर में यहां से हिन्दी का विरोध क्यों होता है। तो मैंने तो जब अन्त में कुछ पढ़े लिखे लोगों से कुछ ज्यादा चर्चा करने की कोशिश की तो मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि यह हिन्दी का विरोध शायद देहली के सेक्रेटेरियट और कुछ ऐसे ही लोगों के जरिये से उत्पन्न होता है। कुछ लोगों ने तो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझसे साफ-साफ कहा कि हिन्दी के साम्राज्यवाद के मतलब यह हैं कि अगर हिन्दी राष्ट्रभाषा हो गई और सरकार में उसका पूरा रूप आ गया तो उससे उन प्रदेशों और उन लोगों को एक आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है जो कि हिन्दी प्रदेश हैं। मेरा खयाल यह है कि यह विचारधारा गलत है।

हिन्दी एक ऐसी भाषा है जिसको कि बड़ी सुगमता से लोग सीख सकते हैं और आज भी जिन को यह भय है कि हिन्दी का दिल्ली के सेक्रेटेरियेट में अगर प्रचार हो गया तो कुछ प्रदेश के शिक्षित लोग उससे पिछड़ जायेंगे मेरे खयाल से गलत है, और खासकर मद्रास और आंध्र के दूसरे लोगों के संबंध में मैं कह सकता हूं कि उनमें शासकीय क्षमता और उनमें शासकीय गुण ऐसे हैं कि उन्हें इस बात से नहीं डरना चाहिये कि हिन्दी का अगर वहां प्रचार होगा तो वह पिछड़ जायेंगे। मेरा खयाल यह है कि हिन्दी के रहते हुये भी उन्हें वह उपयुक्त स्थान प्राप्त होगा जिसके कि वह योग्य हैं। मेरा खयाल यह है कि मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूं दक्षिण के लोगों से और उनमें जो शासकीय क्षमता है उससे। इसलिये मेरा खयाल है कि उनमें जो हिन्दी के साम्राज्य-वाद की एक गलत धारणा पैदा हुई है, वह गलत है और उनको इससे भय करने की कोई आव-श्यकता नहीं है। मुझे तो दुख होता है, आगरा कालेज का और दो एक संस्थाओं की प्रबन्ध समिति आदि में भी मैं हूं। एक बार मैंने इस बात पर विरोध किया कि आगरा कालेज जैसी संस्था की प्रबन्ध समिति का कार्य अंग्रेजी में हो। अंग्रेजी में ही वहां पर आपस में वादविवाद हो, विचार विनिमय हो और उसकी प्रोसीडिंग्स अंग्रेजी में रखी जायं। मुझे तो आश्चर्य हुआ, हमारे अपर हाउस के एक सदस्य जो बहुत बड़े विद्वान भी हैं उन्होंने इस बात का बहुत सख्त विरोध किया कि नहीं हमको तो कार्य की उपयुक्तता के लिये यह आवश्यक है कि हम अंग्रेजी में ही यहां विचार विनिमय करें। हमारी यह एक मानसिक प्रवृत्ति जो हमारे घरों में भी प्रवेश किये हुये है और मुझे दुख होता है, जब मैं यह देखता हूं कि हमारे शिक्षित, पढ़े लिखे लोग आज भी अपने घरों में स्त्रियों और बच्चों से अंग्रेजी में बातचीत करना एक गौरव की बात समझते हैं, तो मेरा खयाल यह है कि इस हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिये और छोटे-छोटे बच्चों के लिये जो कान्वेंट स्कूल हैं और जो मांटेसरी पद्धति पर निर्धारित स्कूल हैं उनमें जो आज अंग्रेजी बनी हुई है वह मैं समझता हूं देश के लिये बड़ी खतरनाक है। मैं मानता हूं कि अभी हम अंग्रेजी को छोड़ न सकें, लेकिन अपने छोटे-छोटे बालकों को शुरू से ही अंग्रेजी की पद्धति में डालना बहुत गलत है और देश के लिये एक भय की चीज है। अब इस प्रवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिये और ऐसे स्कूलों की जगह हिन्दी मांटेसरी पद्धति पर चलने वाले, हिन्दी में कार्य करने वाले स्कूलों का बाहुल्य हमारे देश में होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस पर हमारी सरकार भी ध्यान देगी।

अब कुछ और समस्यायें हैं। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में, हमने कहने को मान लिया कि हिन्दी में काम हो, लेकिन यह सत्य है कि सरकारी पत्र-व्यवहार में तीन चौथाई पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में होता है और न्यायालयों में ज्यादा व्यवहार अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में होता है। तो इसमें परिवर्तन होना चाहिये।

एक बात मैं यहां और कहना चाहता हूं। जो लोग उर्दू को एक क्षेत्रीय भाषा बनाने की बात कहते हैं, मेरा खयाल है कि वे उर्दू के लिये एक गलत रास्ता, एक गलत चीज पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे उर्दू को लाभ नहीं होगा। वास्तव में अगर आप देखें तो हिन्दी उर्दू में कोई भेद नहीं है। लिपि में भेद अवश्य है। ज्यादातर साधारण क्षेत्र और साधारण जनता में जिस भाषा का व्यवहार होता है हम उसको कोई भी भाषा कहें—चाहे उर्दू कहें या हिन्दी कहें उसमें समता है, बहुत कुछ एकपन है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको कि हम क्षेत्रीय भाषा बनाकर उर्दू को उसमें सीमित करना चाहते हैं? हिन्दी न हिन्दुओं की भाषा है, न मुसल-मानों की भाषा है। न उर्दू को ही कहा जा सकता है कि यह मुसलमानों की भाषा है या हिन्दुओं की भाषा है।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

आप जानते हैं कि उर्दू में भी हिन्दी के बड़े-बड़े कवि और शायर हुये हैं, बड़े-बड़े लेखक हैं। हिन्दुओं ने उर्दू में भी बहुत बड़ा काम किया है। तो मेरा खयाल यह है कि हिन्दी उर्दू के झगड़े को आगे न बढ़ाकर समाप्त करना चाहिये। दोनों भाषाओं में कोई बड़ा खास फर्क नहीं है और खासतौर से जब यू० पी० से बाहर निकल कर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो देखते हैं कि हिन्दी उर्दू एक ही भाषा के रूप में आती है, अन्य किसी भाषा के रूप में नहीं आती है। अब सवाल यह किया जाता है कि अगर हिन्दी को हम यहां पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा मान लेंगे, शासन में भी उसको पूरा स्थान दे देंगे तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगों में हमको कठिनाइयां पैदा होंगी। वहां तो हमको अंग्रेजी को ही रखना आवश्यक है। तो मेरा खयाल यह है कि अब लाल बत्ती हो गयी है, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझको एक दो और सजेस्शन्स देने हैं।

मेरा खयाल यह है कि जो लोग हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं उनको काफी उदार होना चाहिये, क्योंकि अधिक रिजिड होने से उस का एक रियेक्शन, एक प्रतिक्रिया होती है। आप उससे हिन्दी को लाभ नहीं पहुंचाते, नुक्सान ही करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम हिन्दी को उपयोगी भाषा बनायें, उपयुक्त भाषा बनायें, उसके लिये मैं माननीय त्रिपाठी जी को एक सुझाव देना चाहता हूं।

अधिष्ठाता----आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठ जाइये।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सर्व प्रथम अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि माननीय प्रस्तावक महोदय को इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये बधाई दूं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा अवसर इस सदन को दिया ताकि सदन के सम्मानित सदस्य इस पर अपने विचार प्रकट कर सकें। वर्षों की बात है कि हमने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि इस प्रदेश की राज्य भाषा हिन्दी मान ली जाय, परन्तु होता क्या है? माननीय शास्त्री जी ने पंडित कमलापति त्रिपाठी की तरफ इशारा करके कहा था कि उनके होते हुये और माननीय सम्पूर्णानन्द जी के मुख्य मंत्री होते हुये हिन्दी की क्या दुर्दशा इस प्रांत में हो रही है इस पर हम लोगों को महान शोक और आश्चर्य होता है। सेक्रेटेरियट की क्या दशा है। सचिवालय से जितने पत्र बाहर जाते हैं, चाहे वे जिलों में किसी विभाग में जायं, उनमें करीब ९० प्रतिशत पत्र अंग्रेजी में होते हैं। यही नहीं वहां से भी जो पत्र आते हैं वे अंग्रेजी में ही आते हैं और अंग्रेजी के ही पत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर किसी ने हिन्दी में पत्र भेजने की गलती कर दी तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, उसको फाइल में दबा कर नीचे रख दिया जाता है और बहुत देर में जवाब भेजा जाता है। यह उस प्रदेश में हो रहा है जहां की मातृ भाषा और राज्य भाषा दोनों हिन्दी हैं और जहां का राज्यसूत्र ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है जिनमें त्रिपाठी जी और मुख्य मंत्री जी के नाम विशेष तौर पर लिये जा सकते हैं। हम लोगों को इस पर दुख होता है। इस विषय में प्रश्न किये गये हैं और माननीय पंत जी ने उत्तर भी दिया था कि प्रयास हो रहा है कि हिन्दी में ही जहां तक हो सके पत्र-व्यवहार किया जाय परन्तु वह प्रयास पता नहीं कब तक जारी रहेगा और हमें पता नहीं वह दिन कब आयेगा जब सारे का सारा पत्र-व्यवहार हिन्दी में आरम्भ हो जायगा? सारे देश के लिये तो १५ वर्ष की अवधि रखी गयी है जबकि हिन्दी सारे भारतवर्ष की राष्ट्र भाषा बन जायेगी। परन्तु उत्तर प्रदेश की तो राज्य भाषा हिन्दी अभी मान ही ली गयी है। इस प्रस्ताव के होते हुये भी आज हमको आश्चर्य होता है, दुख होता है जब हम यह देखते हैं कि अंग्रेजी में लिखा-पढ़ी बराबर जारी है।

श्रीमन्, जिला बोर्ड, आजमगढ़ के जब स्वामी सत्यानन्दजी प्रेसीडेंट थे वे हिन्दी के बड़े भक्त थे, उन्होंने आदेश दे रखा था कि सारा कार्य हिन्दी में ही होगा और सारे "पे बिल" इत्यादि हिन्दी में भेजे जायेंगे। जब तक वे प्रेसीडेंट रहे तब तक हिन्दी में बिल वगैरह लिये जाते रहे क्योंकि सब जानते थे कि वे सरलता से मानने वाले नहीं हैं। परन्तु उनके हटने के बाद जब दूसरे प्रेसीडेंट साहब आये तो खजाने से एतराज कर दिया गया कि हिन्दी में बिल नहीं लिये जा सकते, वहां की बात जाने दीजिये।

इस सदन के सम्मानित सदस्यों को जितने बिल मिलते हैं वे सब अंग्रेजी में ही लिखे होते हैं। ८ वर्ष स्वराज्य मिले हो गये, बड़ी-बड़ी क्रांतियां हमने कर लीं परन्तु इसमें हम इतनी कमजोरी दिखलाते हैं कि अभी तक वही पुरानी बात चली आती है। अंग्रेज तो हिन्दुस्तान से चले गये लेकिन अंग्रेजों की मेंटेलिटी अभी भी कायम है। एक ताजा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं एक सम्मानित सज्जन ने एक थीसिस हिन्दी में लिखी, लखनऊ विश्वविद्यालय में देने के लिये। दो-ढाई वर्ष तक उन्होंने परिश्रम किया। उस थीसिस का नाम है "न्याय वैशेषिक दर्शन में जाति या सामान्य का विवेचन" और संस्कृत का जो दर्शन शास्त्र है, उससे उन्होंने संस्कृत के शब्दों को लिया है क्योंकि संस्कृत के शब्दों को हिन्दी में ले लेना आसान होता है इसलिये उनको उन्होंने निबन्ध में उद्धृत किया है। वहां के प्रोफेसर ने, अध्यक्ष ने, सबने उनको आज्ञा दे दी थी कि वह निबन्ध लिखें। इतने परिश्रम के बाद जब उन्होंने उसको तैयार किया और उपकुलपति को आवेदन-पत्र दिया कि इस निबन्ध को ले लिया जाय उन्होंने इसे लेने से इन्कार कर दिया और कह दिया कि यह हिन्दी में लिखा है इसलिये इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजी में लिखिये। मुझे अफसोस होता है और यह अफसोस इसलिये होता है कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति की यह हिम्मत हो, यह साहस हो कि हिन्दी में निबन्ध लेना अस्वीकार कर दें। यह हमारी दशा हम कहें या यह हमारी गुलामी की हद है। अभी भी हमारी "स्लेव मैंटलिटी" नहीं गई है और उसके कारण हम इतना गिर गये हैं कि आज लखनऊ विश्वविद्यालय का उपकुलपति हिन्दी में थीसिस लेने से इन्कार कर रहा है और हम चुपचाप उसे सहन कर लेते हैं। हमारे पास उस पत्र की कापी मौजूद है जो लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उन सज्जन को लिखी है। यह सुनने के लायक है, मैं श्रीमन् की आज्ञा से प्रेस वालों को भी सुना दूंगा ताकि वह अखबारों में तथा प्रेस में इसे छाप देवें। यह कापी है।

अधिष्ठाता--मैं मिश्र जी से पूछूंगा कि यह पत्र कैसा है ?

श्री व्रजविहारी मिश्र--यह पत्र रजिस्ट्रार ने निबन्ध लेने से इन्कार करते हुये उन सज्जन को लिखा है जिन्होंने हिन्दी में निबन्ध प्रस्तुत करने की आज्ञा मांगी थी। उस पत्र को मैं आप की आज्ञा से पढ़कर सुना देना चाहता हूं माननीय सदस्यों को। वह इस प्रकार है कि:--

"FROM

K. D. TEWARI,
REGISTRAR,
UNIVERSITY OF LUCKNOW,
LUCKNOW,

TO

SRI, ARJUN MISRA,
WARDEN, D. A. V. COLLEGE,
MOTI NAGAR, LUCKNOW.

Lucknow, Dated the 22nd December, 1955.

DEAR SIR,

With reference to your letter dated August 31, 55 requesting that permission may be granted to you to write in Hindi your thesis entitled. "The treatment of universals in Nyaya Vaisheshika Philosophy" for the PH. D. degree in Philosophy of this University, I am to inform you that the Vice-Chancellor desires that in view of the special nature of the subject the thesis should be submitted in English. Further action will be taken on your submitting copies of the thesis.

Yours, faithfully,
(Sd.) K. D. TEWARI.
Registrar."

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

इस पत्र का मैं हिन्दी में अनुवाद कर देता हूं जैसा कि माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी ने कहा है अनुवाद यह है कि, रजिस्ट्रार तिवारी जी ने श्री अर्जुन मिश्र को जो डी० ए० वी० वार्डन कालेज के हैं, जिन्होंने हिन्दी में अपनी थीसिस लिखी थी उनको लिखा है कि "आपके पत्र, दिनांक ३१ अगस्त, १९५५ के संबंध में जो हिन्दी में पी० एच० डी० के लिये आज्ञा मांगी थी उसके संबंध में उपकुलपति का आदेश हुआ है क्योंकि यह स्पेशल नेचर का विषय है अर्थात् एक खास विषय है, इसलिये इसको अंग्रेजी में देना होगा"। इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह हुआ कि हिन्दी में थीसिस लेना अस्वीकार कर दिया गया। जिस समय मैंने पत्र पढ़ा मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इस तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्य होता है जो हमारे प्रांत की राजधानी में स्थित है, और जिससे हम आशा करते हैं कि वह हिन्दी की बड़ी-बड़ी सेवायें करेगा। जो विश्वविद्यालय हमारे राज्य की आमदनी पर आश्रित है, और सारी सहायता जिसको हमसे ही मिलती है, अगर ऐसे विश्वविद्यालय के उपकुलपति हिन्दी में थीसिस लेने से इन्कार कर दें तो बड़े आश्चर्य की बात है। हम क्या कर सकते हैं यह सोचना है; हमारी बड़ी दयनीय दशा है इस पर हम जितना ही कम कहें उतना ही अच्छा है। अभी-अभी कहा गया है कि उपकुलपति हिन्दी नहीं जानते हैं यह और आश्चर्य की बात है। अगर वे हिन्दी नहीं जानते हैं तो मैं कहूंगा अधिष्ठाता महोदय, कि अगर वे हिन्दी जानने वाले उपकुलपति नहीं हैं तो वह इसके अधिकारी नहीं हैं कि इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहें। कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी राज्य के अन्दर इस उत्तर प्रदेश के अन्दर रहते हुये अगर हिन्दी का विरोधी है तो उसको अधिकार नहीं है कि वह उस स्थान को ग्रहण करे। यदि उसका विरोधी खयाल है तो उसे उत्तर प्रदेश छोड़कर अन्यत्र चला जाना चाहिये। यह मेरा आपके द्वारा उन सब ऐसे व्यक्तियों से अनुरोध है, अधिष्ठाता महोदय।

यह मैंने एक मिसाल दी, एक उदाहरण दिया। मैं तो यह चाहता हूं कि लिखने-पढ़ने का जितना काम कहीं भी हो सब हिन्दी में हो। मुझे कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में काम करने का अवसर मिलता है, और समितियों आदि में भी काम करने का अवसर मिलता है, जिनका जिक्र कि हमारे मित्र शास्त्री जी ने किया। भवन में अभी भी मैंने देखा है कि सारी प्रोसीडिंग्स अंग्रेजी में लिखाने का प्रयत्न किया जाता है। मैं अपने सामने तो अंग्रेजी में लिखने नहीं देता हूं लेकिन जहां भी हमने कमजोरी दिखलाई तो वहीं कार्यवाही अंग्रेजी में लिखी जाती है। मुझे याद पड़ता है कि बहुतेरी कार्यवाही की कापियां अंग्रेजी में भेजी जाती हैं जब कि हमारे बहुत से सम्मानित सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते। यह भी एक दयनीय स्थिति का ही नमूना है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय कमलापति त्रिपाठी जी का, जो यहां मौजूद हैं, विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपने मंत्रिमंडल में इस बात को रखें यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं उनसे भी मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इसके लिये शीघ्रातिशीघ्र आदेश जारी करें। जितना काम कचहरियों में होता है उनमें बयान तो हिन्दी में लिखे जाने लगे हैं परन्तु आज भी जजमेंट अंग्रेजी में लिखा जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको रोका जाय और इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस हिन्दी के प्रश्न पर इस सदन में दो दिन से गंभीर चिन्तन हो रहा है। मैं माननीय रणंजय सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस सरकार का और इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उत्तर प्रदेश में हिन्दी भाषा की उपेक्षा की जा रही है। यह बात निर्विवाद सत्य है कि हिन्दी इस देश की मातृभाषा है। यह बात भी निर्विवाद सत्य है कि भारत का संविधान इस देश में राष्ट्रभाषा हिन्दी को स्वीकार कर चुका है। परन्तु उत्तर प्रदेश जो हिन्दी भाषा का मुख्य क्षेत्र कहलाता है आज देश में, उसमें आये दिन इस सदन के अन्दर यह सवाल पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में हिन्दी की उपेक्षा की जा रही है। यह एक दुख का विषय है। इस

सदन के अन्दर आज से पहले कई बार ऐसे सवाल उठते रहे हैं प्रश्नोत्तर काल में कि जहां का संविधान हिन्दी को राष्ट्र भाषा स्वीकार कर चुका है, और यह सदन जिसको राज भाषा स्वीकार कर चुका है वहां के सरकारी कर्मचारी और विभिन्न विभाग उसके लिये उपेक्षा का बर्ताव करते हैं। ऐसे सवाल आये दिन सामने आया करते हैं और मंत्रियों और मुख्य मंत्री जी के कई बार आश्वासन के बाद भी आज इस सदन में इस विषय का फिर से आना और भी दुख की बात है। कई बार यह भी बताया गया कि सरकार ने कुछ ऐसे आदेश भेजे कि जिससे सरकारी विभागों में हिन्दी को विशेष स्थान दिया जाय परन्तु मैं यहां उन कारणों की तरफ जाना चाहता हूं कि जिनके कारण सरकारी आदेश के बावजूद भी उस पर अमल नहीं होता।

हमारे आज के निर्माण मंत्री आदरणीय शर्मा जी ने दो साल पहले मेरे एक सवाल के उत्तर में बतलाया था कि सरकार की जितनी सरकारी रोडवेज की बसेज चल रही हैं उनके अन्दर जो सूचना अंग्रेजी में लिखी हुई है उसको हिन्दी में कर दिया जायगा वह आज के निर्माण मंत्री हैं किन्तु उस समय वह यातायात मंत्री थे। उन्होंने स्वयं जवाब दिया कि आदेश भेज दिये गये हैं और सारी सूचना वह हिन्दी में कर दी जायगी। मगर मैं अब भी जब कभी इन सरकारी बसेज पर सफर करता हूं तो मुझे काफी यह देखने को मिलता है कि वह सूचनायें अंग्रेजी में लिखी हुई हैं जिनको न तो ड्राइवर समझता है, न कंडक्टर समझता है और न साधारण जनता ही समझती है वे सब सूचनायें आज तक अंग्रेजी में लिखी हुई हैं। इस सदन में उत्तर देने के बावजूद भी कि हमने आदेश भेज दिये हैं कि वह सूचनायें हटा दी जायं और उनको हिन्दी में कर दिया जाय मगर उस पर कोई आज तक अमल नहीं हुआ है। मैं इसमें सरकारी कर्मचारियों का दोष समझूं या सरकार का दोष समझूं। जहां मैं इसका भारी दोष सरकारी कर्मचारियों का बताऊं वहां यह भी कहूंगा कि जहां सरकारी कर्मचारी इन सब बातों के दोषी हैं वहां हमारी सरकार के मंत्री भी, सब के लिये मैं नहीं कहना चाहता हूं उनमें कुछ हिन्दी के लिये बहुत भारी काम कर रहे हैं, काफी मंत्री ऐसे हैं जो हिन्दी के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि काफी हमारी सरकार के मंत्री इन आदेशों के भेजने के बावजूद भी काफी उपेक्षा कर रहे हैं। बल्कि यही नहीं रानीखेत में एक निर्माण विभाग की मीटिंग थी और उसमें हमारे मिश्र जी हिन्दी का प्रश्न ले आये उसमें तमाम अंग्रेजी का ऐजेन्डा था तो उस समय हमारे शर्मा जी ने एक अच्छी खासी तकरीर की। उन्होंने मद्रास और न जाने दूसरे कितने उदाहरण दिये कि देश के अन्दर इस प्रकार के प्रश्न उठाने से फूट पड़ जायगी। इस प्रकार से मंत्री जब अपने विचार रखते हों और हमारे देश में बैठ कर इस तरह से कहते हों तो उसके क्या मायने निकलते हैं।

पूज्य टंडन जी के भाषण को बहुत से लोगों ने सुना होगा। उन्होंने हिन्दी के लिये देश में आज से नहीं बहुत पहले से इस सवाल को उठाया था यह प्रश्न जो कि आज इस सदन के सामने है। उत्तर प्रदेश में केवल हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिये नहीं बल्कि यह एक गम्भीर सवाल है और ऐसा सवाल है जिसके बारे में इस देश की सारी जनता को गम्भीरता-पूर्वक सोचना होगा। माननीय टंडन जी के उन विचारों को इस देश में कुछ लोगों ने उपहास की दृष्टि से देखा। उन्होंने आज से २० साल और १० साल पहले से अपने भाषणों में बराबर यह कहा है कि यह हिन्दी भाषा का सवाल इस देश की एकता का सवाल है।

आज इस देश के अन्दर भाषावार सीमाओं के कारण जो कुछ झगड़े पैदा हुये वह मामूली उपहास का विषय नहीं हो सकते और उनको इस उत्तर प्रदेश की सरकार के कर्मचारियों की उपेक्षा के होने पर नहीं टाला जा सकता। आज इस देश में भाषा का प्रश्न किस प्रकार से अखाड़ेबाजी का प्रश्न और एक मनोवृत्ति का प्रश्न दिखाई पड़ता है यह एक दुख का विषय है। तो आज हमारे उत्तर प्रदेश की हर बातें सारे देश को प्रेरणा देती हैं। हमारा उत्तर प्रदेश सारे देश की एकता का जिम्मेदार है। हमारे उत्तर प्रदेश के अनेक सवालों पर देश में सभी लोग जिम्मेदारी के साथ अध्ययन करते हैं तो फिर कोई कारण समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश

[श्री रामचन्द्र विकल]

में जहां की मातृभाषा, राज भाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी हो वहां पर हिन्दी की उपेक्षा की जाय कहां तक उचित है। यहां पर अगर इस प्रकार का बर्ताव हिन्दी के साथ किया जाय तो इस की एक लम्बी गाथा हो सकती है जो कि सरकार के लिये एक विचारणीय विषय है। इसलिये ऐसे उदाहरण जो सरकार की उपेक्षा करने के हेतु बहुत से सदस्य देते हैं, वह बहुत लम्बे हो सकते हैं, यह आये दिन का रोना है। सरकार के ऊपर से लेकर नीचे तक कर्मचारी, यहां पर आये दिन सवाल उठाने पर भी करवट क्यों नहीं बदलते हैं? तो मैं इसका केवल एक कारण पाता हूं और वह यह कि हमारे मंत्रियों की तरफ से इस बारे में उपेक्षा होती है, वह ढीले मालूम होते हैं वरना सरकारी कर्मचारी किसी राज्य में भी रहे हों यह इतने जल्दी बदलते हैं जितनी जल्दी कोई भी नहीं बदलता है। अंग्रेजी भाषा को सीखने में और उनकी ड्रेस को पहनने में इन्होंने पूरी सफलता प्राप्त की है और इस १०० साल के अरसे में वह तहजीब हमारे देश में घर कर गयी है लेकिन आज स्वतंत्रता के बाद सन् १९४७ में जरा सी चेतना आयी थी और मैंने कुछ चुनावों में देखा भी था। जो भी उम्मीदवार आते थे सब खादी के कपड़ों में आते थे। यहीं तक नहीं, जब सन् ४७ के बाद देश ने आजादी की नई लहर देखी हमने अपने कितने ही मुसलमान भाइयों को हिन्दी और संस्कृत की ऊंची परीक्षायें पास करते देखा और अच्छे नम्बर वे लोग लाये। तो आज यह बात समझ में नहीं आती कि बेगम साहिबा को यहां राजकुमार जी का भाषण समझने में, ८-९ साल बाद, कठिनाई कैसे पड़ गई। पहले शुरू में सरकारी कर्मचारियों ने हिन्दी की परीक्षा केवल इसलिये देनी शुरू की थी कि हिन्दी न जानने वालों को कहीं सरकारी नौकरी छोड़नी न पड़ जाय। मगर धीरे-धीरे हमारी सरकारी मशीनरी और मंत्री लोग ढीले पड़ते जा रहे हैं और हिन्दी की उपेक्षा बढ़ती जा रही है। आज सन् ५६ में हमें हिन्दी के स्तर को काफी ऊंचा देखना चाहिये था और हम आशा करते थे कि ऐसे संकल्प लाने की आवश्यकता नहीं होगी। मगर आज माननीय रणंजय सिंह जी को ऐसा संकल्प लाकर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना पड़ता है और उस सरकार का जिसके मुख्य मंत्री और सूचना मंत्री हिन्दी के प्रगाढ़ पंडित हों। मैं अपने इन दोनों सज्जनों के ऊपर कुछ भी कहने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि हिन्दी के प्रति उनकी रुचि है।

अभी हमारे बुलन्दशहर में माननीय सम्पूर्णानन्द जी गये और हिन्दी के प्रति उनके इतने ऊंचे भाषण हुये कि सुनने वाली जनता बहुत ओत-प्रोत और प्रभावित हुई। हमारे सूचना और सिंचाई मंत्री जी का भी इधर ध्यान अवश्य है। मगर सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी और इस सरकार के मंत्रियों की जिम्मेदारी जनता के प्रति है। मैं बहुत अदब के साथ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनता जब स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के लिये अपार धन दे सकती है तो क्यों नहीं हिन्दी के प्रचार के लिये दे सकती? अब प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है और दूसरी शुरू होने वाली है। जहां अनेक निर्माण की बातें आ सकती हैं तो हिन्दी के उत्थान के लिये कौन सा विभाग सरकार ने कायम किया है? कौन सी योजना सरकार ने हिन्दी के लिये बनाई है और कितनी धनराशि बजट में रखी है? केवल जनता और सरकारी कर्मचारियों पर दोष डालने से काम नहीं चलने वाला है।

मैं अपने मंत्रियों से विनम्र शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और इस देश की एकता कायम करने के लिये उन्हें इस प्रदेश में हिन्दी को जल्दी से जल्दी प्रोत्साहन देना होगा। यह सवाल कहीं दक्षिण में उठता तो मुझे प्रसन्नता होती। मद्रास और ट्रावनकोर कोचीन में पिछले साल मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैं वहां के विद्यार्थियों में काफी देर तक घूमा। मैंने उनसे हिन्दी के सम्बन्ध में बातें कीं और अपार खुशी की बात है कि उन्होंने कहा कि हम हिन्दी सीखने के लिये बहुत उत्सुक हैं और हम ऐसी योजनायें सोच रहे हैं कि हिन्दी को कैसे जल्दी दक्षिण में बढ़ाया जाय। भले ही वहां के लोग नौकरियों की वजह से दिल्ली में शोर मचाते हों कि हिन्दी के कारण वे नौकरियों में कम्पीटीशन में पिछड़ जावेंगे मगर वहां की जनता में मैंने हिन्दी के प्रति उत्सुकता देखी। तो फिर उत्तर प्रदेश के किसी

व्यक्ति के लिये यह उचित नहीं है कि उन्हें हिन्दी में कठिनाई होती है। मेरे साथ सरदार तेजासिंह जी रहते हैं और वह बहुत अच्छी हिन्दी लिखते-पढ़ते हैं यद्यपि उन्होंने किसी को गुरू नहीं बनाया। तो फिर सरकार के ये ऊंची-ऊंची डिग्री लिये हुये कर्मचारी यह नहीं कह सकते कि उन्हें मौका नहीं मिलता है हिन्दी सीखने का। हिन्दी बहुत ही सरल भाषा है। १५ साल का समय तो उन क्षेत्रों के लिये है जिन्हें हिन्दी को शुरू से सीखना है। यह उचित नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी १५ साल की प्रतीक्षा करें। जो उपेक्षा अभी तक हुई है उसे सरकार देखे और आइन्दा सरकारी विभागों में सब काम चाहे वे बड़े हों या छोटे हों, हिन्दी में कराने की कृपा करे। शुरू में जब आजादी हुई तो सड़कों के मील और फर्लांग के पत्थर अंग्रेजी से हिन्दी में कर दिये गये थे मगर अब फिर अंग्रेजी में होते जा रहे हैं जबकि हमारे गांव वालों को हिन्दी में पढ़ने में सुभीता है। ऐसा शायद हो सकता है कि विदेशी लोगों की सहूलियत के लिये फिर से अंग्रेजी में शुरू कर दिये हैं। यह कोई टेक्निकल बात नहीं है। इन बातों से भाषा का बड़ा भारी वास्ता है। क्यों अंग्रेजी में फिर से हो रहे हैं इसका उत्तर तो माननीय मंत्री जी देंगे; मैं रणंजयसिंह जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

* **श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, हिन्दी का विषय हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि सारे देश के लिये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे देश की भाषा विधान के अन्दर भी हिन्दी मान ली गयी है। हमारी विधान सभा में इस बात का फैसला हो गया है कि हमारी भाषा हिन्दी होगी और हिन्दी में ही इस सदन के भी सारे काम होंगे। हम यह आशा करते थे कि हमारे सरकारी कर्मचारी इस बात का अनुकरण स्वयं करते पर अफसोस इस बात का है कि यह जानते हुये कि हमारे प्रदेश में ज्यादा प्रचार हिन्दी का ही है, मगर आज भी वे अपने तमाम आदेश अंग्रेजी में ही शाया करते हैं। यहां तो हिन्दी के प्रचार की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हिन्दी यहीं से शुरू हुयी है। हमारी स्टेट सेक्यूलर होने की वजह से हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो कड़ी हिन्दी न समझ सकते हों जिसे कि आज इस्तेमाल किया जाता है। हमें इस बात का खयाल अवश्य रखना होगा कि इस प्रदेश के रहने वाले हमारे काफी तादाद में लोग ऐसे हैं जो ऐसी हिन्दी बोलते हैं जिसको संस्कृताइज्ड कहा जा सकता है। वह बोलने और सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन बहुत से लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। अगर आप गजट को उठाकर देखें तो वह हमारी समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या लिखा है और उसको समझने के लिये हमें अंग्रेजीवाली एडीशन उठानी पड़ती है। बहुत से बिल भी जो सदन के सामने प्रस्तुत होते हैं उनके समझने में भी दिक्कत होती है और इसलिये कि हम उसको समझ पायें हमको अंग्रेजी का बिल देखना पड़ता है। यह तो हम सभी चाहते हैं कि हिन्दी हमारी राज भाषा हो। इस प्रस्ताव को, जो माननीय रणंजय सिंह जी ने पेश किया है उससे भी यह मंशा मालूम होती है कि हमारे प्रान्त की राजभाषा हिन्दी हो। उनके प्रस्ताव में भी हिन्दी और अंग्रेजी का ही जिक्र है, उर्दू का उसमें कोई सवाल ही नहीं है। उनकी यह मंशा है कि सरकारी अफसरान अंग्रेजी का इस्तेमाल न करके हिन्दी का इस्तेमाल किया करें।

अधिष्ठाता महोदय, हमारे प्रदेश में इस बात की आवाज उठाना कि यहां पर हिन्दी भाषा ही होनी चाहिये, वैसे हमारे कांस्टीट्यूशन में यह लिखा हुआ है कि १५ साल के बाद हिन्दी हो और उसके बाद दिल्ली यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो कार्यवाही होगी वह भी हिन्दी में होगी और उसमें हमारे ही प्रदेश के नहीं, बल्कि मद्रास, बंगाल आदि सब जगह के लोगों को हिन्दी में काम करना होगा। वे भी हिन्दी को सीखेंगे, ताकि १५ साल के बाद सब काम हिन्दी में ही होगा। लेकिन हम यहां उत्तर प्रदेश में जो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है वहां यह कोशिश करें और यह प्रस्ताव लायें कि यहां की भाषा हिन्दी ही होनी चाहिये और सरकारी कर्मचारी हिन्दी में ही काम करें, यह कुछ शोभनीय बात नहीं मालूम होती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

हमारे माननीय मंत्रीगण जब भाषण देते हैं तो सब जगह जाकर यही कहते हैं कि हिन्दी में ही सारा काम होना चाहिये। हमारे बहुत से भाई जो हिन्दी का कम इस्तेमाल करते हैं, वे भी कहते हैं कि हिन्दी भाषा होनी चाहिये। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, हम लोगों की कुछ ऐसी आदत पड़ गयी है कि अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग समझ लें, क्योंकि ऐसी आदत पड़ गयी है कि हम अंग्रेजी को आसानी से समझ सकते हैं और हिन्दी के समझने में कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यह थोड़े से लोगों के लिये हो सकता है, लेकिन यहां की जो ६३२ लाख की आबादी है उसमें से बहुत ही कम लोग अंग्रेजी जानते हैं। तो अगर हमें उन सब लोगों की सहूलियत का खयाल करना है अगर उन तक हमें अपनी बातों को पहुंचाना है तो हमें अपना कारबार हिन्दी में करना होगा। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, ऐसे भी कार्य हैं, जिनमें अंग्रेजी को हम छोड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो एप्रोप्रियेशन आफ एकाउन्ट्स बनते हैं वे कन्ट्रोलर एन्ड आडीटर जनरल बनाते हैं, वह अंग्रेजी में बनाते हैं। एक बार हम लोगों ने बात चीत चलायी थी कि वे हमें जो अकाउन्ट्स भेजें और डिपार्टमेंट्स से जो नोटस आते हैं वे सब हिन्दी में हों, तो इस बात पर आडीटर जनरल ने साफ कहा कि वे हिन्दी में नहीं भेज सकते। १५ साल तक एप्रोप्रियेशन आफ एकाउन्ट्स गवर्नर साहब को अंग्रेजी में ही भेजेंगे और उन्हीं पर हमको विचार करना होगा अगर हम चाहें तो अपने यहां उनकी हिन्दी करा सकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं कागजात पर दस्तखत कर सकते हैं जिनको हम जानते और समझते हैं। तो हमारे सामने एक बड़ा भारी प्रश्न यह आया कि एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट्स जो अंग्रेजी में कंट्रोलर आडिटर जनरल से हमारे सामने आते हैं उन पर हम अ.या विचार करें या हम उस के हिन्दी अनुवाद पर विचार करें तो हमने जैसे अंग्रेजी में उन के एकाउन्ट्स हमारे सामने आए हमने उन पर ही विचार किया। मैं जानता हूं कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं और कुछ एकाउंट्स के ऐसे शब्द हैं जो कि हमारी समझ में नहीं आते। साथ ही मैं भी चाहता हूं कि जो नए शब्द हिन्दी के रखे जायं वह ऐसे हों जिन को सब लोग समझ सकें और हमारी हिन्दी ऐसी कड़ी न हो जिसे हम समझ न सकें। मुझे यह कहते हुये खेद है कि यद्यपि हमारे प्रदेश की राष्ट्र भाषा औरा राज्य भाषा हिन्दी है। लेकिन हमारे अफसर अब भी आदेश हिन्दी में जारी नहीं करते हैं। टेक्निकल मामलों में यह मुमकिन न भी हो लेकिन फिर भी इस बात की जरूरत है कि हमारे सरकारी अफसरों को इस प्रकार के आदेश देने की सरकार को जरूरत ही न पड़े। जो हिन्दी वह इस्तेमाल करें वह ऐसी हो जिस को प्रदेश का हर रहने वाला चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या पारसी हो हर एक समझ सके। जब कोई विधान बनाया जाता है तो उसमें बड़ी ठेठ हिन्दी रखी जाती है लेकिन जो रोजमर्रा के आदेश होते हैं वे तो साधारण हिन्दी में लिखे जा सकते हैं जिसे सब समझ सकें।

मैं इस पर ज्यादा न कहकर केवल इतना ही कहूंगा कि हम इस प्रदेश के रहने वाले हैं और हम अपनी भाषा की और अपने प्रदेश की उन्नति चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हिन्दी भाषा में अच्छी-अच्छी पुस्तकें हो जायं और अगर कोई कमी है तो वह भी पूरी हो जाय। हिन्दी के बारे में इसके अतिरिक्त किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं और अगर सरकार की कोई और दिक्कत होगी तो माननीय मंत्री जी वह भी बतायेंगे। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि वह हमारी राज्य भाषा तो है ही, उस को कोई नहीं रोक सकता। इसलिये मैं मंत्री जी से आशा करता हूं कि जिस तरह से भी हो सके, जहां तक मुमकिन हो हिन्दी में काम करने के आदेश जारी किये जायं और अगर कोई दिक्कत हो तो वह भी मंत्री जी हमें बतायेंगे। जब सर्वसम्मति से सदन की राय है तो शीघ्र ही हिन्दी यहां अपना उचित स्थान ले ले ऐसी मुझे आशा है।

*श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इसके पूर्व इसके लिये तैयार नहीं था कि इस विवाद में भाग लूं लेकिन अकस्मात् मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे भी इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने चाहिये, पहले मैं यह बता दूं कि कैसे हमारे देश में अंग्रेजी आयी, वह हमारे देश के दासत्व काल में यहां आयी और वह विदेशियों द्वारा हमारे ऊपर लादी गयी और एक डेढ़ लाख अंग्रेजों के लिये समूचे राष्ट्र को अंग्रेजी भाषा के दासत्व में फंसाया गया और वह अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जिस का हिन्दी या किसी भी भारतीय भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे कि हिन्दी में जो शब्दों का कोष है वह अभी तक बहुत ही अल्प है, उसमें केवल दो डेढ़ लाख शब्द हैं जब कि अंग्रेजी भाषा में करीब दस लाख शब्द हैं और उस का विकास भी धीरे-धीरे लेटिन, ग्रीक और फ्रेंच आदि भाषाओं के शब्दों को लेकर किया गया था और इसी तरह से वह एक परिपूर्ण भाषा हुयी। आज हमारे सामने जो हिन्दी के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों पर आरोप है वह भी अंग्रेजी राज्य की ही एक देन है और वह एक चिन्ह मात्र है, कितना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ आज भी उन की वही मनोवृत्ति है कि जनता और उन के बीच में एक खाई हो और इस तरह की उन की मनोवृत्ति जनसाधारण के प्रति रही है। हमने भी दक्षिण में देखा कि वहां काफी अंग्रेजी का प्रचार है लेकिन जहां तक उनकी आपसी भाषा है, ट्रावनकोर कोचीन की तरफ या दक्षिण के इलाकों में वहां भी जहां देखिये हर जगह उनकी अपनी वेशभूषा का अपनी उनकी भाषा का ही प्रचार है। यहां पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी को देखेंगे तो उन्होंने फारसी के शब्दों का संकलन प्रचुर मात्रा में रामायण में किया है। जहां उन्होंने तीन सौ संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के बाद रामायण की रचना की है ऐसा विद्वानों का मत है वहां उन्होंने साहब, और गरीब निवाज जैसे शब्दों का भी समावेश रामायण में किया है और ऐसे शब्द रामायण में भरे पड़े हैं। हिन्दी का अपने प्रान्त पर बड़ा दायित्व है। हम हिन्दी को इस तरह से बढ़ावें कि वह सबके लिये सुबोध हो, सरल हो। जहां तक १५ वर्षों की बात की बात है वह तो अखिल भारतीय स्तर की बात है। हमारी मातृभाषा हिन्दी चूंकि है, इसलिये हमारा दायित्व इसमें बहुत अधिक है कि किस तरह से हम उसको आगे ले चलें। जिससे हम भारतीय स्तर पर अन्य भाषाभाषियों के लिये मार्ग प्रशस्त कर सकें और उनके दिलों में अपने लिये आकर्षण पैदा कर सकें। यह सही है कि जो शब्द हम हिन्दी में लेंगे उन्हें तो हमें संस्कृत की धातुओं से बनाना पड़ेगा और यह सही है कि संस्कृत की धातुयें इतनी समृद्धिशालिनी हैं और इतनी भरीपूरी हैं कि उनसे अनन्त शब्द लिये जा सकते हैं।

आप चीन को देखिये उन्होंने द्विभाषिये रखे हैं। अंग्रेजी के जानकार विद्वान् होते हुये भी उन्होंने अपने यहां द्विभाषिये रखे। यह सही है कि इससे उनका स्तर कुछ गिर गया, लेकिन यह उन्होंने इसलिये किया कि उनको इससे प्रेरणा मिलती है कि हम अपने देश को, अपने देश की भाषा को आगे बढ़ायेंगे। यदि हम जो हमारा १५ वर्ष का दृष्टिकोण, है उसी से विचार करते रहेंगे तो हम परमुखापेक्षी बनेंगे और उसका नतीजा होगा कि अपनी भाषा को, अपने विचारों को अपने शब्दों को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते। यह सही है कि हिन्दी द्वारा अपने पूरे विचारों को व्यक्त करने के लिये अपने शब्द भंडार को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसे फर्टिलाइजर फैक्टरी है उसके बारे में या किसी दूसरी चीजों के बारे में या जो पुरजे वहां आये हैं उनके लिये जो शब्द हैं उनको अनुवाद तो करना पड़ेगा। यही नहीं कि हमें अपनी व्यवहार की भाषा को किन्तु हमें वैज्ञानिक चीजों के लिये भी भाषा लानी पड़ेगी। यह हमारा खयाल है कि अखिल भारतीय स्तर से ही सम्भव हो सकता है और जिसका सारे भारतवर्ष के लिये एक तरह से प्रचलन हो, यह नहीं कि जैसे हमारे यहां दो-दो कोस पर चार-चार मील पर भाषायें बदलती हैं। यदि हमने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया तो वह अधिक लाभप्रद नहीं होगा। हमें इस दृष्टि से यह रखना है जैसा मैंने निवेदन किया कि हम अखिल भारतीय नेतृत्व की क्षमता इस विषय में अपने अन्दर उत्पन्न करें। यह सही है कि यदि केवल क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करें तो हिन्दी का विकास नहीं होगा और अन्य भाषाभाषियों के लिये अनुचित भी होगा उसका वह विरोध भी करेंगे। इस दृष्टि से हमें कम से कम अपने प्रांत में जबकि हमारी मातृभाषा हिन्दी है कुछ कार्य करना चाहिये लेकिन जैसा कि सरकारी अधिकारियों

[श्री रामजी सहाय]

की मनोवृत्ति है वे हिन्दी को ग्रहण करने में ही हिन्दी को असमर्थ पातें है। जवाहरलाल जी ने जैसा कहा था कि यदि हमारे अफसर जनता से सम्बन्ध नहीं स्थापित करेंगे तो जनता और उनके बीच की खाई वे नहीं मिटा सकेंगे और जनता उनको फेंक देगी। यह सही है कि उनकी जो मनोवृत्ति है वह निराली है। उनमें स्वतंत्र शक्ति का लोप हो गया है, केवल काल्पनिक, मानसिक शक्ति को वह शिक्षा समझते हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि वाङ्मय जो है वह केवल एक साधन है और उसका साध्य तो हमेशा केवल सेवाकार्य रहा है। इस दृष्टि से कि भाषा जो साधन रूप है वह साध्य हो जाय और हम समझें कि वाङ्मय जो हमारा है, वही साध्य है तब तो हमको यही समझना चाहिये कि यह हमारे भाषा ज्ञान की परिसमाप्ति है, यह हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा है। हमें समझना चाहिये कि इस प्रकार भाषा और वाङ्मय को साध्य समझने से हम अपने देश की उन्नति नहीं कर सकते इस दृष्टि से हमें भाषा के प्रश्न को देखना है। और उसमें कार्यक्षमता हो, भाषा में पलो हो तभी भाषा जीवित होती है। साथ ही व्याकरण का भी उसमें शोध करना है। जैसा मैंने निवेदन किया, मैं प्रस्तुत नहीं था कि इस विवाद में भाग लूं, लेकिन अकस्मात् जैसा मने कहा मैंने अपने विचारों को रख देना ही मुनासिब समझा। पुनः मैं सरकार से निवेदन करूंगा इस आशा से कि जल्दी से जल्दी वह इस दृष्टि को सामने रख कर हमारे प्रान्त में भाषा को कार्यरूप में परिणित करने की चेष्टा करे। यही मेरा निवेदन है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय चेयरमैन महोदय, मेरी कतई इच्छा नहीं थी कि इस प्रस्ताव पर बोलूं लेकिन माननीय मिश्र जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय पर जिस विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूं आक्रमण ही नहीं किया बल्कि हमारे गुरूजनों पर प्रोफेसर के० एस-एस० अय्यर, जो विश्वविद्यालय के डीन हैं, जो प्रोफेसर हैं हमारे संस्कृत विभाग के श्री के० डी० तिवारी पर जो रजिस्ट्रार हैं और इन्हें जाने दीजिये जो विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं उनकी नियत पर भी हमला किया गया है। विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते मेरा फर्ज हो जाता है कि मैं विश्वविद्यालय पर किये गये गलत आक्रमण को बर्दाश्त न करूं। मैंने यह देखा कि मिश्र जी जैसे विद्वान् ने इस लेटर को तोड़ मरोड़ कर सदन के सामने पेश किया और सदन को अपनी राय का बना लिया कि उपकुलपति इस योग्य नहीं हैं कि वे यूनिवर्सिटी में रक्खें जायं, क्योंकि वे हिन्दी नहीं जानते। इस पत्र को आप देखें जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि यह जो अर्जुन मिश्र साहब हैं जो थीसिस सब्मिट करना चाहते हैं वह एक ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट पर है जिस पर उपकुलपति ने यह लिखा है कि यह विषय ऐसा है जिसे अंग्रेजी में ही लिखा जाय तो अच्छी बात है। जहां तक विश्वविद्यालय का ताल्लुक है मिश्र साहब ने स्वयम् दो पेज अंग्रेजी में टाइप करके रिप्रेजेंट किया है कि वह हिन्दी में थीसिस पेश करना चाहते हैं। एक तरफ तो थीसिस को पेश करने के लिये हिन्दी की हिमायत और दूसरी तरफ दो पेज का रिप्रेजेंटेशन अंग्रेजी में। इसके अलावा वह आगे लिखते हैं डाक्टर पांडेय—जिन्हें राजनैतिक विभाग में डिग्री मिली और उनको गोल्ड मेडल भी मिला क्योंकि उन्होंने हिन्दी में थीसिस सब्मिट की। तो उन्हीं के अनुसार जहां तक हिन्दी का सवाल है विश्वविद्यालय की स्पष्ट नीति यही है कि जो विद्यार्थी हिन्दी में थीसिस सब्मिट करना चाहे वह कर सकता है। स्वयं मिश्र जी के पत्र पेज नं० दो पर लिखा है कि यूनिवर्सिटी कोर्ट ने सन् १९४८ में यह नीति अपनाई कि हिन्दी में भी थीसिस पेश की जा सकती है। एकेडेमिक कौंसिल ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और १९४९ में वहां यह बात मानी गई कि कोई विद्यार्थी चाहे तो हिन्दी में भी थीसिस सब्मिट कर सकता है। जब मिश्र साहब ने यह थीसिस सब्मिट करने की बात कही तो उस पर रजिस्ट्रार साहब ने केवल यह लिखा है जो सब्जेक्ट है वह दर्शन से सम्बन्धित है उसे वह अंग्रेजी में सब्मिट करें तो अच्छा है। अगर हिन्दी में पेश करने की इजाजत दे दी जाती और वह थीसिस रिजेक्ट हो जाती तो नतीजा यह होता कि जिसकी गायडेन्स में रिसर्च की गई वह नाकाबिल साबित होता और विद्यार्थी का नुकसान होता। उन्हीं के फायदे के लिये यह सलाह दी गई कि यह सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर थीसिस अंग्रेजी में पेश कर दें तो अच्छा होगा। इस

पर यह हमला कर देना किसी की अनुपस्थिति में, किसी एक बड़े विद्वान् पर—उस विद्वान् प्रो० के० ए० एस० अय्यर पर जो १४ भाषाओं का विद्वान् है—यह कुछ उचित प्रतीत नहीं होता।

श्री व्रजबिहारी मिश्र—मेरा एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मेरे साथी ने जो कहा कि सन् ४७ में ही यह आदेश था कि हिन्दी में थीसिस दी जा सकती है और राजनैतिक विषय पर हिन्दी में थीसिस दी गई और वह स्वीकार हुई इससे तो मेरी बात का ही समर्थन होता है लेकिन अब जब हिन्दी में थीसिस दी गई तो कहा गया कि अंग्रेजी में दो और उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। साफ लिख दिया कि अंग्रेजी में आप दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैं साफ बता देना चाहता हूं कि हमारी युनिवर्सिटी की नीति है कि हिन्दी में और देवनागरी स्क्रिप्ट में भी थीसिस पेश की जा सकती है।

अधिष्ठाता—मैं नेकराम शर्मा जी से कहूंगा कि मूल प्रस्ताव पर भी तो कोई बात कहें।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन, मैं उसी पर आ रहा हूं। यह मेरे विश्वविद्यालय पर आक्षेप है इस लिए मेरा कर्त्तव्य है कि मैं इसका जवाब दे दूं।

श्री रामदुलारे मिश्र—अधिष्ठाता महोदय ....

अधिष्ठाता—(श्रीरामदुलारे मिश्र से) आप बैठ जाइये। श्री नेकराम शर्मा, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री नेकराम शर्मा—मैं आपकी आज्ञा से कह देना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय की ऐसी कोई नीति नहीं है कि वहां पर कोई थीसिस.....

अधिष्ठाता—वह हो चुका। अब आगे कहिए।

श्री रामदुलारे मिश्र—प्वाइंट आफ आर्डर, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य महोदय विश्वविद्यालय की वकालत करते हैं या मूल प्रस्ताव पर बोलते हैं, इस पर मैं आप का निर्णय चाहता हूं।

अधिष्ठाता—(श्री नेकराम शर्मा के खड़े होने पर) आप बैठ जायं कृपा करके। श्री व्रजविहारी मिश्र ने ....

श्री नेकराम शर्मा—यदि....

अधिष्ठाता—नेकराम शर्मा जी, बड़ी गलत बात है। आप बार बार खड़े हो जाते हैं। मुझे आप बोलने नहीं देते। लीजिये मैं खड़ा हो जाता हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र जी ने एक बात कही, और उन्होंने एक पत्र भी पढ़ा जो एक सज्जन को रजिस्ट्रार की तरफ से लिखा गया था। उसके जबाव में अगर नेकराम शर्मा जी कुछ कह रहे हैं तो कोई अनुचित बात नहीं कर कह रहे हैं। उनको डिफेंड करने का अधिकार है। उसके जबाव में कुछ बोल सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि विश्वविद्यालय की जो नीति है वह बिलकुल स्पष्ट है कि हिन्दी में थीसिस दी जा सकती है। यदि कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है उसके लिये अगर उपकुलपति ने कह दिया अंग्रेजी में आ जाय तो अच्छा है तो कोई एतराज की बात नहीं है। जहां तक माननीय व्रजविहारी मिश्र जी ने कहा कि थीसिस अस्वीकृत हो गयी, उनके पेपर्स से यह विदित होता है कि अभी थीसिस सब्मिट नहीं हुई है, बल्कि वह उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने सब्मिट करने की परमिशन मांगी तो उप कुलपति ने उनको यह ऐडवाइज कर दिया है।

अधिष्ठाता—मूल प्रस्ताव पर आइये ।

श्री नेंकराम शर्मा—जहां तक मूल प्रस्ताव का सम्बन्ध है उसको आपकी आज्ञा से मैं पढ़ देना चाहता हूं, इसमें दो बातें स्पष्ट हैं, "इस सदन का यह निश्चित मत है कि हिन्दी कई वर्षों से राज्य की भाषा घोषित हो जाने पर भी अभी तक अनेक राजकर्मचारी उसकी उपेक्षा करके राजकाज तक में अन्य भाषाओं का व्यवहार करते हैं ।" एक तो अंश यह है कि हमारे राज-कर्मचारी उसकी उपेक्षा करते हैं । दूसरा अंश इस प्रस्ताव का यह है—"अतः यह आवश्यक है कि उन्हें दृढतापूर्वक सचेत किया जाय और आदेश दिया जाय कि बिना किसी अनिवार्य कारण के राजकाज संबंधी लिखा-पढ़ी अन्य भाषाओं में कदापि न किया करें ।"

उन्होंने "अनिवार्य" शब्द का इस्तेमाल किया है । उन्होंने कहा कि वे हिन्दी का उपयोग कर सकते हैं जहां पर ऐसी अनिवार्य बात हो । तो वह इजाजत देते हैं अपने प्रस्ताव में, यही प्रस्ताव का मकसद है । हमने इसको मान लिया है, हमारे प्रदेश की सरकार ने हिन्दी को राजभाषा मान लिया है, यह तय कर लिया है कि सारा राजकाज जहां तक संभव होगा, लिखा पढ़ी हिन्दी में करेंगे और मैं तो सरकार को बधाई देता हूं कि जिस तीव्रता के साथ इतने वर्षों में इनाम दे कर, हमारे कर्मचारियों को यह कह कर कि हिन्दी सीखो, यह आदेश दे कर बहुत तरक्की की है । और यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गौरव की बात है कि इतने थोड़े से समय में उसने हिन्दी पढ़ना लिखना सिखा दिया । लेकिन हमारे साथी हैं, और बहुत से व्यक्ति हैं हिन्दी दस-दस, बीस, बीस साल पढ़ने के बाद इतने सिद्धहस्त नहीं हो सके कि वह एक दम कार्य हिन्दी में शुरू कर दें । जब बजट आता है तो हिन्दी के बहुत से शब्द मैं नहीं समझ पाता । अपने पड़ोस के सदस्यों से जब मैं उनके अर्थ पूछता हूं तो कह देते हैं कि हमें नहीं मालूम । जब हमारी स्वयं ऐसी हालत है तो सरकारी कर्मचारियों को समय देना पड़ेगा । हम यह तय चुके हैं कि हमारी राजभाषा हिन्दी है । प्रस्ताव में एक तरफ "अनिवार्य" शब्द का इस्तेमाल किया है और दूसरी ओर कहा गया है कि उपेक्षा की जा रही है । तो जनरलाइज करने से क्या लाभ, अगर किसी विभाग में उपेक्षा की जा रही है तो उसको गवर्नमेंट के सामने लाया जाय । उस पर ऐक्शन लिया जा सकता है । जहां तक उपेक्षा का प्रश्न है या उपेक्षा की जा रही है, मैं कहता हूं बिलकुल गलत है और नहीं की जा रही है । प्रस्ताव में जो यह चीज लिखी गई है, वह बिलकुल गलत है । मैं तो कहता हूं कि जितनी तरक्की सरकारी कर्मचारियों ने हिन्दी में की है और जितनी तेजी से वह हिन्दी सीखने और समझने लगे हैं, वह तारीफ करने योग्य है । अभी उजबेकिस्तान का डेलीगेशन आया तो यहां के एक सेक्रेटरी ने हिन्दी में बड़ा सुन्दर भाषण दिया । मैं इलाहाबाद में था वहां एक उद्घाटन हो रहा था, वहां पर बोस मलिक बहुत शुद्ध हिन्दी बोले । तो यह गलत है कि वह उपेक्षा करते चले जा रहे हैं । समय लगेगा, हिन्दी एक भाषा है । मैं कहता हूं कि जिस तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो हिन्दी जिन्होंने बी० ए० और इंटरमीडियेट में ली है वह भी नहीं समझ पाते हैं कि जो शब्द रखे गये हैं उनके क्या अर्थ हैं । तो फिर जिनकी जबान हिन्दी नहीं रही है वह कैसे समझ सकते हैं इतनी जल्दी से । इसलिए मैं इससे तो सहमत नहीं कि इसकी उपेक्षा कर्मचारियों द्वारा की जा रही है ।

दूसरी बात यह है कि हमको यह देखना चाहिए कि क्या वह इसमें आनाकानी कर रहे हैं ? अगर आनाकानी कर रहे हैं तो मैं यह माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि वह उसके लिये उनको आर्डर दें लेकिन इस प्रस्ताव की इसके लिए क्या जरुरत है । इस प्रस्ताव का मतलब तो केवल यह है कि गति में तेजी कर दी जाय । मेरी राय में यह प्रस्ताव ही अनावश्यक है । अगर वही माननीय सदस्य हिन्दी के सच्चे प्रेमी होते तो यह शब्द बिलकुल उड़ा देते "अनिवार्य" और एक सीमा निर्धारित कर देते कि एक साल या दो साल के अन्दर सारे काम हिन्दी में ही करो । लेकिन उनका मंशा यह नहीं है । वह काफी समझदार व्यक्ति हैं और कठिनाई जानते हैं कि सारे काम हिंदी करने में कठिनाई हो सकती है । वह जानते हैं कि रिसर्च पत्र व्यवहार वगैरह के बहुत से कामों में हिन्दी नहीं रखी जा सकती । अगर रखी जायगी तो उसमें दिक्कत पड़ेगी । मैं तो यह कह रहा हूं कि इतने कठिन शब्द हिन्दी के लाकर जगह

जगह रख दिये गए हैं कि हमारे माननीय सदस्य जो बजट या दूसरी चीज पढ़ते हैं तो उनके सामने इतने क्लिष्ट शब्द आ जाते हैं कि कम से कम मैं तो उनको नहीं समझ पाता, मैं तो आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूं। इसकी आवश्यकता जरूर है लेकिन इसको सीखने के लिए धीरे-धीरे मौका दिया जाय सारे सरकारी कर्मचारियों को और हम लोगों को। जब हम हिन्दी को एक बार राष्ट्रभाषा मान चुके तो कोई इसका विरोध तो कर ही नहीं सकता। लेकिन एक भावना एक जोश में यह कह देना कि सरकार बहुत धीरे चल रही है, यह बिलकुल गलत बात है। सरकार के सामने क्या यही एक सवाल है। उसके सामने और न जाने कितने काम हैं, हमको अपने यहां की गरीबी दूर करनी है, अपने प्रदेश का विकास करना है। हां, एक सवाल यह भी है और इसके लिए भी सरकार प्रयत्नशील है, हजार हजार रुपया इनाम रख कर किताबें लिखवा रही है। जो हिन्दी के बहुत प्रेमी अपने को कहते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी किताबें उन्होंने हिंदी में लिखी हैं और वह तो दूर रहा अपनी बोल चाल तक में तो वह अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि हमको साधन उपलब्ध करना चाहिए। बिलकुल इसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए कि कुछ नहीं हो रहा है या इसकी बड़ी उपेक्षा की जा रही है। मैं तो फिर एक बार सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने बड़े सुचारुरूप से और तीव्रता से हिन्दी को अपनाया है और उसे आगे बढ़ा रही है इनाम दे दे कर के। और कोई सदस्य भी हिन्दी में एक आध किताबें लिखें तो फिर वह कह सकते हैं। लेकिन केवल हिन्दी हिन्दी चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। इस लिए मैं यह निवेदन करता हूं कि रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, कई बार उठक बैठक के बाद आपने मुझको इस संकल्प पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका अति आभारी हूं। हिन्दी के बारे में जो वादविवाद हो रहा है उसपर कोई अफसरों की त्रुटियां निकाल रहा है, कोई इसको क्यों नहीं प्रचलित किया, इस पर भाषण दे रहा है, कोई अपनी यूनिवर्सिटी के सिलसिले में बात कर रहा है, लेकिन सुझाव एक भी नहीं आया। मैं आपके द्वारा अपने माननीय मंत्री जी को दो एक इस संकल्प पर सुझाव देना चाहता हूं। सर्व प्रथम तो बात यह है कि हमारे देश में जितनी भाषायें प्रचलित की गई हैं .....

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उसका क्या विशेष कारण था और किस तरह इतनी शीघ्र फैल गई कि आज एक-एक शब्द दूसरी भाषाओं का हमारी जीभ से छूटने नहीं पाता? उसका विशेष कारण आप सभी माननीय सदस्यों ने देखा हो कि एक तो अभी माननीय नेकराम जी शर्मा ने हिन्दी के बारे में इतनी तरह की बातें कह दीं और अभी माननीय मिश्र जी ने जो कहा जिसमें सत्यता थी, जिसमें कुछ दृढ़ता थी, उसके विरोध में केवल विश्वविद्यालय के प्रश्न पर कहा, कोई हिन्दी का प्रश्न नहीं था। उन्होंने जितना भाषण दिया वह सब उसके वाद विवाद में खत्म हो गया। प्रश्न यह है कि अंग्रेजी शीघ्रता से क्यों अपना रूप धारण कर शीघ्रता के साथ फैल गई। अंग्रेज यहां आया उसका रहन-सहन, बोल-चाल, खाना-पीना सब अंग्रेजी था। उसने सोचा कि हिन्दुस्तान को गुलाम बनाना है और इन सबको अपनी सभ्यता सिखा कर इनका सम्मान आकर्षित करना है, तो कौन सी ऐसी नीति अपनाएं जिससे शीघ्र से शीघ्र ये गुलाम बन सकें। उसने हमारे बड़े बड़े विद्वानों का जो साहित्य था, जो ग्रंथ थे जिसकी टक्कर का आज अंग्रेजी भाषा में एक भी ग्रंथ नहीं मिल सकता, सारे साहित्य को नष्ट कर दिया और यहां अंग्रेजी कायम की गई। एक अंग्रेज ने जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसने निश्चय कर लिया कि विश्वविद्यालय में, कालेजों में, स्कूलों में शिक्षा अंग्रेजी में दी जाय और उसने अंग्रेजी में शिक्षा देनी आरम्भ कर दी। उनको प्रथम स्थान दिया जो कि अंग्रेजी भाषा जानते हों, सरकारी नौकरियों में, कम्पनियों में और हर जगह जितने उन्नति के रास्ते थे उन सब पर उन्हीं को लिया जाता था। इस लिए हम हिन्दुस्तानी पैसे की लालच में आकर के, मान प्रतिष्ठा को खो बैठे और स्वार्थ के वशीभूत हो कर

[श्री हरिसिंह]

उन बातों को अपनाने लगे और आज वह भाषा डेढ़ सौ वर्ष में नहीं, १५–१६ वर्ष में इतना घर कर गयी कि हमारा दिमाग, हमारा पहिनावा, खाना-पीना सब अंग्रेजी है। सब अपनी भाषा भूल गये। जब हमारे पंडित जी यह कह सकते हैं, जिनका यह धर्म है कि वह हिन्दी का प्रचार करें कि अभी तो समय लगेगा हिन्दी के प्रचार के लिए, जैसा कि नेकराम शर्मा जी ने कहा हैं कि अभी ह आने की नहीं, तो महाराज! मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि यह आपका कर्त्तव्य है, हमारा नहीं है कि हम हिन्दी का प्रचार करें। क्योंकि आपही भारतवर्ष के निवासियों से पैर पुजवाते हैं यह हिन्दी भाषा का ही प्रताप है, तो आज आप कहते हैं कि इसमे समय लगेगा? इसमें समय नहीं लगेगा।

जिस समय हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने शासन भार सम्भाला, सर्व प्रथम उसे चाहिये था कि मंत्री, उपमंत्री, सभासचिव और माननीय सदस्यगण जिनके अधीन जो विभाग हैं उनकी जो कार्यप्रणाली की सूची उनके पास आती हैं उस पर अपना मत हिन्दी लिपि में लिखें। उसके लाल-फीते का रंग पीला हो। एक भी लाल न रहने पाये और जो उनके अधिकारी हैं उन सब को हिन्दी में ही अपना मत लिख करके भेजना चाहिये। मैं निवेदन करता हूं अपने माननीय मंत्री जी से कि आज से आदेश कर दें कि वह अपनी सब फायलों पर हिन्दी में नोट लिखें और अधिकारियों से आदेश कर दें कि वह भी हिन्दी का प्रयोग सब जगह करें। आज ऐसा कोई आदमी स्टेट में नहीं है जो हिन्दी न जानता हो। मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक हमारे अधिकारी थे टैक्स आफिसर महोदय, जो हिन्दी का बड़ा भारी लेक्चर दे रहे थे आर्य समाज में। दूसरे दिन ही मुझे मौका मिल गया उनके आफिस में जाने का। मैंने एक प्रार्थना-पत्र हिन्दी में लिख कर उनके समक्ष प्रस्तुत किया, तो उन्होंने लिया और लिख दिया अंग्रेजी में। मैंने कहा कि यह क्या कर दिया? कहने लगे कि क्या कुछ गलती हो गयी? मैंने कहा कि आपसे कहां गलती हो सकती है, मैंने तो हिन्दी में लिख कर दिया था प्रार्थना-पत्र, आप लेक्चर दे रहे थे वहां हिन्दी के बारे में और यह अंग्रेजी में लिख रहे हैं इसका क्या कारण? आज वही चीज हो रही है। सरकारी कर्मचारियों को आप नहीं कह सकते वे तो चाहते हैं लेकिन हम नहीं करने देते। मदनमोहन उपाध्याय जी रोज पतलून पहनते हैं और कर्मचारियों का दोष निकालते हैं। अरे, आप तो हिन्दी बोलिये आप तो कोट पतलून के बजाय धोती, कुरत पहनिये आपने कितनी अंग्रेजी छोड़ी है? कितनी मिश्र जी हिन्दी लिखते हैं और कितने सभा सिचिव हिन्दी में अपने नोट फाइलों पर लिखते हैं? मेरा निवेदन है कि आप अपने नीचे के कर्मचारियों से हिन्दी में नोट मंगवाइये और खुद भी हिन्दी में लिखिये फिर देखिये अपने आप हिन्दी का प्रचार हो जायगा।

अब रही विश्वविद्यालयों की बात। विश्वविद्यालयों में तो सभी भाषाओं का जन्म होता है और फिर जब हिन्दी को इस प्रदेश की मातृ भाषा कहते हैं तो वहां का एक उपकुलपति यह कहे कि अंग्रेजी में भेजो यह कहां तक उचित है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारे पूज्य चौधरी मुख्तार सिंह ने जब वे विदेशों से लौटे तो उनकी एक योजना थी कि दूसरी भाषाओं में जो विज्ञान की किताबें हैं उनका हम अपनी भाषा में अनुवाद करके अपने नवयुवकों में प्रचार करें। इस लिये उन्होंने संस्कृत के बड़े-बड़े विद्वान् बुलवाये और चार लाख रुपये देकर केवल इस काम में खर्च किये और दो साल तक मेरठ में बैठ कर सब किताबों का अनुवाद कराया। यह उसी का फल है कि आज जो दर्जा ४ तक भी पढ़े हैं और हिन्दी जानते हैं वे दौराला विज्ञान-कला भवन में वे किताबें मौजूद हैं उनसे सीख रहे हैं। पहाड़ों में तो अंग्रेज अधिक रहते थे इस लिये वहां अंग्रेजी अधिक है, हिन्दी से उनका कोई संबंध नहीं है। यदि आप इस प्रकार का प्रचार कर दें और बिल वगैरह सब हिन्दी में करा दें, कठिन हिन्दी में नहीं बल्कि सरल हिन्दी में जिसको सब समझ सकें तो सब जगह हिन्दी हो जायगी। केवल आदेश ही न दें क्योंकि आदेश तो आपने दिये और वे रद्दी की टोकरी में डाल दिये गये। आज हर व्यक्ति हिन्दी जानता है, उसकी इच्छा है

कि हिन्दी में काम करें, जो हमारे नये कर्मचारी आते हैं वे हिन्दी में काम करना चाहते हैं लेकिन उनको हिन्दी को कोई प्रोत्साहन नहीं देता। ऊंचे अधिकारी हिन्दी जानते हैं लेकिन जब आपकी कलम हिन्दी में नहीं चलती है तो उनकी क्यों चले।

जहां तक शिक्षा का संबंध है जो कि नेकराम शर्मा जी ने बतलाया एक जरा सी बात ले कर, मैं तो यह कहता हूं कि उन उपकुलपति ने हिन्दी का विरोध किया है इस लिये उनको यहां रहने का अधिकार नहीं है और मैं तो नेकराम शर्मा जी से भी कहूंगा कि उनको भी यहां रहने का अधिकार नहीं है, उनको भी इंग्लैंड, योरुप, किसी देश में भी चला जाना चाहिये। इस देश में तो उन लोगों को रहने का अधिकार है जो अपनी मातृ भाषा हिन्दी के अनुयायी हैं। हमें खेद है कि हम यहां के रहने वाले स्वयं कहते हैं कि हिन्दी १०-२०-२५ वर्ष में दफ्तरों में हो सकेगी तो दूसरे प्रांत के लोग जहां पर हिन्दी का नाम निशान तक नहीं था क्या कहेंगे? अगर आज वह कहते हैं तो क्या बुराई करते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि ६ महीने के अन्दर बल्कि आज ही से आदेश जारी कर दिये जायं कि हम कोई भी कागज हिन्दी में नहीं देखेंगे तो सब कागज हिन्दी में आने लगेंगे। हमारे मंत्री जी अंग्रेजी में रिपोर्ट पढ़ रहे थे नियोजन समिति में तो मैंने कह दिया कि आप क्या पढ़ रहे हैं, हिन्दी में पढ़िये। हमारे चौधरी फतहसिंह राणा ने कह दिया कि सब कार्यवाही हिन्दी में होनी चाहिये और सब ने कहा तो उसी दिन से हिन्दी में कार्यवाही होने लगी। यह तो आप लोगों का खुद ही दोष है अफसर तो करने के लिये तैयार हैं। मिश्र जी का भी दोष है, दूसरों ने नहीं कहा तो आप कहते कि हम नहीं बैठेंगे, हम वाक आउट कर देंगे तो.....

श्री ब्रजविहारी मिश्र—अधिष्ठाता महोदय, हमारे लिये जो यह कह रहे हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं सब मीटिंग हिन्दी में ही करवाता हूं और कोई कार्यवाही अंग्रेजी में नहीं होती है।

श्री हरिसिंह—हम यह कह देना चाहते हैं कि हमारे यहां सब हिसाब-किताब हिन्दी में होता है और मुसलमान भी आये लेकिन उनका भी हिसाब किताब हिन्दी में ही होता है। तुम तो कल के लड़के हो जो दूसरों के गुलाम हो, दूसरे की भाषा को समझते हो अपनी भाषा नहीं समझते हो। आपको वहां चला आना चाहिये था और वह फाड़ कर फेंक देते, आप स्वयं दोषी हैं, आप स्वयं जानते नहीं हैं कि हिन्दी क्या होती है और कहते हैं कि वह मानने के लिये तैयार नहीं हैं। यदि आप हिन्दी चालू करना चाहते हैं तो जितने हमारे मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव जो भी सरकार में हैं, सब प्रतिज्ञा कर लें कि हमारी हिन्दी भाषा के अलावा और किसी भाषा में कलम नहीं टिकेगी और सब कर्मचारी हिन्दी में लिखें तो वह अवश्य लिखेंगे। मेरा नम्र निवेदन यह है कि मंत्री महोदय अवश्य ध्यान देंगे और यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हो जायगा इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम प्रस्तावक महोदय को इस प्रस्ताव क रखने के निमित्त हृदय से बधाई देना चाहता हूं और एक बात इसके साथ ही जो काफी दिनों के बाद दिखाई दी उसको कहे बिना मैं नहीं रह सकता हूं। वह यह कि अंग्रेज गये, अंग्रेजी छोड़ गये हैं, शायद अंग्रेजियत भी छोड़ दी है और यहां पर उसको कुछ लोग बड़े प्यार से अपने पास रखे हुये हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर यह शब्द मैं अपने अभिन्न मित्र श्री नेकराम शर्मा के लिये कहूं तो वह नाराज न होंगे क्योंकि उन्होंने जिस थीसिस के बारे में विश्लेषण किया। पत्र क्या है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह भावना अवश्य है कि वह थीसिस हिन्दी में है और हिन्दी से दर्शन शास्त्र भी सम्बन्ध रखता है। अगर दर्शन शास्त्र हिन्दी में लिख जाता तो एक गौरव की चीज होती, यही हमारे लेखक की भावना थी जिस से उसने हिन्दी में लिखने की अनुमति मांगी थी परन्तु विश्वविद्यालय ने

[श्री केशव पांडेय]

जिसके बारे में मेरे मित्र को गौरव है और उ सि सी कदर कम हम लोगों को नहीं है, परन्तु उपकुलपति महोदय ने अंग्रेजी में ही उसकी महत्ता समझी। इसलिये उन्होंने इच्छा प्रकट की कि अंग्रेजी में लिखी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। अगर नेकराम जी यह अर्थ निकालें कि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि अंग्रेजी में लिखी जाय तो अंग्रेजियत अभी रह गई है। अगर हिन्दी में बड़ी श्रद्धा और बड़ी भक्ति उनको है, जैसी कि भावना उन्होंने सदन में रखी तो मैं तो समझता हूं कि अगर वह थिसिस हिन्दी में ही लिखी जाती तो ज्यादा काम हुआ होता। मुझे तो इसमें सिवाय इसके कोई दूसरा कारण नहीं दिखाई देता कि क्यों वह अंग्रेजी में लिखी जाय? सम्भव है उसका कोई दूसरा दृष्टिकोण रहा हो। जो भी हो, मैंने अंग्रेजी के उस पत्र को भी नहीं देखा और उसका उत्तर भी मैंने नहीं देखा, लेकिन यह मुझे मालूम है कि हिन्दी में थीसिस न लेना और दूसरी भाषा में स्वीकार करना यह अंग्रेजियत के पक्ष में ही है।

दूसरी बात नेकराम जी ने जो कही उससे ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने इसका विरोध ही किया। हिन्दी के ऊपर उन्होंने कोई भावना जाहिर करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसर या दूसरे लोग जो प्रयास कर रहे हैं वह एक अच्छा सा प्रयास है। मैं भी इसको दबे शब्दों में कहने के लिये तैयार हूं। हमारे हर मेम्बर को प्लानिंग के सम्बन्ध में जितना प्रयास करने की इच्छा होती है उतनी ही इच्छा इस राष्ट्र भाषा, राजभाषा और मातृभाषा की उन्नति करने की होती है। लेकिन इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि जितनी चिट्ठियां आज निकलती हैं वह सब अंग्रेजी में रहती हैं और अगर माननीय नेकराम जी कभी किसी प्लानिंग समिति में या उप समिति में जाते तो उनकी पहली नोक झोंक यही होती कि यह पत्र अंग्रेजी में क्यों आते हैं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मित्र कभी कभी बहक कर उनमें चले जाते हैं, पूरे तरीके से नहीं जाते।

वस्तुतः बात यह है कि हिन्दी में पत्र सेक्रेटेरियट से भारत सरकार के या यू० पी० सरकार के, कभी-कभी ही हिन्दी में जाया करते हैं, जिसके कारण झुंझलाहट होती है। कभी-कभी ऐसी चिट्ठियां होती हैं कि जिन में लिखा होता है कि यह इतनी अरजेंसी का सवाल है कि अगर इस पर फौरन विचार नहीं किया जायगा तो रुपया लैप्स हो जायगा। जिलों के लिये या जनता के स्वार्थ के निमित्त हम सब लोग उन बातों को गवारा करके इन बातों पर विचार करने का अवसर दे देते हैं अन्यथा जैसा हरिसिंह जी ने कहा कि हर पग पर युद्ध किया जा सकता है और उन कामों को छोड़ा जा सकता है। तकाजा इस बात का है कि हमको आगे चलना है और काम करना है। तो मैं सिर्फ इतना ही अपने घनिष्ठ मित्र शर्मा जी से कहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा है उसमें से वह अपनी उस भावना को निकाल दें और हिन्दी को पूरे तरीके से विकसित करने के लिये राज्य में पूरा प्रयत्न करें। आज इस प्रान्त में माननीय बाबू सम्पूर्णानन्द जी और त्रिपाठी जी के रहते हुए भी अगर हिन्दी का पूरा विकास न हो सका तो हम नहीं जानते कि आगे कैसा समय आयेगा और कैसे हम इसको पूरी तरह से विकसित कर पायेंगे? सम्भव है कि हम पिछड़े हुए रह जायं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि राज्य में हिन्दी जल्दी से जल्दी लाई जाय।

श्री नेकराम शर्मा—मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय केशव पांडेय जी ने जो बात कही कि नियोजन समिति के पत्र अंग्रेजी में आते हैं तो उन्हें यह जान कर खुशी होगी कि अलीगढ़ में नोटिस हिन्दी में ही जाते हैं। अगर वह अंतर्यामी हों तो बात दूसरी है लेकिन वैसे हिन्दी में ही सब पत्र जाते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, जिस प्रस्ताव को हमारे भाई कुंवर साहब ने पेश किया है उस पर दो दिन इस भवन में विचार हो चुका है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जैसा ही यह गम्भीर विषय है उस पर विचार करते हुये इस सदन ने वैसी ही अपनी गम्भीरता का परिचय दिया है और एक ऊंचे स्तर पर विवाद हुआ है। कुंवर साहब ने जिस भावना से प्रेरित होकर इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, मैं उसका आदर करता हूं। उनकी भावना यह है और कदाचित दृष्टि भी यही है कि उत्तर प्रदेश में जहां हिन्दी राज्यभाषा के पद पर आसीन है, वहां हिन्दी की प्रगति, उसका प्रयोग और उसका विकास जिस तीव्र गति से होना चाहिये, उस गति से नहीं किया गया। दूसरे उन्होंने सरकार का , इस सदन का, इस प्रदेश की जनता का, यहां के सरकारी अधिकारियों का और कर्मचारियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिये कदाचित यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं उनकी इस भावना का आदर करता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हिन्दी की प्रगति, हिन्दी का प्रयोग जिस तीव्रता के साथ और सफलता के साथ होना चाहिये, इस उत्तर प्रदेश में और सारे देश में वैसी उसकी प्रगति नहीं हुई।

हिन्दी, आज राज्यभाषा भी है और हमारे प्रदेश की मातृभाषा भी है। इसके साथ-साथ हिन्दी राष्ट्रभाषा भी है और हिन्दी को देश में वह स्थान मिलना चाहिये जो स्थान अभी तक अंग्रेजी को मिला रहा। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिन्दी किसी भी प्रादेशिक भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा के विरोध में उसकी प्रतिस्पर्धा करके या प्रतिद्वंदी होकर नहीं खड़ी है। यदि वह कुछ चाहते हैं और हिन्दी के उपासक तथा समर्थक कुछ चाहते हैं तो वह यह चाहते हैं कि हिन्दी को वह स्थान प्राप्त हो जो स्थान हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में, हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में और सांस्कृतिक जीवन में अंग्रेजी को प्राप्त हो गया है। धीरे-धीरे उस स्थान को हिन्दी ग्रहण करे। इसी विचार से वह राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन की गयी। मान्यवर, मैं उन लोगों में से हूं जो हिन्दी के तुच्छ सेवक हैं। उसके प्रति गहरी निष्ठा रखता हूं और उसकी उपासना करता हूं। मैं उन लोगों में से हूं जो यह भी मानते हैं कि हिन्दी का अपना सहज ही स्थान है इस देश की राष्ट्रभाषा होने का। वह इस कारण कि हमारे देश की सारी सांस्कृतिक 'धारा' ऐतिहासिक धारा और बड़ी सीमा तक इस देश की आत्मा जिस भाषा में व्यक्त हुयी हो वह भाषा सहस्राब्दियों से चली आ रही है और उसके स्रोत से हिन्दी का जन्म हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी मानता हूं कि हिन्दी एक ऐसी भाषा है जिसे हमारे देश में करोड़ों नर नारी बोलते हैं जिनकी संख्या १६, १७ करोड़ के लगभग होगी। वह एक ऐसी भाषा है जिसमें संस्कृत की बहुलता होने के कारण हमारे देश की अन्य प्रादेशिक भाषाओं के अत्यन्त ही निकट है। इसलिये सोचा गया और कम से कम हमारे ऐसे हिन्दी उपासकों के मन में यह धारणा थी कि राष्ट्रभाषा हिन्दी को बनाया जाय। इस विचार से नहीं कि हिन्दी को किसी के ऊपर थोपा जाय अथवा किसी प्रादेशिक भाषा या क्षेत्रीय भाषा की प्रतिस्पर्धा में यह खड़ी हो अथवा किसी को हानि पहुंचे अपितु इस विचार से कि हिन्दी देश की एकता का माध्यम बन सकती है। भाषा ही एकता का माध्यम हुआ करती है। आप अंग्रेजी की चाहे जितनी निन्दा करें कि अंग्रेज इसको छोड़ कर चले गये। यह दुर्भाग्य था कि अंग्रेज यहां आये और हमारे देश को गुलाम बनाया लेकिन इसको कोई इतिहास का विद्यार्थी भूल नहीं सकता कि इस देश में राष्ट्रीय एकता के उत्पन्न करने में, उसको सजीव बनाने में अंग्रेजी भाषा के द्वारा बहुत अधिक हमारी सहायता हुई। परन्तु अंग्रेजी हमारे यहां आयी और अंग्रेजों ने हमारे दृष्टिकोण को उन्नत किया और हमें संसार के निकट लाई। हमारे देश में जहां अनेक भाषायें बोली जाती हैं उन्हें एक सूत्र में बांधने में अंग्रेजी सफल हुई। पराधीनता हमारे लिये बुरी वस्तु थी। अंग्रेजी का हमारे

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हर प्रकार के और विशेषकर सांस्कृतिक जीवन पर बहुत विषमय प्रभाव हुआ परन्तु उसकी देन को भी हम भुला नहीं सकते। यदि भारतीय संघ को सदा के लिये सफल होना है तो राष्ट्रीय एकता ही हमारी मूलभूत आवश्यकता है और हिन्दी उसमें सहायक होगी क्योंकि भाषा की एकता से राष्ट्र की एकता में सहायता मिलती है। अंग्रेजी ने हमारे सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जो स्थान प्राप्त कर लिया था उसी स्थानपर हमें हिन्दी को बैठाना है। मुझे स्मरण है, श्रीमन्, इसी भवन में हम हिन्दी के लिये कितना संघर्ष करते रहे।

आज हमारे भाई रामकुमार जी ने एक लांछन लगाया कि तुम्हारे मंत्रिमंडल में और मुख्य मंत्री जी का मंत्रिमंडल होते हुये हिन्दी का विकास नहीं हो रहा है तो तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी सरकार के ऊपर एक लांछन है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सुनकर मुझे तनिक भी दुःख नहीं हुआ, बल्कि मुझे खुशी हुई उनकी बातें सुनकर। मुझे उस समय का स्मरण है जब कि इस भवन में हिन्दी का एक शब्द भी निकालना अपराध सा होता था। हम जानते हैं कि किस प्रकार हमारे देश में एक विचित्र प्रकार की आशंका थी हिन्दी के प्रति और कितनी हिन्दी की उपेक्षा थी। एक समय था हमारे देश में जब हिन्दी पढ़ने वाले और केवल हिन्दी जानने वाले कदाचित गंवार समझे जाते रहे होंगे। मैं आपसे निवेदन करूं कि अपने संविधान की सभा में उत्तर प्रदेश के लोगों ने किस प्रकार हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने में अपनी थोड़ी बहुत शक्ति लगाई, वह सबको विदित है। सब जानते हैं कि किस प्रकार हिन्दी के मार्ग में अनेक प्रकार की रुकावटें थीं। यदि कोई साम्प्रदायिक भावना समझे कि हिन्दी के पीछे रही हो तो वह हिन्दी के उपासकों के प्रति अन्याय करता है। हमें अपने देश की स्वतन्त्रता संसार में सब से अधिक प्यारी है। यदि कोई भी पदार्थ देश की एकता और स्वतन्त्रता के लिये घातक है तो मैं एक व्यक्ति हूं जो जगत के समस्त पदार्थों का त्याग कर सकता हूं मगर देश की स्वतन्त्रता को नहीं छोड़ सकता हूं। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा बनी और धीरे-धीरे उसका विकास हुआ। परन्तु मैं मानता हूं कि जितनी तीव्र गति से, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, उसकी प्रगति होनी चाहिये थी, उतनी तीव्र गति से नहीं हुई। इस बात का हमें दुःख भी होना चाहिये, यह ठीक है। लेकिन उसके लिये यह कहना कि सरकार ने उपेक्षा की दृष्टि ग्रहण की, यह उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में केवल बेचारे सरकारी कर्मचारियों को ही दोष देना भी उचित नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी यहां नहीं बोल पाते हैं। आप केवल सरकारी कर्मचारियों को कोसें कि सरकारी कर्मचारियों ने यह नहीं किया वह नहीं किया, उन्हें सचेत किया जाय, तो ऐसा कर सकते हैं, वे यहां बैठते नहीं हैं। पर मैं कहता हूं कि हिन्दी के उपासक यहां मौजूद हैं जिन्होंने हिन्दी की लड़ाई लड़ी, और हिन्दी की सेवा की। आज क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि उनके मन में हिन्दी के प्रति प्रेम और आदर कम हो गया है?

यह सत्य है कि हिन्दी अपना उचित स्थान अभी तक ग्रहण नहीं कर पाई है पर इसके कुछ कारण हैं। केवल सरकारी कर्मचारियों को ही इसका दोषी मानना और यह कहना या यह समझना कि सरकारी आदेशों का पालन नहीं होता है, यह अपने आपको निकम्मा घोषित करना है। सरकार के आदेशों का अपालन नहीं होता है। मैं स्वयं एक मंत्री हूं, आपकी कृपा से और इस भवन के अनुग्रह से आपकी उदारता है, मैं जानता हूं, मेरे पास भी विभाग है, कि किस प्रकार से मेरे विभाग में हिन्दी में काम होता है। वैसे तो अंग्रेजी मुझे कम आती ही है लेकिन अब मानों अंग्रेजी लिखने का तो अभ्यास मैं भूल ही गया हूं। तमाम नोट्स हिन्दी में लिखे जाते हैं, तमाम सरकारी कर्मचारी उसमें सहयोग देते हैं और मैं समझता हूं कि ९०-९५ प्रतिशत तक कर्मचारी हिन्दी जानते

हैं। सारा पत्र-व्यवहार हिन्दी में होता है। उनकी ओर से कोई उपेक्षा की बात नहीं है। हिन्दी की प्रगति हुई है और इसके लिए सरकार ने जितने कार्य किया है वह सब फाइल में मौजूद है, जो मेरे पास हैं। सन् ४७ से पचासों आदेश निकल चुके हैं, जो हमारे सम्मुख हैं। हमें यह बताया गया कि इन आदेशों का कोई परिणाम नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास इस बात की रिपोर्ट मौजूद है और हमारे प्रदेश में सरकारी काम करने वाले कर्मचारियों में से ९९ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिन्दी सीख ली है। इस पर भी यह कहना कि हमारे आदेशों का अपालन होता है, यह बात ठीक नहीं है। अभी एक पुस्तिका निकाली गयी है जिसका नाम "मेमोरेंडम आन प्रोग्रेस आफ हिन्दी" है। उसमें सन् ४७ से लेकर ५५ तक जितने भी आदेश निकले हैं वह बताये गये हैं तथा यह भी बताया गया है कि हिन्दी ने किस प्रकार इन दिनों में प्रगति की है। यह तमाम विभागों को भेजी गयी है।

हिन्दी के बारे में जितनी भी बातें कही गयी हैं उन सब के बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं। यह कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हिन्दी जानने वालों को प्रिफरेंस दिया जाय, टूर प्रोग्राम हिन्दी में हों, पत्र-व्यवहार हिन्दी में हों, यह तमाम आदेश पहले से ही दिये हुए हैं। सर्क्यूलर लेटर्स बजाय हिन्दी के अंग्रेजी में जाया करें, वह भी जाते हैं (किसी सदस्य के कुछ कहने पर)। आदेश हिन्दी में भी दिये जाते हैं और अंग्रेजी में भी दिये जाते हैं परन्तु एक दिक्कत यह भी होती है कि हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिन्दी नहीं समझते हैं। मैं आपको यही बताना चाहता था कि हिन्दी की प्रगति में बाधक केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं हैं। उनके प्रति जो लोगों की धारणा बनी हुई है, यह धारणा गलत है। यह कहा जाता है कि सरकारी अधिकारीगण समझ बूझ कर हमारे आदेशों का अपालन करते हैं, मानों हम जगन्नाथ जी की मूर्ति हैं जो हाथ पैर कटा कर, शिखंडी बन कर यह सब देखते रहते हैं, अथवा हमारा हिन्दी के प्रति जो प्रेम था वह सब कम हो गया है और आज हम हिन्दी के प्रति मार्ग में बाधक हैं। मैं आपसे यह कह रहा था कि हिन्दी के मार्ग में बाधक हमारी अपनी आदत है। आदत धीरे-धीरे बदलती है। जैसा कि मदनमोहन जी उपाध्याय ने कहा कि बिल उनकी समझ में नहीं आते और माननीय नेकराम शर्मा ने कहा कि गजट वे नहीं समझ पाते। ऐसी हमारी आदत धीरे-धीरे बदल रही है लेकिन हमारे दुर्भाग्य से हमारा जो बौद्धिक आधार रहा है वह अंग्रेजी का रहा है और उसके पीछे अंग्रेजी का शब्द भंडार है। हम में से आज भी बहुत से जब बोलते हैं तो कहते —"मेरी वाइफ बीमार है" मेरा एपीन्डीसाइटिस का आपरेशन हो गया है", "डाक्टर को यह लिखो" आदि-आदि। तो हमारी वह सारी बैकग्राउन्ड इस तरह की बन गई है कि वह आज हिन्दी के मार्ग में प्रगति के पथ पर बाधक है सरकार की कोई हिन्दी के प्रति उपेक्षा की नीति नहीं रही है। वह धीरे-धीरे जो स्थान उसको ग्रहण करना चाहिये वह उसको प्राप्त करती जा रही है। कुछ बाधाओं की सीमा के होते हुए भी इस प्रदेश की सरकार ने हिन्दी के लिए जितना कुछ किया है उतना मैं समझता हूं इस देश के किसी प्रदेश की सरकार ने अभी तक नहीं किया है और उत्तरोत्तर वह उसके लिए जो कुछ करना उचित होता है वह करती जा रही है। उसको जितनी सफलता हिन्दी मामले में मिली है, उसने केवल आदेश, विज्ञापन आदि ही हिन्दी में प्रकाशित नहीं किए हैं बल्कि उसको इस दिशा में जितनी सफलता प्राप्त हुई है उतनी सफलता किसी प्रदेश की किसी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। जितना सहयोग इस सरकार को अपने सरकारी कर्मचारियों से मिला है, मैं समझता हूं सब जगह मिला होगा लेकिन हमें जितना सहयोग इस विषय में अपने कर्मचारियों से मिला है उतना शायद कहीं न मिला होगा। हम इस दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं और हिन्दी का पर्याप्त विकास हो रहा है। आज हमारे यहां इन्टरमीडिएट तक की परीक्षायें हिन्दी में होने लगी हैं और प्रारम्भिक दर्जे से लेकर इंटरमीडिएट तक

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

की तमाम परीक्षायें अंग्रेजी को छोड़ कर हिन्दी में ही होने लगी हैं। इसलिये यह कहना कि हिन्दी की प्रगति नहीं हुई है उचित नहीं है और न इस प्रकार का लांछन सरकार पर लगाना उचित हो सकता है।

हमें यह समझना चाहिये कि हिन्दी के मार्ग में कुछ रुकावटें भी हैं और बाधायें हैं। उनमें एक बाधा संविधान की भी है। जैसा कि अभी श्री मदनमोहन जी ने बतलाया कि मजबूरी है कि एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट्स और आडिटर जनरल और कंट्रोलर जनरल के यहां से अब भी हिन्दी में चीजें नहीं आतीं और अंग्रेजी में ही आती हैं। संविधान के अनुसार वह अभी अंग्रेजी में आ सकती हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो कारेसपांडेंस होती है तो वह भी अभी अंग्रेजी में होती है। संविधान में इस प्रकार का प्राविजन है। इसी प्रकार से हाईकोर्ट की जुडीशियल प्रोसीडिंग्ज अंग्रेजी में होंगी, इस प्रकार का संविधान का आदेश है। इसी तरह से जहां तक फाइनेन्शियल मेटर्स का सम्बन्ध है वहां भी अकाउन्टेन्ट जनरल के यहां और कंट्रोलर आडिटर जनरल के यहां के सब अकाउन्ट्स अंग्रेजी में होंगे और सब पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में होगा। हमारी यह मजबूरी है और संविधान के अनुसार भारत सरकार से और अन्य प्रदेशों से हमें पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में करना पड़ता है। परन्तु विकास हो रहा है और धीरे धीरे हिन्दी का प्रसार और उपयोग विकसित हो रहा है। हम चाहते हैं कि हिन्दी की प्रगति हो और वह किसी पर भार न हो बल्कि उदारता के साथ सब को ग्राह्य होती चली जाय। आज हिन्दी के मार्ग में जो सीमायें हैं हम उनको न भूलें। मैं भी हिन्दी का भक्त हूं लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज हिन्दी के पास शब्दों की विपुलता नहीं है और जिनको टेकनिकल शब्द कहते हैं, उनकी विशेष कमी है। यदि हमें अपनी भाषा का सुन्दर और पूर्ण स्वरूप बनाना है तो हमें वह सब प्रकार के शब्द लाने होंगे, चाहे हम उनको अंग्रेजी में से लें, यद्यपि अंग्रेजी में तो इस प्रकार के शब्द नहीं हैं, उसमें तो लैटिन और ग्रीक के शब्द हैं कि जिनसे उन्होंने अपने टेकनिकल शब्द बनाये हैं लेकिन हमें भी कहीं न कहीं से अपने शब्द भंडार को चाहे वह टेकनिकल हों या पारिभाषिक हों लेना ही पड़ेगा क्योंकि आज हमारे यहां उन शब्दों की एकदम कमी है और यह हिन्दी की प्रगति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। हमारी हिन्दी की भाषा के जितने वैज्ञानिक और शास्त्रीय शब्द हैं उनके सम्बन्ध में पंडितों और शास्त्रियों के विचार में तो अभी एकता और एकरूपता नहीं आ सकी है। हमें हिन्दी के बनाने में संस्कृत से शब्द लेने होंगे, वही हिन्दी का मूल स्रोत है। यह भी विचारणीय है और इस सम्बन्ध में भी बहुत सी धाराणायें और विवाद हैं। जितना ज्ञान है, जितना साहित्य और ज्ञान भाण्डार है वह अभी हिन्दी में नहीं है। हमारे देश में अभी तक यूनिवर्सिटी की शिक्षा हिन्दी में नहीं हो पाती और विभिन्न आज के जो नए-नए विकसित विषय हैं उनकी पाठ्य पुस्तकें हमारे पास हिन्दी में नहीं हैं। विविध विज्ञान, अर्थ शास्त्र, बोटेनी, ज्योलाजी, कैमिस्ट्री, फिजिक्स और न जाने कितने विषय ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में अभी उच्च श्रेणी की शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। राजनीति, समाजनीति, और न जाने कितने विविध प्रकार के ऐसे विषय हैं जिनकी पाठ्य पुस्तकें अच्छे स्तर की हमारे पास नहीं हैं। अगर आप बड़े क्लासेज की राष्ट्रभाषा के माध्यम से पठनपाठन कराना चाहते हैं तो पहले आप के पास उच्च स्तर की पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए और उनके न होने पर यदि शीघ्रता की गई तो हिन्दी की प्रगति में वह नीति बाधक होगी। यह सब सीमायें हैं जिनके बीच से हिन्दी को निकाल कर आगे बढ़ाये चलना है। धीरे-धीरे ही इन सीमाओं का परिहार सम्भव है और उन्हें ध्वस्त करके ही हम हिन्दी को ऊंचे स्थान पर लाने में समर्थ हो सकते हैं।

आज हिन्दी का नाम लेकर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत शोर गुल करना भी हिन्दी के हित में कोई बात नहीं है। हिन्दी के प्रेमी लोगों को यह करना है कि उनको

हिन्दी को उदार बनाने की जरूरत है। उसके द्वार को मुक्त करना है उसके प्रकोष्ठ को आबद्ध नहीं करना है। उसके शब्द भाण्डार को भरना है। उसमें शब्दों की विपुलता को लाना है। संस्कृत के समस्त पदों को जिनसे हमें वैज्ञानिक और ऐसे शब्द मिल सकें कि जिनका अर्थ हम समझ सकें उनको अपना लेना है। जैसे आप 'बैलट' शब्द को ले लीजिये। उसके लिये शब्द "शलाका" हमने रखा है। लेकिन किसी से पूछिये कि 'शलाका' तो उसकी समझ में नहीं आता कि शलाका क्या शब्द है लेकिन बैलेट को सब लोग समझ जाते हैं क्योंकि गांव पंचायतों के चुनाव में पहुंच जाइये सब लोग समझ लेते हैं कि चाहे बैलट से वोट लें चाहे हाथ उठा कर वोट लें। तो बैलट शब्द को समझ सब लेंगे। रेल को "लौहवाष्पयंत्रगामिनी" अब जगन्नाथमल्ल जी कहने लगे तो हमने समझा कि वह कोई कविता कर रहे हैं जिसमें अस्तगामिनी या गजगामिनी आदि आयेगा या कोई उसी प्रकार की चीज आयेगी। इस प्रकार के शब्द को हम क्या करेंगे लेकर जिसको हम नहीं समझ सकेंगे। हमें रेल शब्द को भी हिन्दी में लेना होगा और हमें ऐसे शब्दों से अपने भाण्डार को भरना होगा उसका द्वार मुक्त करना होगा परन्तु तमाम शब्दों को तमाम भाषाओं से लेने के बाद भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। हमें मूल शब्द बनाने होंगे और उसके बनाने में शब्द पदधातु सब संस्कृत से आवेंगे और भाषा संस्कृत क्लिष्ट और संस्कृत बहुल होगी उससे परिमार्जित और प्रांजल भाषा ही हमारे सामने आयेगी जो हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। राज्य भाषा कानून से नहीं बनती बल्कि राज्यभाषा बना करती है जब उस भाषा में राज्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने की शक्ति हो, बल हो और उसमें क्षमता हो तब वह भाषा राज्यभाषा हो सकती है। केवल कहने से, कानूनों के बना देने से कोई भाषा राजभाषा के पद पर आसीन नहीं हो सकती।

आज हिन्दी सेवकों को दूसरी दृष्टि से इस पर ध्यान देना है। अपने राज्य कर्मचारियों को बहुत कोसने से राज्यभाषा हिन्दी नहीं हो सकती। आप देखें कि हिन्दी की गति क्या है। हिन्दी की जो सेवा करने वाली संस्थायें रही हैं वह अंग्रेजी के जमाने में, जब राज्य का प्रतिरोध था जब वह उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाती थी, तब उस जमाने में हिन्दी उछली, चली और प्रतिरोध का मुकाबिला करती चली और देश के रहने वालों के मानसिक भावों का राज्य विप्लवों का वह प्रतीक बनी। लेकिन जब से स्वतन्त्र हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा के पद पर वह आसीन हुई, ऐसा लगता है जैसे उसमें गतिरोध, एक अवरोध उत्पन्न हो गया है। हिन्दी की जो संस्थायें रही हैं आज जब अवसर था हिन्दी के काम करने के लिये कि शब्द के कोष बना डालें आप बड़े से बड़े क्लासेज के लिये, वहां पढ़ने के लिये लोगों को विविध विषय के ग्रन्थ रच डालते, पाठ्यक्रम बना डालते, जितने अत्यन्त आवश्यक थे वैज्ञानिक और टेक्नीकल वर्ड्स की रचना कर डालते, अपने शब्दों को टेक्नीकल भाषा के लिये शब्द प्रदान करते, जिससे लोगों की समझ में आ सकता और जो लोगों के जीवन की सरकारी कार्यों की समस्त राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते। उसका द्वार प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों के लिये मुक्त हो जिससे प्रादेशिक भाषाओं के विरोध का प्रभाव समाप्त होता चले, किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि आज हिन्दी की संस्थाओं में वह गतिरोध उत्पन्न हो गया है कि हिन्दी की पुस्तकों को लोग नहीं पढ़ते। राज्यभाषा बनाने के लिये हिन्दी को विकसित होना है और हिन्दी को विकसित करने के लिये राज्य कर्मचारियों को कोसना ही आवश्यक नहीं है बल्कि उसके आवश्यक अंग और हैं। मैं हिन्दी का एक पत्रकार रहा हूं और मैं जानता हूं कि हिन्दी अखबारों की गति बिगड़ती हुई चली जाती है। हिन्दी अखबार पढ़ने वालों की संख्या क्या है। करोड़ों नरनारी हैं कोई अखबार पढ़ता नहीं है। किसी बंगाली को आप देखिये। वह अंग्रेजी अखबार पढ़ता है लेकिन बंगला के अखबार को

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

वह जरूर पढ़ेगा। उनका यह अपनी भाषा के पत्रों के प्रति स्नेह है। लेकिन हिन्दी पत्रों की दुर्दशा होती जा रही है, कोई अखबार पढ़ता नहीं है। कोई दो पैसे का अखबार खरीदेगा और बाईस आदमी उसको पढ़ेंगे। यह भी उसको जमा करके रक्खेगा कि उसको बेंच कर आधा पैसा उसका भी ले लेगा। मैं पत्रकार रहा हूं मैं चाहता हूं कि हिन्दी की गति को दूर तक ले जाने के लिये वह स्थिति और वह वातावरण हम उत्पन्न करें, वह स्थिति उत्पन्न करें जिससे हिन्दी उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर हो। हम उसे गति प्रदान करें, उसे वैभवशालिनी बनायें, उसे सम्पत्तिशालिनी बनायें और उसे उदार बनायें और इस ढंग से बढ़ायें क्योंकि उत्तर प्रदेश पर बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिये कि हमारी मातृ भाषा भी है और राज्यभाषा भी है और फिर हमने उसे राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन किया है। वे धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने हिन्दी भाषा भाषी न होते हुए भी राष्ट्रभाषा के रूप में इसे अंगीकार किया जब कि उनके प्रादेशिक साहित्य न जाने कितने विकसित, न जाने कितने उन्नत, कितने ललितमय और परिपुष्ट हैं। वे हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं अतएव हम उसे इस रूप में बढ़ायें, भले ही थोड़ा विलम्ब हो जाय, कि हिन्दी एक उच्च स्तर की भाषा बन सके और जिसका अंग-प्रत्यंग विकसित हो सके और वास्तव में हिन्दी का विकास इस प्रकार से हो जिस प्रकार से भाषा का विकास होता है। केवल राजाश्रय से काम नहीं चल सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपके जो भाव हैं उनका आदर करता हुआ विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रदेश की सरकार न केवल उत्सुक है, बल्कि उसका प्रचंड आग्रह है कि हिन्दी का जो स्थान है उसे वह प्राप्त करे और इसमें किसी प्रकार की कोई उपेक्षा की भावना नहीं है। जो हिन्दी की सीमायें हैं उनके साथ-साथ हम अग्रसर हो रहे हैं और इस दृष्टि से शीघ्र से शीघ्र हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ मैं कुंवर साहब से अनुरोध करूंगा कि हिन्दी का हित इसी में है---और इसे भी आप स्वीकार करेंगे, कि हिन्दी का पुराना सेवक रहा हूं---हिन्दी के उस सेवक होने के नाते अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को वापस लें और विश्वास करें उन लोगों पर जो हिन्दी के सिपाही रहे हैं, जिन्होंने उनके लिये संघर्ष किया है और जो उसके पुजारी और पोषक रहे हैं, कि हिन्दी का जो इतिहास में स्थान रहा है उस स्थान पर उसे प्रतिष्ठित करने में कोई बात उठा न रखेंगे।

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कई दिन हो गये इस संकल्प पर विचार करते हुए। मैं तो यही समझता रहा चूंकि इसे सब सदस्यों का समर्थन प्राप्त है अतएव यह पारित हो जायगा क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं हुआ। केवल एक सदस्य ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिनसे मुझे ऐसा जान पड़ा कि वह उसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कुछ संशोधन किये और उनको मैंने पढ़ा और उन पर भी विचार किया। फिर हिन्दी के महान सेवक ही नहीं, हिन्दी के धुरन्धर विद्वान् द्वारा जो मैंने सुन्दर शब्दों में सुन्दर सुन्दर बातें सुनी उन पर भी मैंने विचार किया और मैं साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा, बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यहां पर जितना वाद विवाद हुआ हिन्दी भाषा उर्दू भाषा और अन्य भाषाओं के संबंध में उसे भी मैंने ध्यान से सुना। मेरे संकल्प का यह अभिशाय कदापि नहीं था। मैंने स्पष्ट कहा था कि राज्य कर्मचारियों द्वारा जब मैं देखता हूं कि इतने दिनों से हिन्दी राज्य भाषा घोषित हो जाने पर भी यदि साधारण साधारण चिट्ठियां, साधारण साधारण पत्र और सूचनायें अन्य भाषाओं में भेजे जाते हैं तो आश्चर्य ही नहीं बल्कि दुख भी होता है। मैं देखता हूं कि नियोजन समितियों के पत्र जाते हैं तो अंग्रेजी में जाते हैं। मैं उन्हें ले आया हूं। मुझे किसी जिले के कर्मचारी से द्वेष भाव नहीं लेकिन मेरे पास कोई पत्र पहुंचता है और जब नेत्रों के सामने प्लानिंग कमेटी, सोल्जर्स बोर्ड, ऐंटी करप्शन कमेटी, अस्पतालों आदि के नाना प्रकार के पत्र आते हैं तो अंग्रेजी में आते हैं तब मुझे अत्यन्त खेद और आश्चर्य होता है। हिन्दी का नाम आने पर उनमें हलचल मच जाती है और उस समय कहा जाता है सरलता

चाहिये, सुगमता चाहिये। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग सरलता की दोहाई देते हैं कि जब हमारे ग्रामीण भाइयों के पास अंग्रेजी लिपि, रोमन लिपि में सूचनायें जाती हैं तो उन्हें कितनी कठिनता का सामना करना पड़ता होगा। इस प्रकार से इतना ही नहीं, मैं स्वयं जानता हूं, और मेरा सदा से यही भाव रहा है, मैं किसी दलगत भावना से प्रेरित हो कर कोई कार्य नहीं करता। मैं सत्य का ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना जो मेरे समाज का एक नियम है, मैं सदा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता हूं कि ईश्वर मुझे सन्मार्ग पर ले चले, और मैं उससे विचलित न हूं। इस लिए सद्भावना से यह प्रस्ताव मैं लाया हूं। जब मैं देखता हूं कि सरकार के आदेश हुए, प्रश्न पर प्रश्न हुए, उनके उत्तर दिये गये, और सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया फिर भी यदि राज कर्मचारी अंग्रेजी में ही नियोजन समितियों तक से पत्र ग्रामों में भेजे जाते हैं, तो मैं हिन्दी की उपेक्षा नहीं तो इसको क्या समझूं? परन्तु यदि सरकार की ओर से यह आवश्वासन होता है कि यह उपेक्षा नहीं है, अब जो कुछ भी हो। सरकार इसके लिए प्रयत्न करे। मैं तो चाहता हूं कि सरकार आदेश दे। मैं कोई हिन्दी के लिए प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं। प्रस्ताव तो बहुत पहले हो चुका है। मैं सरकार से केवल अनुरोध करता हूं कि सरकार ने एक आदेश दिया और इतना उत्तम आदेश दिया कि एक सरल सुपाठ्य, वैज्ञानिक लिपि और भाषा का प्रयोग हो फिर भी उसकी अवहेलना की जाय, उपेक्षा की जाय, मेरे पास पत्र हैं, मैं दिखला सकता हूं और कई माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया कि ग्रामों में जो प्लानिंग कमेटी और दूसरे जगहों से जो पत्र जाते हैं वह अंग्रेजी में जाते हैं। इस प्रकार के पत्रों को हिन्दी में भेजने में कर्मचारियों को क्या कठिनायी है? क्या वह इतना नहीं कर सकते? वहां हिन्दी के टाइपराइटर भी हैं, मैं एक आध पत्र हिन्दी का भी दिखा सकता हूं। लेकिन प्रायः अंग्रेजी ही में लिख कर भेजते हैं। इसका मुख्य कारण यह होगा कि प्रायः लोगों का पुराना अभ्यास है। उसके कारण कठिनाई प्रतीत होती होगी। दूसरे हमारे कुछ कर्मचारी उसकी उपेक्षा भी कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्यों में प्रायः सभी ने कहा। मैं यही चाहता हूं कि चाहे मेरा संकल्प पारित हो या न हो, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करने के लिए यही संकल्प ले आया हूं।

मैं बहुत विनम्र भाव से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह ऐसा आदेश दे और उसका पालन हो। सरकार के ही आदेश की अवहेलना, उसी की उपेक्षा, मुझे असह्य जान पड़ रही है। इस लिए कि इतने वर्षों से आदेश है और आज तक उसके प्रति राजकर्मचारी उदासीनता प्रकट कर रहे हैं। इसका क्या परिणाम होगा और किस प्रकार हमारी प्रगति हो सकेगी? जब सरकार की आज्ञा हो गयी और हमारे यहां इस प्रकार से सूचना पंचांग जो माननीय सूचना मंत्री महोदय की ओर से निकला है उसमें बतलाया गया है कि १९४७ में तथा उसके पश्चात् यहां पर हिन्दी में बराबर प्रगति हो रही है। लेकिन जहां पर १९४८ में हिन्दी जानने वालों की संख्या ३५ प्रतिशत थी, १९४९ में वह १८, १९ प्रतिशत रह गयी और अब यह संख्या घट कर केवल दो प्रतिशत रह गयी। इस प्रकार यह संख्या घटती जा रही है। मैं भी मातृभाषा का एक साधारण सेवक रहा हूं। बचपन से इस क्षेत्र में मैं सेवा करता रहा हूं। इस लिए सेवा भाव से या किसी भाव से, मैं चाहता हूं कि सरकार का आदेश जो है, और जो उचित आदेश है उसका पालन होना चाहिए। इसमें उदासीनता क्यों प्रकट की जाय? कोई भी प्रगति मुझको इसमें दिखायी नहीं दे रही है। दिनांक दिखा सकता हूं, २३ दिसम्बर को जब मेरे सकल्प पर विचार हो रहा था मुझे बैठे बैठे एक पत्र मिला जो अंग्रेजी में छपा है। माननीय केसकर साहब का प्रोग्राम था। उनका प्रोग्राम क्या हिन्दी में नहीं छप सकता था। उसके पश्चात् के भी बहुत से ऐसे पत्र हैं, चिट्ठियां हैं जिनको कि दिखला सकता हूं, और ले कर आया हूं और इसका समर्थन हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने किया है, बल्कि सभी सदस्यों ने किया है। माननीय नेकराम शर्मा ने न किया हो, यह दूसरी बात है, मुझे कोई आग्रह नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं कि देवनागरी लिपि में सब काम हो और इस के लिए वह भी तैयार हैं। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। तो मैं इसको सदन पर छोड़ देता हूं। सदन जैसा चाहे उसके ऊपर इसे छोड़ता हूं।

[श्री रणंजय सिंह]

सदन चाहता हो कि यह प्रस्ताव स्वीकार हो तो स्वीकार कर ले और अगर वह चाहता हो कि मैं इसे वापस ही ले लूं, इसी में हित है तो मुझे कोई आग्रह भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, कुछ विशेष नहीं कहना है। अब मैं फिर प्रार्थना करूंगा और शायद उन्होंने आप से यह या सदन से यह आज्ञा भी मांगी है उसे वापस करने की। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कुंवर साहब से भी और आपके द्वारा इस सदन से कि हिन्दी की उपेक्षा होने वाली नहीं है। हिन्दी की भी उपेक्षा होने के माने यह कि किसी ऐतिहासिक सत्य की उपेक्षा हो। हिन्दी की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। हां, हिन्दी का अहित हो जा सकता है यदि हम सावधानी के साथ आगे न बढ़ें। उपेक्षा होगी नहीं हिन्दी की। हिन्दी अपना स्थान ग्रहण करती जा रही है, यह इतिहास ने उसके लिए निर्धारित कर रखा है। इतिहास में हम उदारता से काम लें और उन लोगों पर विश्वास करें जिनके हृदय में हिन्दी के प्रति वैसा ही स्नेह और आदर है जैसा कि उनके हृदय में है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रणंजय सिंह—श्रीमान् जी, मैंने निवेदन किया, मुझे कोई आग्रह नहीं है। मैं वापस ले सकता हूं।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।)

प्रत्येक जिले में एक डिग्री कालेज तथा प्रत्येक तहसील में एक हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से यहां पर यह संकल्प उपस्थित कर रहा हूं—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि आगामी पंच वर्षीय योजना की अवधि में राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक डिग्री कालेज तथा प्रत्येक तहसील में कम से कम एक हायर सेकेन्ड्री स्कूल अवश्यमेव खोल दिये जायं।"

श्रीमान् जी इसके लिए मैंने एक संशोधन भी दिया, यहां पर उपस्थित किया है। तो यदि आज्ञा हो तो मैं उसे भी उपस्थित कर दूं....

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि आपने संशोधन दिया है इस लिए दूसरे को इजाजत दे दी जाय इसको पेश करने की।

श्री रणंजय सिंह—श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के संबंध में बहुत प्रगति की जा रही है लेकिन अपने अनुभव से हम यह देख रहे हैं कि बहुत दूर तक डिग्री कालेज नहीं हैं जिसकी वजह से विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई होती है। उदाहरण के रूप में मैं अपने जिले की बात करता हूं, फैजाबाद कमिश्नरी में कुल दो डिग्री कालेज हैं—एक फैजाबाद में और दूसरा बलरामपुर में। इस प्रकार से छः जिलों में दो डिग्री कालेज हैं। हमारे यहां सुल्तानपुर में रायबरेली में खैर वह तो दूसरी कमिश्नरी में है, प्रतापगढ़ में अब सभी जगह इंटरमीडिएट कालेज खुल गए हैं। वहां पढ़ने की समस्या ऐसी है कि इधर-उधर भटकना पड़ता है और बड़ी कठिनता होती है। हमारे यहां, प्रान्त में ५६ डिग्री कालिज हैं और जिले ५१ हैं। जान पड़ता है जैसे प्रत्येक जिले में है, किन्तु बहुत से ऐसे जिले हैं जहां बिलकुल अभी तक डिग्री

कालिज नहीं खुले हैं और लड़कों को पढ़ने के लिए दूर-दूर नगरों में जाना पड़ता है । ऐसी दशा में मैं सरकार से अनुरोध करूं कि प्रत्येक जिले में एक डिग्री कालेज होना चाहिये जिससे विद्यार्थियों की कठिनता दूर हो सके तो इसमें अनुचित न होगा । इस प्रकार बड़ी सुगमता होगी ।

अगर शिक्षा में कोई सुधार करना है, शिक्षा की प्रणाली को बदलना है तो वह तो डिग्री कालिज में भी सरकार जिस तरह से चाहेगी वहां कार्य करायेगी । जो शिक्षा प्रणाली होगी वही वहां पर पढ़ाई जायगी । इस प्रकार से जो हमारे विद्यार्थी इधर-उधर भटकते हैं, उनके लिए कोई प्रबन्ध नहीं है , बहुत से कालिज में भर्ती नहीं होते, उन्हें बड़ा व्यय करना पड़ता है और जो संख्या विद्यार्थियों की बढ़ती जा रही है कि इतना पैसा लगाने के बाद भी उन्हें बाहर कालिजों में स्थान नहीं मिलता तो उनके मां-बाप सोचते हैं कि इतना पढ़ाया लिखाय और अब भी यह भटक रहा है जब कि उनके मन में इच्छा है कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करे । उच्च शिक्षा के अभाव में वह ऐसी कठिनाई में पड़ता है कि न तो वह कोई काम कर सकता है और न अपने ध्येय की पूर्ति कर सकता है । इस लिए उनके लिए कोई ऐसा उत्तम प्रबन्ध किया जाय जिससे आस पास डिग्री कालिज खुल जायं और वह आसानी से पढ़ सकें । इसके लिए मैं समझता हूं कि सरकार की स्वयं की योजनाएं हैं कि शिक्षा का प्रसार किया जाय । सरकार स्वयं शिक्षा का प्रसार कर रही है, तो यदि कहा जाय कि यहां सरकार को इस पर विरोध नहीं होना चाहिये तो अनुचित नहीं होगा और प्रत्येक जिले में कम से कम एक कालिज खुल जायगा तो उसे मैं समझता हूं कि ....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य दूसरे दिन और कुछ इस पर बोल सकेंगे ।

स्थानीय स्वशासन स्थायी समिति के उपनिर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—एक सूचना मैं सदन को देना उचित समझता हूं कि स्थानीय स्वशासन संबंधी संस्थाएं स्थायी समिति में श्री मलखान सिंह जी द्वारा रिक्त स्थान के लिए निर्वाचन के संबंध में समय के भीतर केवल श्री गज्जू राम (झांसी) का नाम-निर्देशन पत्र आया है, जो सूक्ष्म परीक्षा के बाद ठीक पाया गया । अगर यह नाम १७ जनवरी, १९५६ को ४ बजे तक वापस नहीं लिया गया तो श्री गज्जू राम विधिवत् निर्वाचित समझे जायंगे ।

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे १६ जनवरी, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१३ जनवरी, १९५६

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४० पर)

No. A-637-AH—

FROM

SRI S. R. SINGH, I. A. S.,
JOINT SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE DIRECTOR OF EDUCATION,
UTTAR PRADESH, ALLAHABAD.

Dated Lucknow, August 9, 1955.

Subject : Remission of fees in all Secondary and District Board Schools of the flood-stricken districts of Azamgarh, Jaunpur, Faizabad Basti, Gorakhpur, Allahabad, Pratapgarh, Rae Bareli, Sultanpur and Deoria.

SIR,

EDUCATION (A) DEPTT.

I AM directed to say that due to abnormally heavy rains in the third and fourth weeks of July this year, most of the rivers in the northern and eastern districts of the State have been in spate and tremendous water-logging conditions have been created. Colossal damage to crops and other property has been caused in both the rural and urban areas, particularly in the districs of Azamgarh, Jaunpur, Faizabad, Basti, Gorakhpur, Allahabad, Pratapgarh, Rae Bareli, Sultanpur and Deoria. The residents of these areas have been reduced to a state of helplessness and destitution and naturally they are not in a position to pay the school fees of their children.

2. The Governor has, therefore, been pleased to order that such students, whose guardians are really very poor and can not afford to pay their school fees, should be exempted from payment of fees in all Secondary and District Board Schools in the aforesaid districts for the period from August to December, 1955.

3. The Governor is further pleased to order that the loss sustained by the Managements of the non-Government schools and the District Boards concerned, due to the remission of fees, will be reimbursed to them in the shape of grant-in-aid. The grant will be paid by the District Magistrates concerned.

4. I am also to say that the Management of the schools and the District Boards concerned, should be instructed to submit their claims for reimbursement of the loss thus sustained by them, to the District Magistrates concerned for payment through the District Inspector of Schools of the districts, who will verify them. The amounts so disbursed to the school, may please be reported to the Secretary to Govern ment in the Revenue Department.

5. The charge on account of the above will be met from the funds placed at the disposal of the District Officers, during the current financial year, for payment of gratuitous relief out of the provision under the head "54—Famine Relief—A—Famine Relief—(*b*) Gratuitous Relief".

Yours faithfully,
S. R. SINGH,
Joint Secretary.

No. A-709/XV-Scarcity Depart. 148/55

FROM

SRI B. D. BHATT, M. A., L. T., P. E. S.,
DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE DIRECTOR OF EDUCATION,
UTTAR PRADESH,
ALLAHABAD.

Dated Lucknow, August 18, 1955.

SIR,

EDUCATION (A) DEPTT.

I AM directed to say that it has been reported that acute flood conditions prevail also in the districts of Gonda, Bahraich, Bara Banki, Banaras and Ballia.

The Governor has, therefore, been pleased to order that the remission of fee concessions allowed in G. O. no. A-687/XV, dated August 9, 1955, should also be extended in respect of all Secondary and District Board Schools in the districts of Gonda, Bahraich, Bara Banki, Banaras and Ballia, under the the same terms and conditions as given in the aforesaid G. O.

Yours faithfully,

B. D. BHATT,
Deputy Secretary.

उत्तर प्रदेश हिन्दी

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४२ पर)

तालिका जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या १० के उत्तर में किया गया है।

नाम तहसील	महिला विद्यालय शहरी क्षेत्र में	महिला विद्यालय देहाती क्षेत्र में	योग
देवरिया ..	५	१९	२४
सलेमपुर ..	३	१९	२२
हाटा ..	..	३	३
पडरौना ..	१	४	५

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४३ पर)

तालिका जिसका उल्लेख प्रश्न सं० ११ के उत्तर में किया गया है।

क्रम-संख्या	सरकार से सहायता पाने वाले देवरिया जिले के महिला विद्यालयों के नाम	वर्ष १९५४–५५ में स्वीकृत अनुपालन अनुदान
		रु०
१	कन्या जूनियर हाई स्कूल, गनियारी ..	.. ६००
२	हरिजन प्राइमरी विद्यालय, दंगुरी बाजार	.. ६६०
३	हरिजन कन्या विद्यालय, हरीरामपुर ..	.. ३८४
४	सरोजिनी जूनियर हाई स्कूल, बरहज	८२८
		(वर्ष १९५५–५६ में)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५१ पर)

विवरण पत्र "क"

क्रम-संख्या	छात्रावास का नाम	स्थान	छात्रों की संख्या
१	हरिजन छात्रावास	सदर, आजमगढ़	३०

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५१ पर)

विवरण-पत्र 'ख'

वित्तीय वर्ष	अनुदान रु०
१९५२–५३	१,३९०
१९५३–५४	१,६५०
१९५४–५५	१,५००

सत्यमेव जयते
संसदीय प्रलेख केन्द्र

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

कानपुर जिले व शहर में गत तीन वर्षों में हरिजनों को उद्योग हेतु सहायता प्रदान का विवरण

	शहर	ग्राम	कुल
१९५२–५३	१८..	१६ ..	३४
१९५३–५४	४२..	११ ..	५३
१९५४–५५	४..	८ ..	१२
	..	योग	९९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

तालिकाएं जिनका उल्लेख प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर में किया गया है।

तालिका (क) आवर्तक अनुदान

		स्वीकृत अनुपालन अनुदान	स्वीकृत महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इंटर कक्षाओं में १ रु० शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	
		रु०	रु०	रु०	रु०	आ०
१	बी० एन० मझौली राज ..	१३,१६४		०	८६५	८
२	यू० एन० क्षत्रिय पडरौना ..	१७,४९६		६	३,०६०	०
३	पं० जवाहरलाल कृषक ऋषि-भूमि महुआवारी, लार रोड	३,४८०		.	१५०	०
४	मारवाड़ी विद्यालय ..	८,००४		०	१,५९६	८
५	श्री गांधी मेमोरियल, हाता ..	५,३८८		.	५६२	
			(वर्ष ५२–५३ का लेखा दिया गया)			
६	तुरपट्टी महुआवा	१,७८८	३६०	..	..	
७	श्रीकृष्ण बरहज	९,६००	४८०	२७६	३७६	८
८	श्री गांधी मेमोरियल, सखवनिया ..	६,३३६	४२०	..	४३३	
९	बाबा राघवदास	७,८२४	७२०	..	९६८	
१०	सतासी, रुद्रपुर	४,१०४	४८०	..	..	
११	श्री लोकमान्य, जानकीनगर ..	६,५७६	५४०	..	..	
१२	किंग जार्ज, बरहज	१२,३४८	९००	१,४६४	१२५४	८
१३	सेवा समिति ब्वाय स्काउट ..	११,०६४	६६०	१,०६८	३,०१५	८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका (क) आवर्त्तक अनुदान

		स्वीकृत अनुपालन अनुदान	स्वीकृत महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इंटर कक्षाओं में १ रु० शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान
१४	एस० डी० मडलार ..	७,६८०	५४०	१२०	१,२३२ ८
१५	श्री गांधी, कैप्टनगंज.	४,९६८	३६०	...	..
१६	फतेह मेमोरियल तमकोही राज ...	५,२९२	६६०	..	..
१७	पी० एन० एम०, फाजिलनगर ..	४,२३६	१५८ ६६०	..	६५९ ०
१८	ओवैस कारने, लार ..	७,४७६	५४०	..	..
१९	बुद्ध, कुशी नगर	१०,२४८	८४०	२६४	१,२९९ ०
२०	मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय, भातपार रानी	५,७६०	४२०	..	७९५ ८
२१	बापू महाविद्यालय किशोरगंज, पी० ओ० सलीमपुर ..	४,७७६	३६०	..	५०२ ८
	..		७६ रु० ८ आ० (वर्ष १९५३–५४ का कालातीत २७ रु० ८ आ०/ महंगाई अनुदान दिया गया)		
२२	श्रीमेव इन्दुपुर	५,०१६	९००	..	१,३१० ८
२३	भरोसाधर मिशन, भागलपुर ..	४,४५२	४८०	..	१६८
			४७ रु० १५ आ०		
२४	पी० आर० डी० के०, भातपार रानी ..	५,१२४	३००	..	९१७ ०
		१९५५–५६	१९५५–५६		
२५	खैतान, लक्ष्मीगंज	१,७४०	३६०	..	..
२६	अनन्त आदर्श, मनियारी ..	१,८२४	६००	..	..
२७	शहीद रामचन्द, बंसन्तपुर ..	१,३०८	५४०	..	..
२८	सरोजिनी कन्या जूनियर हाई स्कूल, बरहज ..	८२८	४२०	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका (ख) अनावर्त्तक अनुदान

	शासन द्वारा राजाज्ञा सं० ए/१०७८/१५ ३००७(१०)५४, दिनांक १८ मार्च, १९५५ के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान	अतिरिक्त अनावर्त्तक अनुशासन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	प्लानिंग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान	
१—बी० एन० मझौली राज	..	२,८००	..	३००	..	..	
२—यू० एन० क्षत्रिय, पडरौना	१,०७०	४४०	१,०००	..	..	..	
३—पं० जवाहरलाल कृषक, ऋषि-भूमि, महुआवारी लालर रोड ..	२१०	..	..	..	..	..	..
४—मारवाड़ी विद्यालय ..	१,३२४	२००	..	..	..	९,९००	इस धन की स्वीकृति राजाज्ञा सं० बी ३०७१/ पन्द्रह ६५४४०/१९५२, दिनांक मार्च, २६, १९५४ अर्थात् १९५३–५४ में शासन द्वारा की गई थी परन्तु इसका भुगतान विद्यालय को वर्ष १९५४–५५ में किया गया
५—श्री गांधी मेमोरियल, हाता	३३०	१,०८०	५००	..	..	..	
६—तुरपट्टी महुवआ ..	..	..	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका (ख) अनावर्त्तक अनुदान

	शासन द्वारा राजाज्ञा सं० ए/१०७८/१५ ३००७(१०)५४, दिनांक १८ मार्च, १९५५ के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान	अतिरिक्त अनावर्त्तक अनुशासन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	प्लानिंग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान	
७—श्री कृष्ण, बरहज ..	३३९	३,०००	..	..	..	..	श्री कृष्ण हायर सेकेंडरी स्कूल, बरहज के लिये १५,००० रु० अनुदान की स्वीकृति शासन ने राजाज्ञा सं० ए/९४४/पन्द्रह ३१६१(१)१९५४, दिनांक मार्च १८, १९५५ में दो परन्तु उक्त धन का भुगतान विद्यालय को वर्ष १९५५–५६ में किया गया इसलिए यह धन तालिका में नहीं दिखाया गया, यद्यपि उक्त धन जिला प्लानिंग अफिसर द्वारा १९५४–५५ में ही निकाल लिया गया था।
८—श्री गांधी मेमोरियल, सलवनिया	२७५	१६०	१,०००	..	..	..	..
९—बाबा राघवदास ..	७५०	१,५६०	१,०००	..	..	..	..
१०—सतासी रुद्रपुर ..	..	८२०	..	..	..	..	.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

११—श्री लोकमान्य, जानकीनगर	२,२२८	१६०	१,०००	..	..	..	..
१२—किंग जार्ज, बरहज ..	८००	३१०	५००	..	..	..	..
१३—सेवा समिति ब्याय स्काउट	..	२८०	१,०००	..	..	..	..
१४—एस० डी० मठ लार	३५५	१,८००	१,०००	१,०००	..	..	..
१५—श्री गांधी कैप्टनगंज ..	३,३४७	१२०	..	..	..	..	..
१६—फतेह मेमोरियल तमकोही राज	..	१३०	५००	..	..	..	..
१७—पी० एन० एम० फाजिलनगर	१,८५२	८५०	५००	..	..	..	..
१८—ओवेस कारने, लार ..	४७०	१,५००	..	..	..	..	..
१९—बुद्ध कुशीनगर ..	६२५	२,०००	..	..	..	..	..
२०—मदनमोहन मालवीय महाविद्यालय, भातपाररानी ..	..	४,०००	१,०००	१,०००	..	..	..
२१—बापू महाविद्यालय किशोरगंज, पो० ओ०, सलीमपुर ..	..	९६०	..	..	..	..	..
२२—श्री नेव, इन्दुपुर ..	३३०	१,८००	..	..	..	..	..
२३—भरोसाधर मिशन, भागलपुर	७०९	८९०	१,०००	१,०००	..	..	..
२४—बी० आर० डी० के, भातपाररानी	..	३,५००	..	..	..	..	..
२६—अनन्त आदर्श, मनियारी ..	..	..	..	..	..	..	..
२७—शहीद रामचन्द, बसन्तपुर	..	..	..	..	..	..	..
२८—सरोजिनी कन्या जूनियर हाई स्कूल, बरहज		..	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५५ पर)

तालिका "क"

१—जूनियर हाई स्कूल, करदहनी
२—जूनियर हाई स्कूल, भीटी तिवारी
३—जूनियर हाई स्कूल, बालापार
४—जूनियर हाई स्कूल, डुमरी निवास
५—ऐंग्लो जूनियर हाई स्कूल, डुमरी निवास
६—जूनियर हाई स्कूल, मिनवा
७—जूनियर हाई स्कूल, गाड़ा सांड़
८—जूनियर हाई स्कूल, सहजनवा
९—जूनियर हाई स्कूल, डोहरिया बाजार
१०—जूनियर हाई स्कूल, हरपुर बुदहट
११—हायर सेकेंडरी स्कूल, हरिपुर बुदहट
१२—हायर सेकेंडरी स्कूल, पिपराइच
१३—माडल जूनियर हाई स्कूल, गोरखपुर
१४—जूनियर हाई स्कूल, भीटी भगवानपुर
१५—जूनियर हाई स्कूल, भावापार
१६—नौनी थापा जूनियर हाई स्कूल, बूड़ाघाट
१७—जूनियर हाई स्कूल, मीठावेल
१८—जूनियर हाई स्कूल, ब्रह्मपुर,
१९—जूनियर हाई स्कूल, बरही सोनबरसा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५६ पर)

तालिका "ख"

१—जूनियर हाई स्कूल, बढ़हलगंज
२—जूनियर हाई स्कूल, उरवां बाजार
३—जूनियर हाई स्कूल, सिकरी गंज
४—जूनियर हाई स्कूल, बिसुनपुरा
५—जूनियर हाई स्कूल, पिपराइच
६—जूनियर हाई स्कूल, डुमरी कोर्ट
७—जूनियर हाई स्कूल, सेमरा चन्दौली
८—जूनियर हाई स्कूल, बेलीपार
९—जूनियर हाई स्कूल, उनवल
१०—जूनियर हाई स्कूल, खजुरी
११—जूनियर हाई स्कूल, बड़हरा गंजन
१२—जूनियर हाई स्कूल, दुरम्हा
१३—जूनियर हाई स्कूल, अमहिया
१४—जूनियर हाई स्कूल, बाली
१५—जूनियर हाई स्कूल, पिपरौली बाजार
१६—जूनियर हाई स्कूल, बृजमनगंज
१७—जूनियर हाई स्कूल, मलाव
१८—जूनियर हाई स्कूल, लेहड़ा
१९—जूनियर हाई स्कूल, दुबोली
२०—जूनियर हाई स्कूल, भरोह
२१—जूनियर हाई स्कूल, जगदीशपुर
२२—जूनियर हाई स्कूल, नौवा डुमरी
२३—जूनियर हाई स्कूल, बारीगांव
२४—जूनियर हाई स्कूल, रिठुवाखोर
२५—जूनियर हाई स्कूल, सेनुवा पार
२६—जूनियर हाई स्कूल, मुडेरा बाजार
२७—जूनियर हईस्कूल, आनन्द नगर
२८—जूनियर हाई स्कूल, कैम्बियरगंज
२९—जूनियर हाई स्कूल, पिपरा
३०—जूनियर हाई स्कूल, पाड़ापार
३१—जूनियर हाई स्कूल, बैलपार तरुकुलही
३२—जूनियर हाई स्कूल, रमवापुर
३३—जूनियर हाई स्कूल, डेवडार बाबू
३४—जूनियर हाई स्कूल, भटौली

संसद सदस्य विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६० पर)

सूची उन शिक्षा अधिकारियों की जो इटावा जिले में अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं और जिनके विषय में आयोग से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

१—श्री सत्यनारायण पाठक, प्रधानाचार्य, राजकीय नार्मल स्कूल, इटावा .. .. .. अगस्त, १९५५

२—श्री सन्त प्रसाद सक्सेना, सहायक अध्यापक, राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, इटावा २६-८-५५

३—श्री रामेश्वरनाथ भार्गव, सहायक अध्यापक, राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, इटावा २५-१०-५४

४—श्री गोपीनाथ श्रीवास्तवा, सहायक अध्यापक, राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, इटावा २८-७-५५

५—श्री श्रीलाल पांडेय, सहायक अध्यापक, राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, इटावा १७-८-५५

६—श्री हरप्रसाद गुप्त, सहायक अध्यापक, राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, इटावा ३०-७-५४

७—श्री प्रेमशंकर शर्मा, सहायक अध्यापक, राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, इटावा १९-७-५४

८—श्री ब्रह्मस्वरूप गुप्त, सहायक अध्यापक, राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, इटावा १०-२-५३

९—श्री सूर्यनारायण भटनागर, सहायक अध्यापक, राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, इटावा २२-१०-५५

१०—श्री सुरेन्द्रपाल सिंह चौहान, सहायक अध्यापक राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, इटावा २१-८-५१

११—श्री श्यामनारायण लाल, सहायक अध्यापक, राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, इटावा १६-१०-५४

१२—श्री विष्णुदत्त सहायक अध्यापक, राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, इटावा २-२-५५

१३—श्री कमलापति, प्रधान सहायक, उप-विद्यालय निरीक्षक .. २०-९-५४

नत्थी 'ट

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६० पर)

तालिका "क"

क्रम-संख्या	स्कूल का नाम	१० एकत्र या उससे अधिक प्राप्त भूमि
१	हायर सेकेंडरी स्कूल, कुंअरपुर	२२.५०
२	जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, गद्दापुर	१२.६७
३	जू० हा० स्कूल, उकनी	१०.००
४	जू० हा० स्कूल, सोब्रहिता	११.००
५	जू० हा० स्कूल, कोलुआं	१२.८६
६	जू० हा० स्कूल, मुंगरी बादशाहपुर	१०.८८
७	हा० से० स्कूल, सुजानगंज	१०.००
८	जू० हा० स्कूल, नरार	१०.००
९	जू० हा० स्कूल, मुस्तफाबाद	१०.५१
१०	जू० हा० स्कूल, पांडेपुर	१०.८७
११	जू० हा० स्कूल, कसेरू	१३.००
१२	जू० हा० स्कूल, भन्नौर	१०.४१
१३	जू० हा० स्कूल, सीतापुर	१०.३०
१४	जू० हा० स्कूल, सुदनीपुर	१०.००
१५	जू० हा० स्कूल, मडियाहूं	१२.७५
१६	जू० हा० स्कूल, जमालापुर	१०.००
१७	जू० हा० स्कूल, मीरगंज	१२.००
१८	जू० हा० स्कूल, पृथ्वीगंज पुर	१२.००
१९	जू० हा० स्कूल, भेंटहर	१३.८१
२०	हा० से० स्कूल, जमालपुर	२६.३०
२१	जू० हा० स्कूल, बराई	४८.४३
२२	जू० हा० स्कूल, बेलवा	१२.५०
२३	जू० हा० स्कूल, मेंहदीपुर गंज	२०.००
२४	जू० हा० स्कूल, आर्यनगर	१२.८९
२५	हा० से० स्कूल, पट्टीनरेन्द्रपुर	२२.००
२६	हा० से० स्कूल, खुटेहन	४०.१६
२७	जू० हा० स्कूल, घनश्यामपुर	१०.१२
२८	जू० हा० स्कूल, अर्जुनपुर	११.७०
२९	जू० हा० स्कूल, अरसिया	१०.८७
३०	जू० हा० स्कूल, बसौली	१३.४३
३१	जू० हा० स्कूल, सोइवाकलां	१४.००
३२	हा० से० स्कूल, समोधपुर	१०.००
३३	जू० हा० स्कूल, तियरा	१३.१८
३४	हा० से० स्कूल, मेहरावां	१०.००
३५	जू० हा० स्कूल, बख्शी	१४.२५
३६	जू० हा० स्कूल, मल्हनी	११.७०
३७	हा० से० स्कूल, रामपुर बैजापुर	१०.१२

विधान सभा

क्रम संख्या	स्कूल का नाम			१० एकड़ या उससे अधिक प्राप्त भूमि
३८	हा० से० स्कूल, सराय हरख	..	..	२७.४६
३९	जू० हा० स्कूल, धरमापुर	..	..	१०.२४
४०	हा० से० स्कूल, शम्भूगंज	..	..	३५.००
४१	हा० से० स्कूल, तेजीबाजार	..	..	४७.७५
४२	हा० से० स्कूल, प्रतापगंज	..	..	२१.००
४३	हा० से० स्कूल, कजगांव	..	..	१५.००
४४	हा० से० स्कूल, जम्हुआई	..	..	१८.००
४५	जू० हा० स्कूल, फतेहगंज	..	..	१०.००
४६	जू० हा० स्कूल, भकुरा	..	..	११.००
४७	जू० हा० स्कूल, कुद्दुपुर	..	..	१३.७५
४८	जू० हा० स्कूल, मानहा गोविन्दपुर	..	..	१०.७५
४९	हा० से० स्कूल, जलालपुर	..	..	११.७५
५०	हा० से० स्कूल, रेहारी	..	..	३०.३२
५१	जू० हा० स्कूल, मई	..	..	११.९०
५२	जू० हा० स्कूल, खरगसेनपुर	..	..	१०.५०
५३	जू० हा० स्कूल, पैसारा	..	..	१४.८१
५४	जू० हा० स्कूल, मढ़ी	..	..	१०.००
५५	जू० हा० स्कूल, कोइलारी	..	..	१०.००
५६	जू० हा० स्कूल, पोखरा	..	..	१०.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका "ख"

क्रम-संख्या	स्कूल का नाम			५ एकड़ से अधिक और १० एकड़ से कम प्राप्त भूमि
१	जू० हा० स्कूल, भागमलपुर	..	..	९.७९
२	जू० हा० स्कूल, शागंज	..	..	७.८६
३	जू० हा० स्कूल, बदलापुर	..	..	७.००
४	जू० हा० स्कूल, जफराबाद	..	..	८.५२
५	जू० हा० स्कूल, चितौड़ी	..	..	९.८५
६	जू० हा० स्कूल, गौरा बादशाहपुर	..	..	९.७५
७	जू० हा० हकूल, रभदालगंज	..	..	९.५५
८	हा० से० स्कूल, रतनपुर	..	..	८.८२
९	जू० हा० स्कूल, बड़ागांव	..	..	८.८६
१०	जू० हा० स्कूल, बाकराबाद	..	..	६.८८
११	जू० हा० स्कूल, नेहरूनगर	..	..	६.६५
१२	हा० से० स्कूल, जंघई	..	..	९.००
१३	जू० हा० स्कूल, रामगढ़	..	..	९.००
१४	जू० हा० स्कूल, रामपुर	..	..	६.००
१५	जू० हा० स्कूल, असवां	..	..	९.९
१६	हा० से० स्कूल, बरसठी	..	..	५.५
१७	ह० से० स्कूल, मडियाहूं	..	..	९.१२
१८	हा० से० स्कूल, सिगरामऊ	..	..	९.५०
१९	ज० हा० स्कूल, गभिरन	..	..	८.७०
२०	हा० से० स्कूल, गुलालपर	..	..	६.९

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१९५ एल० ए०—१९५६—७९६ ।

अन्तर्राष्ट्रीय पंजीकृत संस्था